द्वितीय माला, खण्ड ५—अंक २८
२२ अगस्त, १९५७ (गुरुवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(खण्ड ५ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

155 LSD

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न* संख्या १०४३ से १०४६, १०४८, १०५० से १०५२, १०५४, १०५६, १०५७, १०६०, १०६१, १०६३, १०६५, १०६६ और १०६८ से १०७० . . . . . ४१५७--८२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ और १८ . . . . ४१८२--८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०४७, १०४९, १०५३, १०५५, १०५८, १०५९, १०६२, १०६४, १०६७, १०७१, १०७२, १०७२-क और १०७३ से १०८४ . . . . . ४१८७--९५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७८६ से ८२६ . . . . ४१९५--४२११

सदस्य की गिरफ्तारी ४२११--१२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४२१२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

पांचवां प्रतिवेदन ४२१२

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

दिल्ली में भंगियों की हड़ताल के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासन पर की गई कार्यवाही ४२१३

अनुदानों की मांगें—

श्रम और रोजगार मंत्रालय ४२१३--६७

श्री डांगे ४२१६--२०

श्री कां० ना० पांडे ४२२०--२६

श्री ओझा ४२२६--२७

श्री घोषाल ४२२८--२९

श्री सोमानी ४२२९--३०

श्री बालकृष्ण वासनिक ४२३१--३४

श्री एन्थनी पिल्ले ४२३४--३६

श्री मुहीउद्दीन ४२३६--३७

श्री रा० का० वर्मा ४२३७--४३

श्री नाथ पाई ४२४३--४५

श्री आबिद अली ४२४५--५२

श्री कुट्टिकृष्णन नायर ४२५२--५३

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

[शेष मुख पृठ तीन पर देखिए

लोक-सभा

गुरुवार, २२ अगस्त, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

हैदराबाद सरकिल में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारी

†*१०४३. श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २२ मार्च, १९५७ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ५३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद सरकिल में नियुक्त डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता-सूची के प्रकाशन में विलम्ब के क्या कारण है; और

(ख) उसके कब तक संकलित हो जाने की आशा है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) वरिष्ठता-सूची संकलित कर ली गई है परन्तु प्रतियोगिता के आधार पर भर्त्ती किए गए उन अभ्यर्थियों की वरिष्ठता के संबंध में अब एक संदेह उठाया गया है जिन्होंने उन तिथियों के बाद कार्य-भार संभाला था जिनको कुछ इकाइयों में उनके कनिष्ठों ने कार्य-भार संभाला था। एक अन्य कारण यह है कि हैदराबाद के रिकार्डों में दी गई फसली सन् की तारीखों को ईस्वी सन् में बदलने में कुछ समय लगा।

(ख) दिसम्बर, १९५७ के अन्त के पूर्व।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या इस वर्ष के पूर्व की तारीख पक्की और अंतिम हैं क्योंकि गत वर्ष भी हमारी कोई अंतिम तारीखें थीं परन्तु हम उनके अनुसार कार्य नहीं कर सके थे ?

†श्री राज बहादुर : मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य अन्तर्ग्रस्त कठिनाइयों को समझेंगे क्योंकि पहले हैदराबाद भर्त्ती राज्य सरकार द्वारा की जाती थी। परस्पर वरिष्ठता निश्चित करने में बहुत सारी बातों का विचार करना पड़ता है और उसमें अनिवार्यत: समय लगता है। जैसा मैंने कहा मुझे देरी होने का खेद है। परन्तु वरिष्ठता निश्चित करने के पूर्व कुछ आवश्यक चीजें करना आवश्यक होता है।

† मूल अंग्रेजी में

†श्री ब० स० मूर्ति : क्या इस प्रश्न का विचार कुर्नूल सरकिल के एकीकरण का ख्याल रखते हु किया गया है क्योंकि कुर्नूल का एकीकरण किया जाने वाला है और एक नया पोस्ट मास्टर जनरल नियुक्त किया जाने वाला है ?

†श्री राज बहादुर : इस प्रश्न का उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

†श्री ब० स० मूर्ति : मेरा प्रश्न यह है कि क्या कुर्नूल सर्किल के एकीकरण का...

†श्री राज बहादुर : मैं यह कहूँगा कि इस प्रश्न में यह पूर्वकल्पना अंतग्रस्त है कि कुर्नूल सर्किल और हैदराबाद सर्किल का एकीकरण किया जाएगा ? वह स्थिति प्रशासन के समक्ष नहीं है।

†श्री हेडा : भूतपूर्व हैदराबाद राज्य के डाक विभाग का एकीकरण १९५१ में किया गया था और छै वर्ष बीत चुके हैं और कर्मचारियों की वरिष्ठता निश्चित करने में केवल इस आधार पर विलम्ब हुआ है कि फस्ली सन् को ईस्वी सन् में बदलना पड़ा। इससे संतोष नहीं होता।

†श्री राज बहादुर : जहां तक परस्पर वरिष्ठता निश्चय करने का संबंध है, भूतपूर्व हैदराबाद राज्य के डाक विभाग के प्रत्येक कर्मचारी के रिकार्डों की जांच करना होगा ताकि वरिष्ठता सूची द्वारा उनके अधिकार न मारे जायें और इसमें समय लगता है।

पौधा-निरोधा केन्द्रे[1]

†*१०४४. श्री श्रीनारायण दास : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थापित किए गए प्रत्येक पौधा निरोधा केन्द्र में कितने कितने कर्मचारी हैं; और

(ख) अभी तक उन्होंने जो कार्य प्रारंभ किया है वह किस प्रकार का है तथा उसका विस्तार कहां तक है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) और (ख) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६०]

†श्री श्रीनारायण दास : विवरण से ऐसा मालूम होता है कि १९५२ से १९५३ तक पौधों के ७९० लदानों का निरीक्षण किया था। इसके लिए गैर-सरकारी व्यक्तियों से कितनी राशि एकत्रित की गई ?

†श्री मो० व० कृष्णप्पा : मैं पूर्व-सूचना चाहता हूं।

†श्री श्रीनारायण दास : क्या अन्य देशों से पौधों के आयत के लिए गैर-सरकारी व्यक्तियों से कोई फीस ली जाती है, और यदि हा, तो कितनी ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : कुछ मामलो में फीस ली जाती है।

---

†मूल अंग्रजी में

[1] Plant Quarantine Station.

दक्षिण रेलवे में फायरमन का मील-भत्ता[2]

+

†*१०४५. {श्री अ० क० गोपालन :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में घोषित मीलयोग की बढ़ी हुई दरें दक्षिण रेलवे के ओलवक्कोट डिवीजन में ड्राइवरों व गार्डों को तो दे दी गई हैं जब कि उसी डिवीजन में फायरमैनों को नहीं दी गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बढ़ी हुई दरें फायरमैनों के मामले में अन्य रेलों के अन्य डिवीजनों में कार्यान्वित की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो ओलवक्कोट डिवीजन में उसके फायरमैनों से रोक लिए जाने के क्या कारण हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) मील भत्ते की बढ़ी हुई दरें ड्राइवरों और गार्डों के मामले में पूर्णत: कार्यान्वित की गई हैं परन्तु सब फायरमैनों के मामले में नहीं।

(ख) बढ़ी हुई दरें हर जगह कार्यान्वित नहीं की गई हैं।

(ग) ओलवक्कोट डिवीजन में फायरमैनों के पदों के, संयुक्त मंत्रणा समिति की सिफारिश पर मंजूर किए गए वेतन क्रमों में, विभाजन का अभी तक अन्तिम रूप से निर्णय नहीं हुआ है बढ़ी हुई दरों पर भुगतान तभी किया जा सकता है जब संवर्ग का अंतिम रूप से निर्णय हो जाय।

†श्री अ० क० गोपालन : ये बढ़ी हुई दरें कुछ स्थानों में क्रियान्वित की गई हैं और कुछ में नहीं ; ऐसा क्यों है ?

†श्री शाहनवाज खां: संयुक्त मंत्रणा समिति ने कुछ सिफारिश की थीं। हम उस समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। विलम्ब बहुत हो गया है। हम जानते हैं कि यह खेद का विषय है और हम इसमें शीघ्रता करने के लिए प्रत्येक संभव कदम उठा रहे हैं।

†श्री अ० क० गोपालन : संयुक्त मंत्रणा समिति की सिफारिशें कितने समय के अन्दर क्रियान्वित हो जायेंगी ?

†श्री शाहनवाज खां : हम उसको बहुत निकट भविष्य में क्रियान्वित करने की आशा करते हैं। हम उस मामले में कार्यवाही कर रहे हैं और उसमें अधिक समय नहीं लगेगा।

†श्री ब० स० मूर्ति : ड्राइवर को यह भत्ता दे दिया गया है और उसके सहायक को नहीं। इस वर्ग के श्रमिकों को ये भत्ते न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

†श्री शाहनवाज खां : जैसा कि मैंने अभी स्पष्ट किया था, पहले वे विभिन्न वेतनक्रमों में रखे गए थे। फिर संयुक्त मंत्रणा समिति ने विभिन्न वेतनक्रमों की सिफारिश की। चूंकि फायरमैनों की संख्या अधिक है उसमें कुछ विलम्ब हो गया है। हम उसके संबंध में यथा संभव शीघ्रता से अंतिम निर्णय करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[2] Mileage allowance.

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या यह सच नहीं है कि संयुक्त मंत्रणा समिति न प्राधिकारियों को रेलवे बोर्ड को, यह शक्ति दी है कि वे इस मामले को जब आवश्यकता हो तब हाथ में लें। एक बार ड्राइवरों का मामला विचार हेतु हाथ में लिया गया, फायरमैनों का मामला क्यों नहीं लिया गया ?

†**श्री रंगा** : उनका कार्य अधिक कठिन है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे कहते हे कि वे कदम उठा रहे है। परन्तु उसमें समय लगता है।

†**श्री शाहनवाज खां** : इन मामलों का अंतिम निर्णय किया जा रहा ह। केवल दो रेलों को छोड़ कर, जिन में हम उनका बहुत जल्दी अंतिम निर्णय करन की आशा करते है। शेष सब रेलों में उनका अंतिम निर्णय हो गया है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या यह सच है कि पहले की अपेक्षा अब शन्टरों और ड्राइवरों के रूप में पदवृति की संभावनायें कम हो गई हैं क्योंकि उन संवर्गों के लिए प्रत्यक्ष भर्ती की जा रही है।

†**श्री शाहनवाज खां** : नहीं, श्रीमान्। मैं नहीं समझता कि पहले की अपेक्षा संभावनायें कम हो गई हैं। मैं ऐसा नहीं समझता।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संयुक्त मंत्रणा समिति की सिफारिशें १९४९ में की गई थीं क्या ये सब रेलवे कर्मचारी भूतलक्षी प्रभाव के अधिकारी होंगे, अब और जैसे ये सिफारिशें क्रियान्वित की जायेंगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : ये संशोधित दरें १ अप्रैल, १९५६ से लागू होंगी।

रोगव्यापिकीय[1] अध्ययन

†*१०४६. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में "हैजा में रोगव्यापिकीय अध्ययन" और "तपेदिक में विशेष गवेषणा" की परियोजनाओं पर की गई गवेषणाओं से उपलब्ध परिणामों को क्रियान्वित करने के लिए क्या विशेष कदम उठाए हैं; और

(ख) इस मामले में भारतीय चिकित्सा परिषद ने कहां तक सहायता की है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिए परिशिष्ठ ३, अनुबन्ध संख्या ६१**]

†**श्री स० चं० सामन्त** : विवरण से मुझे मालूम होता है कि सिंगूर क्षेत्र को अध्ययन के लिए चुना गया था। मैं जानना चाहता हूँ कि मिदनापुर, २४ परगना अथवा हावड़ा का विचार क्यों नहीं किया गया विशेषकर जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्ययन दल ने इन क्षेत्रों को सबसे अधिक पीड़ित क्षेत्र घोषित कर दिया है ?

†**श्री करमरकर** : ये रोगव्यापिकीय अध्ययन एक तरह के परीक्षात्मक अध्ययन हैं और इन अध्ययनों में उपलब्ध परिणाम अन्य क्षेत्रों को संभारित किए जाते हैं जो विशिष्ट महामारियों से पीड़ित होते हैं। इस विशेष मामले में हमें एक केन्द्र चुनना था और हमने सिंगूर चुना क्योंकि वहां कुछ सुविधायें हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Epidemiological.

†**श्री स० चं० सामन्त** : विवरण से मुझे मालूम होता है कि रोगव्यापिकीय अध्ययन और योजनायें हैजा की रोकथाम के लिए प्रारंभ की गई थी। क्या सबसे अधिक पीड़ित क्षेत्रों का भी विचार किया जायगा क्योंकि मैं देखता हूं कि कम पीड़ित क्षेत्रों को अग्रमान्यता दी गई है ?

†**श्री करमरकर** : मैं यह सुझाव पश्चिमी बंगाल सरकार के पास भेजूंगा ताकि जब वह अगली बार कोई सिफारिश करे तो वह इसको उचित महत्व दे ।

पंजाब में नई रेलवे लाइनें

\+

†*१०४८. { **श्री बहादुर सिंह** :
श्री राम कृष्ण :

क्या रेलवे मंत्री ११ दिसम्बर, १९५६ को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या ८११ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोपड़–लुधियाना, जगाधरी–चण्डीगढ़ को मिलाने वाली नई रेलवे लाइन का यातायात सर्वेक्षण पूरा हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो सर्वेक्षण में लगभग कितना समय लगेगा ;

(ग) लुधियाना–रोपड़ लाइन किन-किन प्रमुख कस्बों और गांवों से होकर निकलेगी; और

(घ) उसके निर्माण के लिए कितनी अनुमानित राशि निश्चित की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** :(क) अभी तक नहीं, श्रीमान् ।

(ख) सर्वेक्षण रिपोर्ट के मार्च, १९५८ के अन्त तक प्रस्तुत किए जाने की आशा है ।

(ग) जब तक यातायात सर्वेक्षण पूर्ण न हो जाय यह कहना जल्दबाजी होगी कि कौन सा मार्ग उपयुक्त होगा ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता चूंकि यह परियोजना दूसरी पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं है ।

†**श्री बहादुर सिंह** : प्रस्तावित रोपड़–लुधियाना लाइन कितनी लम्बी होगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : सही लम्बाई सर्वेक्षण पूर्ण हो जाने के पश्चात् मालूम होगी ।

दिल्ली डेरी विकास योजना

†*१०५०. { **श्री वारियर** :
श्री कुन्हन :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली डेरी विकास योजना के लिए किसानों से भूमि ली है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या कोई प्रतिकर दिया गया है और किस आधार पर ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भेड़ पालन केन्द्र

*१०५१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत में भेड़ों की नस्ल सुधारने और उनकी संख्या बढ़ाने के लिये डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से ३९६ भेड़ पालन केन्द्र खोलने का निश्चय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें किन-किन स्थानों पर खोलने का निश्चय किया गया है, अथवा खोलने का विचार किया जा रहा है ;

(ग) उनके संचालन की क्या व्यवस्था की जा रही है; और

(घ) उनमें से प्रत्येक पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है और उस धन की प्राप्ति कहां से होगी ?

सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख), (ग) और (घ) . सभा की टेबल पर एक विवरण रख दिया गया है । **[देखिए परिशिष्ठ ३, अनुबन्ध संख्या ६२]**

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि जो नये भेड़ पालन केन्द्र खुलने वाले हैं इनकी व्यवस्था में और उनकी व्यवस्था में जो पहले से खुले हुए हैं क्या अन्तर होगा ?

डा० पं० शा० देशमुख · पहले जो केन्द्र थे वे एक तो बहुत सीमित थे और उनका को-आर्डिनेशन (समन्वय) करने के लिये हमारे पास कोई इन्तिजाम नहीं था । अब जो यह स्कीम है यह सारे भारतवर्ष में फैलायी जायेगी और इसके को-आर्डिनेशन (समन्वय) के लिए इन्तजाम होने वाला है ।

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण से ज्ञात होता है कि ३९६ जो नये केन्द्र खुलने वाले हैं उनमें से अभी तक केवल २४ के बारे में ही, उन्हें कहां स्थापित किया जायेगा निश्चय किया गया है । क्या मैं जान सकता हूं कि और केन्द्रों की जल्दी से जल्दी खोलने के लिए क्या प्रयत्न किया जा रहा है ?

डा० पं० शा० देशमुख : दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर हर साल कितने केन्द्र खोले जायेंगे यह दिया हुआ है । इनको स्थापित करने में कुछ देरी जरूर हुई है क्योंकि इनके लिए जगह चाहिए, और वैसे भी शुरू में काफी दिक्कतें आती हैं । आगे चल कर इसकी प्रगति तेजी से होगी ऐसी मैं आशा करता हूं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या ये भेड़ पालन केन्द्र भारत के सब राज्यों में बराबर बराबर विभाजित किए जायेंगे, और क्या पहाड़ी क्षेत्रों को अग्रमान्यता दी जायगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० पं० शा० देशमुख : यह उन क्षेत्रों में भेड़ों की आबादी की सघनता पर निर्भर करेगा ।

श्री त्रि० ना० सिंह : ये ३९६ केन्द्र पहले केन्द्रों में को-आर्डिनेशन (समन्वय) की कमी की वजह से खोले जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इन ३९६ केन्द्रों के लिए कौनसी को-आर्डिनेशन (समन्वय) की योजना रखी गयी है ?

डा० पं० शा० देशमुख : ऐसा मैंने नहीं कहा था कि को-आर्डिनेशन (समन्वय) नहीं था इसलिए ये सेंटर खोले जा रहे हैं। सवाल यह पूछा गया था कि पहले जो सेंटर (केन्द्र) थे उनमें और इन में क्या फर्क है। मैंने वही बतलाने की कोशिश की है कि यह बड़े पैमाने पर होंगे, इनके लिए हमने बड़ी स्कीम बनायी है और इनमें जो को-आर्डिनेशन (समन्वय) होगा वैसा अब तक नहीं था।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह आशा की जा सकती है कि इतने केन्द्र खुल जाने के बाद उन के उत्पादन के बारे में हमारा देश स्वावलम्बी हो जायेगा और दूसरे केन्द्र खोलने की जरूरत नहीं रहेगी ?

डा० पं० शा० देशमुख : देश स्वालम्बी हो जायेगा या नहीं यह कहना तो मुश्किल है, मगर उत्पादन बढ़ेगा और इस बारे में देश में संतोषजनक प्रगति होगी।

स्वचालित ध्वनि अभिलेखन यंत्र[4]

†*१०५२. श्री मुरारका : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए स्वचालित ध्वनि अभिलेखन यंत्र और सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली[5] किन-किन हवाई अड्डों पर स्थापित किए गए हैं; और

(ख) ऐसी स्थापना में कुल कितनी लागत लगी ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर) : (क) और (ख). एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें आवश्यक सूचना दी हुई है । [देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६३]

†श्री मुरारका : विवरण से ऐसा मालूम होता है कि अभी तक ५ लाख रुपए के उपकरण स्थापित किए गए हैं। क्या यह उपकरण बाहर से आयात किए गए थे अथवा वह इस देश में ही निर्मित किये गये थे ?

†श्री हुमायूं कबीर : इस प्रकार के उपकरण सामान्यतः बाहर से आयात किए जाते हैं। वह सदा यहां उपलब्ध नहीं होते ।

†श्री मुरारका : यह उपकरण विभिन्न हवाई अड्डों पर वास्तव में कितने बार प्रयोग किया गया है ?

†श्री हुमायूं कबीर : अनेक बड़े हवाई अड्डों में स्वचालित ध्वनि अभिलेखन यंत्रों का प्रतिदिन प्रयोग किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि उन स्थानों की सूची देने में बहुत समय लगेगा जिनमें उसका प्रयोग किया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[4] Automatic speech recorders.

[5] Public Address system.

†श्री मुरारका : दिल्ली में यह उपकरण पालम के बजाय सफदरजंग पर लगाया गया है। मैं समझता हूं कि पालम बड़ा हवाई अड्डा है और सब अंतर्राष्ट्रीय विमान वहीं उतरते हैं। ऐसी परिस्थितियों में वह सफदरजंग पर क्यों स्थापित किया गया है पालम पर नहीं ?

†श्री हुमायूं कबीर : कारण यह है कि सफदरजंग पर वह स्थापित किया जा चुका है परन्तु पालम पर वह इस वर्ष की समाप्ति के पूर्व स्थापित किया जायगा।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : ये स्वचालित ध्वनि अभिलेखन यंत्र विभिन्न हवाई अड्डों पर किस प्रयोजन से स्थापित किए जाते हैं और वे किस प्रयोग में लाए जाते हैं ?

†श्री हुमायूं कबीर : ये स्वचालित ध्वनि अभिलेखन यंत्र विमानों की गति का लेखा रखने में सहायक होते हैं। उनमें "लॉग बुक्स" होती हैं और विमानों की प्रत्येक गति का अभिलेखन करती हैं जब वे हवाई अड्डे पर आते हैं, क्योंकि संचार रेडियो-टेलीफोन द्वारा होता है उनको लिखना प्रायः असंभव होता है। इस दृष्टि से ये स्वचालित ध्वनि अभिलेखन यंत्र बहुत उपयोगी होते हैं और यदि किसी समय अभाग्यवश कोई दुर्घटना हो जाय तो ये स्वचालित ध्वनि अभिलेखन यंत्र जिम्मेदारी निश्चित करने में सहायक होते हैं।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह समझते हैं कि जनसेवी इन अभिलेखन यंत्रों का प्रयोग करते हैं।

†श्री याज्ञिक : इनकी स्थापना में कुल कितनी लागत लगती है ?

†श्री हुमायूं कबीर : यह विवरण में दिया हुआ है, परन्तु माननीय सदस्य ने विवरण नहीं देखा है। ७ अभिलेखन यंत्रों पर ४,२५,००० रुपए लगे।

अन्तर्देशीय जल परिवहन

†*१०५४. श्री सूपकार : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा उड़ीसा में अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस योजना पर कितनी राशि व्यय करने का प्रस्ताव है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर) : (क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने हीराकुड बांध के पूर्ण होने के पूर्व महानदी पर कुछ नौपरिवहन संबंधी सर्वेक्षण किए थे। एक फ्रांसीसी मिशन, जो १९५०-५१ में भारत आया था, ने भी इस नदी पर नौ-परिवहन के विकास के लिए कुछ सिफारिशें की थीं। और जांच हीराकुड बांध के पूर्ण होने तक के लिए बन्द कर दी गई थी।

(ख) दूसरी पंच वर्षीय योजना में उड़ीसा में अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए कोई उपबन्ध नहीं है।

†श्री सूपकार : जहां तक महानदी में जल परिवहन का संबंध है, क्या वह अनिश्चित समय के लिए टाल दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हुमायूं कबीर : नहीं, श्रीमान्। वह अनिश्चित अवधि के लिए नहीं टाल दिया गया है। राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए थे और सामान्यत: एक राज्य के अन्दर अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए अगुआई राज्य सरकार की ओर से की जाती है।

†श्री सूपकार : क्या राज्य की अन्य प्रमुख नदियों, ब्रह्माणी और वैतरणी, में अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं?

†श्री हुमायूं कबीर : जहां तक मेरी जानकारी है, उड़ीसा की दो प्रमुख नदियां ब्रह्माणी और महानदी हैं। जहां तक ब्रह्माणी का संबंध है हमें परामर्श दिया गया है कि केवल समुद्र के निकट के भाग को छोड़कर उसका शेष भाग नौ-परिवहन योग्य नहीं होगा। जहां तक महानदी का संबंध है, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने एक योजना तैयार की है जिसके द्वारा पहले धौलपुर तक नौपरिवहन प्रारंभ किया जा सकता है और बाद में संभवत: स्वयं हीराकुड तक।

†श्री त्रि० ना० सिंह : चूंकि स्वयं हीराकुड परियोजना में अंतर्देशीय जलपरिवहन संबंधी विकास के प्रयोजनों के लिए कुछ व्यय किया गया था क्या वास्तव में स्थिति यह है कि जहां तक इस मामले में अगुआई का संबंध है, वह राज्य की जिम्मेदारी है, केन्द्र की नहीं, और क्या इस तथ्य की दृष्टि से और कोई कदम उठाए जा रहे हैं?

†श्री हुमायूं कबीर : अंतर्देशीय जल परिवहन राज्य की जिम्मेदारी है जब तक कि कोई खास जल मार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग न घोषित कर दिया जाय। अभी तक कोई भी जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं घोषित किए गए हैं। हीराकुंड के प्रारंभ के समय जांच प्रारंभ की गई थी परन्तु योजना आयोग की मंत्रणा पर वे निलम्बित कर दी गई थीं। अब प्राक्कलन समिति ने सिफारिश की है कि उसे पुन: प्रारम्भ किया जाय और हम उसकी जांच कर रहे हैं।

†श्री त्रि० ना० सिंह : क्या केन्द्र ने हीराकुड पर यह व्यय करना बिना राज्य से परामर्श किये और उसका अनुमोदन प्राप्त किए प्रारंभ कर दिया?

†श्री हुमायूं कबीर : यह इस परियोजना को प्रारंभ करने के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रश्न नहीं है। कुछ सुविधाओं का उपबन्ध किया जा रहा है और जब कभी यातायात आवश्यकतानुसार हो जायगा, आवश्यक उपबन्ध भी कर दिया जायगा, परन्तु इस अवस्था में महानदी के संबंध में जांचें की जा रही हैं।

†श्री त्रि० ना० सिंह : मंत्री जी उपस्थित हैं। वह इस प्रश्न पर हमारे लिए कुछ प्रकाश डाल सकते हैं।

†अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न पर एक सामान्य चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता। माननीय सदस्य एक आधे घण्टे की चर्चा की मांग कर सकते हैं, यदि वे रुचि रखते हों। मैं कितने प्रश्नों की अनुमति दूं?

†श्री याज्ञिक: इस नदी में अथवा भारत की किसी भी अन्य नदी में देशी नौका अथवा छोटी नावों के यंत्रीकरण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

†श्री हुमायूं कबीर: इस प्रकार के प्रस्ताव हैं और वास्तव में इस समय हम कुछ प्रकार की चपटे धरातल की नौकाओं के साथ यह देखने के लिए प्रयोग कर रहे हैं कि 'पुश-टाइप' नाव अथवा 'टो-टाइप' नाव उपयुक्त होगी?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री त० ब० विट्ठल राव: हीराकुंड योजना के पूर्ण हो जाने के पश्चात् भी ये जो जांच की गई हैं क्या उनको गोखले समिति को निर्दिष्ट किया जायगा अथवा अंतर्देशीय परिवहन के लिये कदम उठाए जायेंगे ?

†श्री हुमायूं कबीर : गोखले समिति के पास समस्त सामग्री है। साधारण आदमी के रूप में यदि मैं कोई मत प्रकट करने की चेष्टा करुं तो मैं कहूंगा कि जब तक हीराकुड बांध पूर्ण हुआ था कुछ जांचें प्रारम्भ करना संभव नहीं था क्योंकि पहले महानदी में निकासी १,००० से ३,००० क्यूजेक के लगभग थी और बांध के पूर्ण हो जाने के पश्चात् वह ८००० क्यूज़ेक से ऊपर होगी। उससे नदी का स्वरूप निश्चय ही बदल जायगा ।

†श्री सूपकार : जहां तक नौपरिवहन समस्त बहु प्रयोजनीय परियोजनाओं का एक प्रयोजन होता है, मैं जानना चाहता हूं कि कोई भी अंतर्देशीय जल परिवहन योजना प्रारम्भ करने में अगुवाई को एकमात्र केन्द्र की जिम्मेदारी रखने के बजाय राज्य पर कब से डाल दिया गया है ?

†श्री हुमायूं कबीर : यह संविधान में विनिहित है, कोई ऐसी चीज नहीं जो कोई बहु प्रयोजनीय परियोजना स्वीकार करके की गई हो ।

†श्री फीरोज गांधी : यह योजना अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास की वृहद् योजना का एक भाग है। इस वृहद् योजना की क्या प्रगति हुई है और आगामी पांच वर्षों में उसके क्या रूप धारण करने की संभावना है ?

†श्री हुमायूं कबीर : जहां तक मैं इस अवस्था में अनुमान कर सकता हूं हम जांचें पूरी कर लेंगे और संभवतः बकिंघम नहर पर कार्य प्रारम्भ कर सकेंगे और कुछ कार्य गंगा-ब्रह्मपुत्र जलमार्ग प्रणाली पर भी किया जायगा। जो धन हमें उपलब्ध है उससे मुझे संदेह है कि दूसरी योजना में कोई और योजना भी प्रारम्भ की जा सकती है ।

बम्बई में सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

†*१०५६. श्री आसर : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंच वर्षीय योजना में बम्बई में कितने राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सामुदायिक विकास खण्ड खोले गए थे ; और

(ख) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में इस प्रकार कितने खण्ड खोलने का प्रस्ताव है ?

†सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क)

सामुदायिक परियोजनायें	५
सामुदायिक विकास खण्ड	३४
(जिन में राष्ट्रीय विस्तार सेवा से परिवर्तित किए गए २३ खण्ड भी शामिल हैं)	
राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड . .	७५
(ख) सामुदायिक विकास खण्ड . .	१४३
(राष्ट्रीय विस्तार से परिवर्तित)	
राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड	५०५

†श्री आसर : इन खण्डों पर अब तक कुल कितनी रकम खर्च की जा चुकी है ?

†अंग्रेजी में

†श्री सु० कु० डे : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

†श्री याज्ञिक : इन सामुदायिक विकास खण्डों तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के सभी लाभों का प्रचार करने तथा उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए क्या इन खण्डों (बलाकों) के बजट में कोई उपबन्ध है क्यों कि मेरे अपने ताल्लुके में, जहां एक सामुदायिक विकास खण्ड पर काम हो रहा है, मुझे स्पष्ट शब्दों में यह बताया गया था कि उस क्षेत्र के हजारों गांव निवासियों में कोई बड़े या छोटे इश्तहार भेजने के लिए या योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए लाखों रुपये के बजट में कुछ भी उपबन्ध नहीं है ?

†श्री सु० कु० डे : यद्यपि कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों में कार्यक्रम का प्रचार करने के लिये उपबन्ध है, तथापि बजट में कार्यक्रम का प्रचार करने के सम्बन्ध में कोई उपबन्ध नहीं है। उस प्रयोजन के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा केन्द्रीय मंत्रालय पर्याप्त मात्रा में साहित्य तथा प्रचार सामग्री प्रकाशित करता है। राज्य सरकारें भी इसी प्रकार की सामग्री प्रकाशित करती हैं और सभी परियोजनाओं को प्रचुर मात्रा में यह सामग्री दी जाती है।

†श्री आसर : क्या सरकार का ध्यान इस आरोप की ओर गया है कि दूसरे आम चुनावों के बाद केवल उन क्षेत्रों में सामुदायिक विकास खण्ड तथा राष्ट्रीय सेवा खण्ड खोले गए हैं जहां कांग्रेस दल चुनाव में सफल हुआ है ?

†श्री सु० कु० डे : मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है और न ही मुझे किसी से कोई शिकायत प्राप्त हुई है। मुझे प्राय: देश के भिन्न भागों से बहुत पत्र प्राप्त होते रहते हैं।

†श्री याज्ञिक : इस बात को देखते हुए कि अत्यन्त गम्भीर आरोप लगाये गए हैं और कुछ हद तक यह माना भी गया है कि सामुदायिक खण्डों का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि यह किसी कारण जनता के उत्साह को जागृत नहीं कर सके हैं और जिन सही दिशाओं में उनके उत्साह को बढ़ाने की आशा की जाती थी उन दिशाओं में जनता ने उत्साह नहीं दिखाया है, क्या स्थानीय जनता को अपने सामुदायिक खण्डों में दिलचस्पी लेने के लिए प्रेरित करने के सम्बन्ध में अधिक प्रभावी कार्यवाहियां की जायेंगी ?

†श्री सु० कु० डे : मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि इस कार्यक्रम के लिए जनता में उत्साह नहीं बढ़ाया गया है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि कार्यक्रम में जनता के प्रतिनिधियों ने बहुत ही कम भाग लिया है। जहां तक जनता के उत्साह का सम्बन्ध है, परियोजना क्षेत्रों में मेरी आशा के अनुसार ही काम हुआ है। परन्तु जनता का और अधिक उत्साह प्राप्त करने के लिए और यह देखने के लिए कि इन कार्यवाहियों में सभी स्तरों पर जनता के सभी प्रतिनिधि और अधिक भाग लें, हम प्रत्येक सम्भव कार्यवाही करेंगे और कर रहे हैं।

†श्री हेमदरुआ : माननीय मंत्री ने सामुदायिक खण्डों के लिए जनता में अभिरूचि की जिस कमी की ओर निर्देश किया है क्या उस का कारण अधिकारियों की अयोग्यता है या जनता में उत्साह के समायोजन के लिए विभाग की अयोग्यता है ? क्या यह विभागीय अधिकारियों तथा मंत्री महोदय, दोनों की ही अयोग्यता के कारण है ?

†अध्यक्ष महोदय : क्या हम इस प्रश्न को बम्बई से समस्त भारत पर लागू कर रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हेम बरुआ : वाद विवाद के दौरान में यह यहां तक आ गया है ।

†अध्यक्ष महोदय : यह वहां तक चाहे आ जाए परन्तु मैं इसे वहीं रोक दूंगा ।

†श्री त्रि० ना० सिंह : मंत्री महोदय ने एक अनुपूरक प्रश्न के अपने उत्तर में इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने के लिए जनता के प्रतिनिधियों की क्षमता पर संदेह प्रगट किया है । उन्होंने इस सभा के सदस्यों तथा अन्य विधान सभाओं के सदस्यों के विरुध भी एक आरोप लगाया है, मेरे विचार में यह एक प्रकार की ज्यादती है । इस मामले में मैं आपका संरक्षण चाहता हूं ।

†श्री सु० कु० डे : मुझे इस बात का खेद है कि मुझे गलत समझा गया है ।

†श्री रंगा : यहां जो उत्तर दिया गया है यदि वह उसका अभिलिखित वर्णन देखें तो यह मालूम होगा कि मंत्री महोदय जो कुछ कहना चाहते हैं उसे समझना हमारे लिए कठिन है ।

†श्री हेम बरुआ : अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिये लोगों को क्यों दोषी ठहराया जाता है ?

†श्री यागिक : मुझे इस अभ्युक्ति के सम्बन्ध में सख्त आपत्ति है ।

†श्री पु० र० पटेल : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्रों तथा सामुदायिक विकास खंड क्षेत्रों की मंत्रणा समितियों में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो जनता का वस्तुत: प्रतिनिधित्व करता हो, बल्कि उन में केवल कांग्रेस के ही लोग हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ ऐसा अनुभव कर रहा था कि उत्तर में संसद् या विधान सभाओं के सदस्यों की ओर निर्देश अनावश्यक था । प्रश्न केवल यह पूछा गया था कि क्या जनता में इस सम्बन्ध में उत्साह है और क्या वह सहयोग दे रही है । इसका सरल उत्तर यह हो सकता था कि जी, हां, ऐसा ही है । किसी भी ओर के किसी माननीय सदस्य को इस संसद् के सदस्यों पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहिये । आखिर मंत्रिगण भी तो केवल सदस्यों के ही प्रतिनिधि हैं यदि सदस्य बेकार हैं तो जहां तक मंत्रियों का सम्बन्ध है मेरी समझ में नहीं आता कि उनके लिए क्या कहूं । इस लिए किसी भी सदस्य पर कोई कटाक्ष नहीं किया जाना चाहिए । सदस्यों को किसी प्रयोजन से बीच में नहीं लाना चाहिये । जब मैं यह कहता हूं कि अमुक व्यक्ति गन्दा है तो क्या दूसरे व्यक्ति को यह कहने का अधिकार नहीं है 'आप गन्दे हैं' ?

†श्री सु० कु० डे : मुझे अत्यन्त खेद है । क्या मैं बात स्पष्ट कर सकता हूं ? मैं ने यह कहा था कि प्रतिनिधियों को भाग लेने के लिए सम्मिलित करने में परियोजना असफल रही है ।

†श्री रंगा : मेरा यह सुझाव है कि उन शब्दों को निकाल दिया जाय ।

†अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मंत्री महोदय यह कह कर स्थिति को किसी भी प्रकार से बेहतर नहीं बना रहे हैं कि परियोजनाओं में इस कारण काम नहीं हो रहा है कि जनता के प्रतिनिधि सहयोग प्रदान नहीं कर रहेहैं । वे यहां सहयोग दे रहे हैं और प्रश्न आदि पूछ रहे हैं । और क्या चाहिये वे जानकारी मांग रहे हैं ।

मूल अंग्रेजी में

सरकार का यह कर्त्तव्य है कि अपने अधिकारियों के द्वारा लोगों की सहानुभूति प्राप्त करे और मुझे अन्यत्र सामुदायिक परियोजना में जाने और कार्य करने के लिए न कहे मुझे निःसन्देह इस बात से आश्चर्य हुआ है कि जब कि संसद् की बैठक हो रही है सरकार संसद् सदस्यों के गावों में जाने और सामुदायिक विकास कार्य में अपना समय देने पर पूर्णतः निर्भर करती है। मंत्री महोदय कहना क्या चाहते हैं ? उनका आलोचन अनावश्यक था।

परन्तु मेरे विचार में यहां किसी शब्द को निकालने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल यह कह सकता हूं कि . . . . . .

†श्री हेम बरुआ : उस निर्देश को निकाल देना चाहिये ।

†अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। कुछ बार हम भी निष्पक्ष होते हैं। न केवल मंत्रिगण का बल्कि प्रतिनिधियों का भी यही कर्त्तव्य है। यद्यपि यह खेदजनक है कि इस प्रकार का उत्तर दिया गया है तथापि मेरे विचार में अभिलेख में से इसे निकालने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य में सभी माननीय सदस्य इस बात को ध्यान में रखेंगे।

†श्री हेम बरुआ : वे शब्द माननीय सदस्यों पर आक्षेप करते हैं।

†अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने इस 'सभा के सदस्य' शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अन्य विधान सभायें भी हैं।

†श्री सूपकार : तब तो और भी बुरी बात है। जनता के सभी प्रतिनिधियों पर कटाक्ष किया गया है।

†अध्यक्ष महोदय : अच्छी बात है। इसे रहने दीजिये।

†श्री सु० कु० डे : मेरी मन्शा किसी भी व्यक्ति को, जनता के किसी भी व्यक्ति को अप्रसन्न करने का नहीं है। मैं ने केवल यह कहा था कि एक सरकारी अभिकरण के रूप में हम . . . . . .

†श्री त्यागी : आप इसे स्वीकार क्यों करते हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : अच्छी बात है। हम अगले प्रश्न को लेते हैं।

साबरमती रेलवे स्टेशन पर माल का रोका जाना

†*१०५७. श्री मो० ब० ठाकुर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साबरमती रेलवे स्टेशन (पश्चिम रेलवे) पर देश के तट-दूर भागों के लिए बुक किया गया सभी प्रकार का माल कई दिन तक रुका रहता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख). तट-दूर भागों के लिये बुक किया गया माल साबरमती स्टेशन पर वाहनान्तर के लिए अधिक देर तक नहीं रोका जाता है। माल के रुकने की अवधि को यथासम्भव कम से कम रखने के लिये विशिष्ट प्रयत्न किए जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री पु० र० पटेल : साबरमती स्टेशन पर औसतन कितने समय तक माल पड़ा रहता है ?

†श्री शाहनवाज खां : माल पहुंचने के समय से माल भेजने के समय तक, अर्थात्, बड़ी लाइन द्वारा आने और मीटर लाइन द्वारा भेजे जाने में, अप्रैल में औसतन ४१.५ घंटे, मई में ४८.८ घंटे और जून में ४६.१ घंटे लगे थे। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दिला सकता हूं कि यह अत्याधिक समय नहीं है ।

†श्री पु० र० पटेल : क्या मैं जान सकता हूं कि बड़ी लाइन से मीटर लाइन तक माल बुक करने में इतने समय की आवश्यकता क्यों है ?

†श्री शाहनवाज खां : उ ना समय अपेक्षित है। क्योंकि बड़ी लाइन के माल गाड़ी के डिब्बे आते हैं ; माल को बड़ी लाइन से उतारना होता है और फिर मीटर लाइन में रखना होता है, पुनः बुक किया जाता है और फिर भेजा जाता है। इस सारे काम में समय लगता है।

†अध्यक्ष महोदय : वाहनान्तर की इस विधि को तो सभी जानते हैं। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इसमें में इतना समय क्यों लगता है।

†श्री त्यागी : धीरे काम करो की नीति ।

†अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि अपेक्षित समय से अधिक समय क्यों लगता है ?

†श्री शाहनवाज खां : मेरा यह निवेदन है कि १९५६ में अप्रैल के महीने में औसत समय ७५.६ घंटे लगता था ? १९५७ में इसे कम करके ४३ घंटे तक लाया गया है। हम इस से सन्तुष्ट नहीं हैं। इस समय को कम करने के लिये हम प्रत्येक प्रयत्न करेंगे।

†श्री पु० र० पटेल : क्या मैं बड़ी लाइन तथा मीटर लाइन के बीच दूरी जान सकता हूं और एक लाइन से दूसरी लाइन में बुक करने में इतना समय क्यों जरूरी है ?

†अध्यक्ष महोदय : हम इस मामले का निर्णय यहां कैसे कर सकते हैं ? ...

†श्री मो० ब० ठाकुर : इस प्रकार के विलम्ब के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने कहा है कि उन्होंने इसे ७५ घंटे से कम करके ४३ घंटे कर दिया है और इसे अग्रेतर कम करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। जब तक कोई माननीय सदस्य अपने अनुभव के आधार पर या किसी समिति के अनुभव अथवा प्रतिवेदन के आधार पर यह न कह सकता हो कि उसने एक स्थान से दूसरे स्थान तक केवल २४ घंटे में माल गाड़ी का डिब्बा पहुंचा दिया है और सरकार ४३ घंटे क्यों ले रही है, तब तक हम इस बात का निर्णय यहां नहीं कर सकते हैं। ये केवल सही या गलत कल्पनायें हैं।

†श्री याज्ञिक : क्या एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल के यानान्तरण के लिये कोई मशीनी क्रेन या अन्य यन्त्र काम में लाया जाता है ?

†श्री शाहनवाज खां : हमारे पास पर्याप्त जन-शक्ति प्राप्य है और हमारी नीति यह है कि इसका उपयोग किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कृष्णा नदी पर सड़क का पुल

+

†*१०६०. { श्री ल० ब० विट्ठल राव :
श्री मं० वें० कृष्ण राव :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस-कन्या कुमारी राष्ट्रीय राजपथ पर रंगपुर के निकट कृष्णा नदी पर सड़क का पुल बनाने का काम शुरु हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी रकम खर्च होगी ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इस पुल का प्राक्कलित व्यय ३६.२९ लाख रुपये है ।

†श्री ल० ब० विट्ठल राव : क्या यह सच है कि आन्ध्र सरकार ने कई महीने पहिले प्राक्कलन प्रस्तुत कर दिए थे और क्या टेण्डर स्वीकार कर लिए गए हैं और उनकी मंजूरी दी जा चुकी है ?

†श्री राज बहादुर : भारत सरकार द्वारा नवम्बर, १९५६ में प्राक्कलन की मंजूरी दी गई थी। आन्ध्र सरकार द्वारा टेण्डर आमंत्रित किए गए थे और टेण्डरों को स्वीकार तथा अनुमोदित किए जाते ही काम शुरू कर दिया जाएगा ।

†श्री ल० ब० विट्ठल राव : क्या मैं यह समझूं कि आन्ध्र सरकार ने टेण्डर प्रस्तुत नहीं किए हैं ?

†श्री राज बहादुर : कुछ समय हुआ आन्ध्र सरकार ने प्राक्कलन प्रस्तुत किए थे। नवम्बर, १९५६ में भारत सरकार की मंजूरी प्रदान की गई थी। इसके बाद टेण्डर आमंत्रित किए गए थे । वे विचाराधीन हैं ।

†श्री रंगा : टेण्डर आमंत्रित करने, फिर उनकी जांच पड़ताल करने और फिर उन्हें स्वीकार करने में इतने घंटे कैसे लग जाते हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : इतने वर्ष !

†श्री राज बहादुर : यह एक ऐसा प्रश्न है जो आन्ध्र सरकार से किया जाना चाहिये । फिर भी यह कृष्णा नदी पर एक पुल बनाने की परियोजना है और इस प्रकार की परियोजना के लिए उपयुक्त ठेकेदारों तथा अन्य प्रबन्धों के सम्बन्ध में राज्य की कुछ कठिनाइयों को जानते हैं ।

†श्री हेडा : क्या यह सच है कि इस प्रकार की परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का काम राज्य सरकारों को सौंपा जाता है और इस मामले में जैसा कि अन्य मामलों में भी होता है, राज्य सरकार द्वारा टेण्डर आमंत्रित किए जाते हैं, फिर वह उनकी छानबीन करती है और उन्हें यहां भेजती है। यहां पर उनकी एक बार फिर जांच पड़ताल की जाती है और इस प्रकार समय नष्ट किया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री राज बहादुर : यह समय नष्ट करने का प्रश्न नहीं है क्योंकि कृष्णा नदी जैसी नदी पर पुल निर्मित करना एक अत्यन्त प्रविधिक प्रकार का कार्य है। जैसा कि माननीय सदस्य ने संकेत किया है; निःसन्देह राज्य सरकार ही टैण्डर आमंत्रित करती है और वही इनको जांच पड़ताल करती है। उन्हें इस बात को संतुष्टि करनी होती है कि वे स्वीकार्य टेण्डर हैं और फिर अपनी पसन्द की सूचना केन्द्रीय सरकार को देनी होती है। प्रविधिक पहलू के संबंध में हमें भी उसे अनुमोदित करना होता है।

†श्री रंगा : क्या मंत्रालय इस बात से सन्तुष्ट है कि अन्य स्थानों पर इसी प्रकार के किए गए कार्यों की तुलना में इतना ही समय लगना चाहिये और पहिले भी इतना ही समय लगता था ?

†श्री राज बहादुर : मैंने अब तक इस प्रकार के चार या पांच मामलों का अध्ययन किया है। ऐसी ही बात नर्बदा तथा चम्बल नदी पर पुल के संबंध में भी है। मैंने देखा है कि लगभग इतना ही समय या इससे भी अधिक समय उनमें लगा है।

†श्री ब० स० मूर्ति : रंगपुर स्थान पर इस पुल के निर्माण के संबंध में कुछ मतभेद था क्योंकि पहले इस पुल को ऐसे स्थान पर बनाने का विचार था जहां कुरनूल से हो कर सड़क गुजर सके। क्या यह पुल कुरनूल हो कर जाने वाली सड़क को मिलायेगा ?

†श्री राज बहादुर : यह पुल कुरनूल से फरुपनगर की सड़क पर है।

मैसूर में सामुदायिक परियोजनायें

†*१०६१. श्री वोडयार : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में सामुदायिक परियोजना का कार्य समाप्त होने पर कितनी राशि व्ययगत हो गई थी ; और

(ख) मैसूर राज्य के कितने जिलों में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों ने कार्य संभाला है ?

†सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) कुछ नहीं। सामुदायिक विकास खंडों की कार्यान्विति की अवधि को उपयुक्त रूप से इस प्रकार बढ़ाया गया है कि राज्य सरकार परियोजनाओं में खर्च न की गई शेष राशि का उपयोग कर सके।

(ख) बीस।

†श्री त्रि० ना० सिंह : हमने उत्तर नहीं सुना है। हमें मालूम नहीं कि कितनी राशि व्यपगत हुई है।

†श्री मोहम्मद इमाम : उत्तर धीरे–धीरे इस प्रकार देना चाहिये कि सुना जा सके।

†अध्यक्ष महोदय : मैं सुन सका हूं। माननीय सदस्य कैसे नहीं सुन सके हैं ? मंत्री महोदय ने कहा है कि कोई राशि व्यपगत नहीं हुई थी। माननीय सदस्यों को ध्यान देना चाहिये। मैं सभी माननीय सदस्यों पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं। कुछ माननीय सदस्य बीच में अपने पड़ौसियों से बातें करने लगते हैं और बात सुनते नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

उन्होंने कहा था कि किसी भी राशि को इस कारण व्यपगत नहीं होने दिया गया था कि जिस अवधि में वह राशि खर्च की जानी थी उसे बढ़ा दिया गया था। इसलिए कोई राशि व्यपगत नहीं हुई है। जहां तक (ख) का संबंध है, २० परियोजनायें प्रारम्भ की गई हैं। मैंने प्रश्न के दोनों भागों का उत्तर सुना है।

†**श्री वोडयार** : क्या सरकार का द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्त तक समस्त मैसूर राज्य में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड के स्थापित करने का प्रस्ताव है, और यदि हां, तो क्या वे योजना की प्रगति से सन्तुष्ट हैं ?

†**श्री सु० कु० डे** : जी हां। मैसूर में कार्यान्विति की गति बढ़ती जा रही है।

†**श्री वोडयार** : क्या यह सच है कि राज्य के कुछ जिलों की उपेक्षा की गई है ?

†**श्री सु० कु० डे** : मुझे ज्ञान नहीं है।

†**श्री तिम्मय्या** : १९५७–५८ के लिए कितने खण्ड आवंटित किए गए हैं और क्या मैं जान सकता हूं कि विशिष्ट जिलों को खंडों के आवंटन का निर्णय कौन करता है, केन्द्रीय सरकार करती है या राज्य सरकार करती है ?

†**श्री सु० कु० डे** : चालू वर्ष में आवंटित किए जाने वाले खण्डों की संख्या के संबंध में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, राज्य सरकार अपनी विधान सभा या जिला योजना समितियों के साथ परामर्श से जिलों में खंडों के आवंटन का निर्णय करती है।

†**श्री बासप्पा** : १९५७ के इन महीनों में मैसूर को कितने खंड आवंटित किए गए हैं और १९५७ के शेष महीनों में कितने और खंड आवंटित किए जायेंगे ?

†**श्री सु० कु० डे** : मेरे पास ठीक–ठीक आंकड़े नहीं हैं परन्तु यदि मुझे याद है तो लगभग २० खण्ड आवंटित किये गए हैं और सम्भवतः शेष चालू वर्ष में २० खंड और आवंटित किये जायेंगे।

†**सरदार अ० सिं० सहगल** : रकम व्यपगत न हो इसलिए कितने राज्यों में अवधि को बढ़ाया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न का संबंध मैसूर से है।

†**श्री सु० कु० डे** : जिस किसी राज्य ने भी अवधि बढ़ाने के लिए कहा है उसकी अवधि बढ़ा दी गई है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न संख्या १०६२, श्री कृष्णय्या। माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या यह 'कृष्णय्या' है ?

†**अध्यक्ष महोदय**: यहां तो यही लिखा है।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : उनका नाम 'बलराम कृष्णय्या' है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** तो फिर नाम उस प्रकार लिखा जाना चाहिये ।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** वह इस संबंध में पहिले भी शिकायत कर चुके हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या इसी कारण वह यहां नहीं आए हैं ?

विजयपुर-रांसीपुर रेलवे लाइन

†*१०६३. **श्री पु० र० पटेल :** क्या रेलवे मंत्री ३१ मई, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजयपुर–रासीपुर की प्रस्थापित रेलवे के लिये भूमि का अर्जन कब किया गया था;

(ख) वहां के वास्तविक भू–स्वामियों को प्रतिकर के रूप में कितनी राशि दी जानी है;

(ग) उन्हें अभी तक प्रतिकर क्यों नहीं दिया गया है ; और

(घ) उन्हें प्रतिकर कब अदा किया जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) १९४८–४९ में

(ख) लगभग १,४०,००० रुपये ।

(ग) महासाना के भूमि अर्जन पदाधिकारी ने इस सम्बन्ध में अभी तक अन्तिम फैसला नहीं किया है।

(घ) यदि असैनिक प्राधिकारी सितम्बर, १९५७ के अन्त तक अपना काम पूरा कर सके तो आशा है कि तब तक प्रतिकर अदा कर दिया जायेगा ।

†**श्री पु० र ० पटेल :** क्या इस भूमि का राजस्व वास्तविक भू–स्वामियों द्वारा अदा किया जाता है ?

†**श्री शाहनबाज खां :** जहां तक मुझे ज्ञात है रेलवे मंत्रालय ही राजस्व अदा कर रहा है।

†**श्री पु० र० पटेल :** क्या इसका यह अर्थ है कि रेलवे ही भू–राजस्व अदा कर रही है ?

†**श्री शाहनाबज खां :** यही तो मैंने कहा है । जहां तक मुझे ज्ञात है रेलवे ही अदा कर रही है ।

†**श्री पु० र० पटेल :** यह भू–राजस्व कब से अदा किया जा रहा है और कितनी राशि अदा की जा चुकी है ?

†**श्री शाहनाबज खां :** इस समय मेरे पास ठीक–ठीक आंकड़े नहीं हैं। इसके लिये मुझे अलग पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

†**श्री पु० र० पटेल :** रेलवे कब से रास्जव अदा कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वास्तविक प्रश्न का सम्बन्ध तो प्रतिकर से है ।

†**श्री पु० र० पटेल :** उनका यह कहना है कि रेलवे भू–राजस्व अदा कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : तो क्या हुआ ; यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ? वास्तविक प्रश्न का सम्बन्ध तो प्रस्थापित विजयपुर–रांसीपुर रेलवे राइन के लिये अर्जित भूमि के लिये प्रतिकर देने से है । यह सब कुछ बता दिया गया है कि कितना प्रतिकर देना है और उन्हें अभी तक अदा न करने के क्या–क्या कारण हैं । अतः भू–राजस्व का प्रश्न कहां उत्पन्न होता है ? माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा था और माननीय मंत्री ने उस प्रश्न का उत्तर दिया है यद्यपि, उन्हें इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिये था । मैं इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने की अनुमति नहीं दूंगा ।

†श्री त्रि० ना० सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उन बेचारे भू–स्वामियों को प्रतिकर अदा करने में १९४९ से १९५७ तक इतना अधिक समय लग गया है, क्या सरकार ने उन्हें कठिनाइयों से बचाने के लिये उन्हें कोई अन्तरीम अदायगी की है ?

†श्री शाहनवाज खां : सामान्य तरीका यह होता है कि रेलवे मंत्रालय भुगतान सम्बन्धित राज्य सरकार को करता है और राज्य सरकार भूमि अर्जन पदाधिकारी को । अतः रेलवे मंत्रालय की ओर से कोई विलम्ब नहीं हुआ है ।

†श्री त्रि० ना० सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस काम पर इतनी अधिक देर लग जाया करती है, क्या सरकार किसी ऐसी प्रथापना पर विचार कर रही है जिससे ऐसे मामलो में विशेषकर काश्तकारों को होने वाली कठिनाइयों को कम किया जा सके ?

†श्री शाहनवाज खां : माननीय सदस्य इस बात को समझ लें कि मामले का निर्णय करना हमारे हाथ में नहीं है इसका फैसला भूमि अर्जन पदाधिकारी को करना है । कई बार हम राज्य सरकारों से भी कहते हैं कि वे इस मामले को जल्दी से निपटायें । मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह मामला राज्य सरकारों के हाथ में है । मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि हमारी ओर से जरा भी देर नहीं हो सकती ।

†श्री पु० र० पटेल : अब जब कि ९ वर्ष बीत चुके हैं, रेलवे विभाग ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने बता दिया है कि भूमि अर्जन कार्यवाही के लिये राज्य सरकार ही जिम्मेदार है । ज्यों ही कार्यवाही प्रारम्भ होती है और पंचाट दिया जाता है, तो वह व्यक्ति, जिसके पक्ष में पंचाट दिया जाता है या अर्जन किया जाता है, जिला–न्यायालय में रुपया जमा करा देता है । फिर, बहुत से दावे किये जाते हैं । वास्तविक व्यक्ति तक धन के पहुँचने में ९ वर्ष का समय लगना असम्भव नहीं है । ऐसे मामले में तो १२ वर्ष भी लग सकते है । यह मामला ही ऐसा होता है ।

द्वितीय जहाज निर्माण कारखाने के सम्बन्ध में अन्तर्मंत्रालय समिति[1]

\+

†*१०६५. { श्री रघुनाथ सिंह :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय जहाज निर्माण कारखाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा नियुक्त अन्तर्मंत्रालय समिति ने कोई प्रतिवेदन दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो समिति की क्या क्या सिफारिशें हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Inter Ministerial Committee on the Second Shipyard.

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हाँ।

(ख) लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें समिति द्वारा की गयी मुख्य-मुख्य सिफारिशें दी गई हैं। [देखिये परिशिष्ठ ३, अनुबन्ध संख्या ६४]

श्री रघुनाथ सिंह : इस कमेटी का रिकमेंडेशन (सिफारिश) क्या है। जो ये यू० के० से एक्सपर्टस (विशेषज्ञ) आये थे और इनके सामने जो मामला पेश किया गया था उसके बारे में उन लोगों ने अपनी क्या राय दी है ?

श्री राज बहादुर : यू० के० से जो यह टीम आयी थी यह तो एडवांस पार्टी थी। एक्सपर्ट कमीशन तो अभी आने को है। इसलिए मैं समझता हूं कि वह सूचना तो नहीं दी जा सकती।

श्री रघुनाथ सिंह : यह ठीक है कि एक्सपर्ट कमीशन अभी आने वाला है, पर इन लोगों ने भी कुछ एन्क्वायरी की थी। उनके सामने यह मामला पेश किया गया था या नहीं ?

श्री राज बहादुर : उन्होंने तो साइट (स्थान) के बारे में देखभाल की थी। उन्होंने तो हिंटर लैंड मीन्स आफ कम्युनिकेशन्स (संचार साधन) रा मैटीरियल, एक्सपोर्ट (निर्यात) आदि की दृष्टि से देखा था कि शिपयार्ड कहां बनाया जाये। इसके लिए उन्होंने कई जगहें देखीं थीं। उनकी जो सिफारिशें हैं उनके बारे में मैं सम्प्रति कुछ नहीं कह सकता।

अखिल भारतीय गाड़ी परीक्षक कल्याण समिति*

+

†*१०६६. श्री वारियर :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय गाड़ी परीक्षक कल्याण समिति के उप प्रधान द्वारा (१) माल गाड़ियों के इंजन-डिब्बों की ठीक प्रकार से देखभाल न होने और (२) भारतीय रेलों के गाड़ी परीक्षकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में शिकायतों के बारे में दिये उस वक्तव्य की ओर, जो कि २७ जुलाई, १९५७ को बम्बई और कलकत्ता के दैनिक पत्रों में प्रकाशित हुआ था, सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्याओं के हल के लिये सरकार क्या क्या कार्यवाही कर रही है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हाँ।

(ख) लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ठ ३, अनुबन्ध संख्या ६५]

†श्री वारियर : इन गाड़ी परीक्षकों की क्या-क्या जिम्मेदारी होती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

*. All India Train Examiners Welfare Committee.

†श्री शाहनवाज खां : गाड़ियों का परीक्षण करना ।

†श्री वारियर : डिब्बों से टक्कर हो जाने पर कौन जिम्मेवार ठहरता है, गाड़ी परीक्षक या कि इंजन का इंचार्ज ?

†श्री शाहनवाज खां : यह तो दुर्घटना के अवसर पर निर्भर करता है । दुर्घटना हो जाने के बाद ही किसी को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है ।

†श्री वारियर : क्या उन्हें इंजनों के शेड में या लाइन पर कहीं भी हुई दुर्घटना के लिये जिम्मेवार ठहराया जा सकता है ?

†अध्यक्ष महोदय : मैं समझ नहीं सका कि इस प्रश्न का मुख्य प्रश्न से क्या सम्बन्ध है, यह प्रश्न उससे कैसे उत्पन्न हुआ ? प्रश्न का सम्बन्ध तो अखिल भारतीय गाड़ी परीक्षकों की कल्याण समिति से है । जब भी गाड़ियों की कोई दुर्घटना होती है तो विधि और विनियमनों के अनुसार ही जिम्मेवारी ठहरायी जाती है । अतः यह प्रश्न उससे उत्पन्न कैसे हुआ ? मूल प्रश्न में यह पूछा गया था कि उन्हें क्या-क्या सुविधायें दी गयी हैं और कल्याण समिति उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये क्या-क्या कर रही है । यह अनुपूरक प्रश्न उससे उत्पन्न नहीं हो सकता ।

†श्री प्रभात कार : क्या यह सच है समिति द्वारा एक वक्तव्य जारी किया गया है कि यदि वे नियमों का कठोरता पूर्वक पालन करें, तो बहुत से डिब्बे चलेंगे ही नहीं ? वह वक्तव्य प्रैस को दिया गया है ।

†श्री शाहनवाज खां : हमने वह वक्तव्य देखा है जो कि गाड़ी परीक्षक कल्याण समिति के उपप्रधान के नाम से छपा है ।

†श्री प्रभात कार : क्या उसम दी हुई बात सच है ?

†श्री शाहनवाज खां : यह सच नहीं है क्योंकि बहुत से चल रहे हैं ।

†श्री प्रभात कार : मेरा यह प्रश्न है कि क्या सुविधाओं की कमी के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? बात यह है कि यदि गाड़ी परीक्षक उन नियमों का कठोरता से पालन करें.....

†अध्यक्ष महोदय : ऐसे प्रश्न पूछने से क्या लाभ है ? माननीय सदस्य किसी और बात पर जोर दे रहे हैं और माननीय मंत्री इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नियमों का पालन करने के बावजूद भी डिब्बे चल रहे हैं ।

†श्री प्रभात कार : उन्होंने यह वक्तव्य दिया है कि वे रेलवे के नियमों का कठोरता पूर्वक पालन नहीं कर रहे हैं और यदि वे वैसा करें तो डिब्बे नहीं चल सकते ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री का यह कहना है कि वह वक्तव्य उन का नहीं अपितु कल्याण समिति के उप-प्रधान का है फिर भी डिब्बे चल रहे हैं । इस बारे में और क्या कहा जा सकता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री वारियर : वक्तव्य में यह कहा गया है :

"रेलवे के जनरल मैनेजरों का ध्यान समाचारपत्रों की कतरनों की ओर दिला गया है और उन से यह कहा गया है कि वह किशयतों के बारे में विस्तार पूर्वक जांच करने का प्रबन्ध करें और जांच के परिणामों को सूचित करें।"

हम यह पूछना चाहते हैं कि उस जांच का क्या परिणाम निकला है।

†अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस का उत्तर दिया है। सविस्तार जांच केवल दो विषयों के बारे में है, सभी के बारे में नहीं।

†श्री फीरोज गांधी : वे नियम, जिन के अनुसार गाड़ी परीक्षक कार्य करते हैं, भारतीय रेलवे सम्मेलन संस्था द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। क्या रेलवे बोर्ड ने गाड़ी परीक्षकों को ये हिदायतें जारी की हैं कि वे भारतीय रेलवे सम्मेलन सन्था द्वारा निर्धारित कुछ नियमों की उपेक्षा कर सकते हैं ?

†श्री शाहनवाज खां : मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने इस समस्या के सम्बन्ध में इतनी अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया है जितनी अच्छी तरह से माननीय सदस्य ने किया है। परन्तु मैं इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि सभा को ज्ञात है कि माल यातायात से रेलवे मंत्रालय को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम एक असाधारण स्थिति में काम कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में गाड़ी परीक्षकों को कई बार अस्थायी तौर पर आवश्यक प्रबन्ध करने पड़ते हैं। परन्तु फिर भी मैं उन की इस बात में सराहना करूंगा कि वे अत्यन्त सुचारु रूप से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और डिब्बों को लाइन पर चालू रखते हैं।

†श्री फीरोज गांधी : मैं प्रश्न को अब दूसरी प्रकार से पूछता हूं ताकि माननीय मंत्री उसे समझ सकें। रेलवे दुर्घटना जांच समिति ने और तदुपरान्त प्राक्कलन समिति ने इंजन-डिब्बों की देखभाल के प्रश्न पर विचार किया है और गाड़ी परीक्षकों की आलोचना करते हुए यह लिखा है कि वे ठीक प्रकार से अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। समितियों की ऐसी आलोचना को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने इंजन-डिब्बों के संधारण को सुधारने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की है ?

†श्री शाहनवाज खां : मेरा भी जांच से सम्बन्ध था। मैं रेल दुर्घटना जांच समिति का प्रधान था।

†श्री फीरोज गांधी : उस प्रतिवेदन पर, आप ने ही हस्ताक्षर किये थे।

†श्री शाहनवाज खां : कुछ एक मामलों की मैं ने जांच की थी और मुझे ज्ञात है कि कभी-कभी पुर्जों की कमी के कारण उन्हें अस्थायी तौर पर कुछ आवश्यक प्रबन्ध करने पड़ते हैं। कभी कभी पुर्जे आदि उपलब्ध नहीं होते। ऐसी परिस्थितियों में भी वे पूरा पूरा प्रयत्न करते हैं। हम भी आवश्यक कल-पुर्जों की व्यवस्था करने का पूरा पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। हम कमियों को भी पूरा करने का अधिक से अधिक प्रयत्न कर रहे हैं।

†श्री प्रभात कार : लगाये गये आरोपों को ध्यान में रखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वकुअम ब्रेक के डिब्बे, स्प्रिंग पेच तथा, अन्य आवश्यक पुर्जे उपलब्ध नहीं हैं, जो उन की शिकायतों को दूर करने और नियमों को बदल देने की अपेक्षा.....

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री प्रभात कार : प्रश्न यही है कि सरकार इस बारे में क्या क्या कार्यवाही कर रही है ?

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के (ख) भाग के उत्तर में यह बता दिया गया है। वे इस की जांच कर रहे हैं। अब और वे क्या पूछना चाहते हैं ? माननीय सदस्य प्रश्न पूछने से पहले यह निश्चय कर लिया करें कि वे प्रश्न के द्वारा क्या जानकारी चाहते हैं ?

†श्री प्रभात कार : क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

†अध्यक्ष महोदय : वह यह पूछना चाहते हैं कि जांच करते हुए भी इस दौरान में क्या क्या कार्यवाही की गयी है ।

†श्री शाहनवाज खां : हम यथासंभव सभी प्रकार की कार्यवाहियां कर रहे हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : उस समिति ने, जो कि इस की जांच कर रही है, कोई अन्तरिम सिफारिशें की हैं और क्या उन सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है ?

†श्री शाहनवाज खां : जी, नहीं ।

आन्ध्र में केन्द्रीय चावल गोदाम

†*१०६८. श्री ब० स० मूर्ति : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय चावल गोदाम की इमारत के लिये कितनी राशि निर्धारित की गयी है; और

(ख) १९५६–५७ में कितनी राशि खर्च की गयी थी ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) केन्द्रीय सरकारी गोदामों के निर्माण के लिये दी गयी राशि का राज्य-वार अलग अलग हिसाब नहीं रखा जाता ।

(ख) विशाखा पटनम्, में गोदाम के निर्माण पर लगभग २ लाख रुपये लगे थे ।

†श्री ब० स० मूर्ति : क्या वहां पर अनाज की अधिक वसूली के कारण और अधिक गोदाम बनाये जायेंगे ?

†श्री अ० म० थामस : हम ने अतिरिक्त अनाज के क्षेत्र को सामान्य रूप से दूसरे नम्बर पर रखा है। फिर भी, अनाज की अधिक वसूली को ध्यान में रखते हुए हम कुछ अस्थायी शेड* बना सकते हैं परन्तु वह प्रबन्ध तो अनाज को थोड़ी देर तक रखने के लिये होगा ।

†श्री ब० स० मूर्ति : गोदामों के लिये गैर-सरकारी व्यक्तियों को किराये के रूप में कितनी राशि अदा की जा चुकी है ?

†श्री अ० म० थामस : मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं । हमारा तो अधिक महत्वकांक्षी कार्यक्रम है; गोदामों के निर्माण के सम्बन्ध में, हमारा लक्ष्य २० लाख टन अनाज के लिये गोदाम बनाना है । इसके लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिये यद्यपि १२ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गयी थी तो भी हम अभी तक केवल ७८ लाख रुपये से कुछ ही अधिक खर्च कर सके हैं, परन्तु अब हम इस कार्य-क्रम की ओर पूरा पूरा ध्यान दे रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*Transit sheds.

†श्री रंगा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार को हाल ही में टाडा पल्लीगुडम और विजय वाड़ा जैसे स्थानों से चावल प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, क्या सरकार ने, जैसा मैं ने कहा है, इन स्थानों पर पर्याप्त बड़े गोदाम बनाने के औचित्य पर विचार किया है ताकि वहां पर अनाज रखा जा सके और जब भी आवश्यकता हो वहां से प्राप्त किया जा सके ?

†श्री अ० म० थामस : अनाज के ये स्टाक तो वहां पर इसलिये रखे जाते हैं कि वे कमी वाले क्षेत्रों में भेजे जा सकें ।

†श्री त० व० विट्ठल राव : माननीय मंत्री ने बताया है कि अतिरिक्त अनाज के क्षेत्रों को दूसरे स्थान पर रखा गया है ? तो किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है ?

†श्री अ० म० थामस : कमी वाले क्षेत्रों को ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : सर्वोच्च प्राथमिकता पत्तन नगरों को—जहां कि आयात होता है—और कमी वाले क्षेत्रों को दी जाती है । फालतू अनाज वाले क्षेत्रों में और अधिक अस्थायी गोदाम बनाने का विचार है ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : माननीय मंत्री ने कहा है कि गोदाम के निर्माण के लिये पत्तनों को ही प्राथमिकता दी जाती है । क्या हम तृतीय योजना और चतुर्थ योजना में भी विदेशों से अनाज का आयात करते रहेंगे ।

†श्री अ० प्र० जैन : फिलहाल तो आयात करने की योजना है । इसलिये हमें वहां पर गोदाम बनाने ही पड़ेंगे ।

†श्री रंगा : मैंने एक प्रश्न पूछा था परन्तु उस का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया था । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार को स्वयं ही हाल में फालतू अनाज वाले क्षेत्रों में अनाज प्राप्त करने में बड़ी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, क्या सरकार ने भांडागार व्यवस्था बोर्ड से परामर्श प्राप्त करते हुए इस बात के औचित्य पर विचार किया है कि फालतू अनाज वाले क्षेत्रों में बड़े बड़े गोदाम बनाये जायें जिन में कि वहां की उपज रखी जा सके ताकि अनाज की खपत करने वाले क्षेत्रों से मांग आने पर उन्हें अनाज संभारित किया जा सके ।

†श्री अ० म० थामस : आन्ध्र राज्य में भी १,४२,००० टन की धारिता वाले एक और स्टोर के निर्माण की योजना है । हम हैदराबाद में एक स्टोर निर्माण को भी प्राथमिकता दे रहे हैं । हम अतिरिक्त अनाज वाले क्षेत्रों की बिल्कुल ही उपेक्षा नहीं कर रहे हैं । परन्तु प्राथमिकता देते समय हमें उन स्थानों का पहले ध्यान रखना पड़ता है जिनका उल्लेख मेरे वरिष्ठ साथी ने किया है ।

†श्री ब० स० मूर्ति : क्या यह सच नहीं है कि कई गैर-सरकारी गोदामों की अनुपयुक्तता के कारण, अनाज खराब हो जाता है । टाडा पल्लीगुडम और काकिनाडा जैसे स्थानों पर स्थायी और उपयुक्त गोदामों की व्यवस्था करने के लिये क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने अभी अभी यह बताया है कि, आन्ध्र प्रदेश में लगभग १ लाख टन अनाज के लिये व्यवस्था की जा रहीं है और यह कि आन्ध्र सरकार को भी सहयोग करना चाहिये ।

†श्री ब० स० मूर्ति : अस्थायी गोदाम स्थायी गादामों से भिन्न हैं । मैं स्थायी गोदामों के बारे में पूछ रहा हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : क्या स्थायी गोदामों के सम्बन्ध में कोई पृथक व्यवस्था है ?

†श्री अ० प्र० जैन : कोई पृथक व्यवस्था नहीं है। वे ही गोदाम अन्न को अधिक देर तक रखने के काम आयेंगे और वे ही थोड़ी देर तक रखने के काम आयेंगे ।

उपहार कूपन योजना[१]

†*१०६९. श्री दामानी : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपहार कूपन योजना के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस योजना का देहाती क्षेत्रों में अधिक प्रचार करने के लिये सरकार के द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) यह योजना १ जुलाई, १९५७ को ही प्रारम्भ हुई है, इसलिये इस की प्रगति का अभी से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

(ख) योजना का शहरी और देहाती दोनों ही क्षेत्रों में व्यापक प्रचार किया जा रहा है। सरकार का विचार है इसे सफल बनाने के लिये स्वयं सेवकों, कल्याणकारी संस्थाओं, प्राधिकृत अभिकर्ताओं और गांव पंचायतों का सहयोग प्राप्त किया जाये ।

†श्री दामानी : क्या इन कूपनों को भुना कर नकद रुपया भी प्राप्त किया जा सकता है ताकि इस का विनिमय केवल राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों से ही हो सकता है ?

†श्री राज बहादुर : उन का केवल राष्ट्रीय वचत प्रमाणपत्रों से ही विनिमय हो सकता है ।

†श्री दामानी : इस योजना पर कितनी राशि खर्च की गई है ?

†श्री राज बहादुर : उस के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : इस योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

†श्री राज बहादुर : ये कूपन कई प्रकार के हैं—५ रुपये, १० रुपये, १०० रुपये, और १००० रुपये। यदि वे कूपन प्राप्त करने के बाद तीन मास के अन्दर अन्दर उपहार रूप में दे दिये जायें, तब उन के जारी होने की तिथि से ही उन पर ब्याज मिलने लग जाता है। परन्तु यदि तीन मास के बाद दिये जायें तो उस दिन से ब्याज मिलता जिस दिन दिये जायेंगे।

इन्दौर उज्जैन रेल लाइन

*१०७०. श्री क० भे० मालवीय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर से उज्जैन तक बड़ी लाइन का निर्माण कार्य समाप्त हो चुका हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस लाइन पर उज्जैन होते हुए इन्दौर-दिल्ली एक्सप्रैस चलाने का विचार है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१] Gift Coupons Scheme

श्री मानकभाई अग्रवाल : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस लाइन पर गुड्स ट्रैफिक तथा पैसेंजर ट्रैफिक कब से शुरू हो जायेगा ?

श्री शाहनवाज खां : में उम्मीद करता हूं कि इस साल के खत्म होने से पहले पहले यह लाइन खुल जायेगी ।

श्री राधे लाल व्यास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उज्जैन से देवास तक की लाइन बन चुकी है और यदि बन चुकी है तो उज्जैन से देवास तक माल का तथा यात्रियों का इस लाइन से आना जाना क्यों शुरू नहीं हुआ है ?

श्री शाहनवाज खां : किसी भी लाइन को खोलने से पहले उस का मुआयना गवर्नमेंट इंस्पैक्टर आफ रेलवेज द्वारा किया जाता है। जब वह यह सर्टिफाई कर देता है कि यह लाइन खोले जाने के काबिल है, तब उस को खोल दिया जाता है। अभी तो यह कार्यवाही जारी है और जैसे ही यह पूरी हो जायेगी, इस लाइन को खोल दिया जायेगा ।

श्री राधे लाल व्यास : इस लाइन को पूरा करने के लिये कौन सी तारीख निर्धारित की गई थी और उस तारीख के बाद से कितना समय उस को पूरा करने में और लगेगा और जो देरी हो रही है, उस के क्या कारण हैं ?

श्री शाहनवाज खां : मैं ने अभी अर्ज किया है कि यह लाइन इसी साल के खत्म होने से पहले पहले खोल दी जायेगी ।

श्री राधे लाल व्यास : कब इस लाइन को पूरा होना था और देरी के क्या कारण हैं, यह मैं जानना चाहता था ।

श्री शाहनवाज खां : इस के पूरा होने में जरा ज्यादा वक्त लग गया है। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है कि लोहे की तथा ट्रेक मैटीरियल की बड़ी कमी रही है और इस वजह से थोड़ी देर लग गई है और इस देरी के लिये मुझे अफसोस है :

अल्प-सूचना प्रश्न और उत्तर

छपरा-वाराणसी लाइन पर रेल गाड़ियों का आना जाना बन्द करना

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७. श्री राधामोहन सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे की छपरा-वाराणसी लाइन पर, उस लाइन के असुरक्षित होने के कारण, गाड़ियों का आना जाना रोक दिया गया है; और

(ख) पूर्वोत्तर रेलवे के सुरैमनपुर-रेवती स्टेशनों के बीच घाघरा नदी से हुए कटाव के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) घाघरा नदी से सुरैमनपुर और रेवती स्टेशनों के बीच रेलवे किनारे के १९।२० मील पर हुए कटाव के कारण औंड़िहार-छपरा सैक्शन में ४-८-५७ के दिन के ११ बजे से गाड़ियों का आना जाना रोक दिया गया है।

(ख) रेलवे किनारा लगातार कटता जा रहा है। मुख्य माग पर ६०० फुट लम्बा किनारा टूट गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राधा मोहन सिंह : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि नई लाइन बनाने के लिये कोई योजना विचाराधीन है ?

श्री शाहनवाज खां : जैसे ही दरिया ने इस लाइन को काटना शुरू किया, तो लाइन को पीछे की तरफ हटा कर एक और लाइन बनाई गई थी जिस की लम्बाई तकरीबन सात मील थी। लेकिन बदकिस्मती से दरिया वहां भी पहुंच गया और उस को भी तोड़ दिया। अब और पीछे हटा कर लाइन बना रहे हैं ।

श्री राधा मोहन सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जहां घाघरा नदी का मौजूदा कटाव है वहां से दो फर्लांग पर घाघरा का पुराना बेड है, अगर वहां तक कटाव चला गया तो घाघरा की धारा के दोआबा के बीच में से बहने लगेगी और पूरी लाइन भी नहीं बन पायेगी तमाम दोआबा क्षेत्र खतरे में पड़ जायेगा, तो उस को रोकने के लिये क्या किया जा रहा है ?

श्री शाहनवाज खां : जो हालात हैं वे तो हैं ही, उस को रोकने के लिये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : इस बात को देखते हुए भी कि इस लाइन के घाघरा नदी से कट जाने का खतरा पिछले कई वर्षों से है, सरकार इस को सुरक्षा के बारे में इतनी उपेक्षित क्यों रही है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जब नदियों में बाढ़ आ जाती है तो उस समय कुदरत का मुकाबला करना बड़ा कठिन हो जाता है। हम यथा संभव सभी प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री राधा मोहन सिंह : क्या मंत्री महोदय को पता है कि जहां इस वक्त लाइन मौजूद है वहां से दक्षिण की तरफ गंगा नदी का भी कटान ४ मील के अन्दर ही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ये सभी और प्रविधिक मामलों के बारे में हैं। पहले एक प्रयोग किया गया था और फिर दुसरा, दोनों के दोनों असफल सिद्ध हुए हैं। अब तीसरे प्रयोग के बारे में परीक्षण किया जा रहा है। प्रश्न यह किया गया है कि ऐसा क्यों हुआ है। हम यहां पर इंजीनियरिंग मामलों पर चर्चा कर रहे हैं। मंत्री महोदय प्रविधिक मामलों का उत्तर नहीं दे सकते। अब हम अगले प्रश्नपर विचार करेंगे ।

दिल्ली में जल संभरण में कमी

\+

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८.** { **श्री दी० चं० शर्मा** : / **डा० राम सुभग सिंह** : / **श्री राधा रमण** : }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के वजीराबाद वाटर वर्क्स की जलान्तर्ग्रहण चैनल[१०] में "प्राकृत जल"[११] की बड़ी भारी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा जल संभरण की इस कमी को पूरा करने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

१० Water Intake channel

११Raw Water

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) अन्तर्ग्रहण स्थान पर पानी की कमी नहीं है। तथापि, जब भी बाढ़ के बाद नदी उतरनी शुरु होती है, तब कुछ दिनों तक के लिये इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है।

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय जल गवेषणा केन्द्र पूना में व्यापक जांच की गई है और उस की सिफारिशों के अनुसार इस वर्ष एक "गाइड बैंक" बना दिया गया है और नदी पर एक बांध भी बनाया जायेगा। जब बांध पूरा हो जायेगा तो ऐसा विचार है कि वजीराबाद पम्पिंग स्टेशन के जलान्तर्ग्रहण कुंए की तरफ एक स्थायी गहरी चैनल बना दी जायेगी।

अस्थायी कार्यवाही के रूप में जब भी आवश्यक होता है यह चैनल काटने और उस को साफ करने के लिये ड्रेनर लगा दिये जाते हैं, और उन मजदूरों की बड़ी संख्या लगा दी जाती है जो कि दिन रात काम करते रहते हैं।

†श्री दी० चं० शर्मा : स्थायी बांध बनाने में कितना समय लगेगा ?

†श्री करमरकर : मेरा विचार है कि यह कार्यक्रम अगले दो वर्षों में पूरा हो जायेगा। संभव है इस उत्तर में गलती हो। मैं समय के बारे में निश्चित नहीं कह सकता हूं।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि पानी की कमी, जो माननीय मंत्री के मतानुसार चिन्ताजनक नहीं है। इसलिये थी कि नदी तल से मिट्टी निकालने की आवश्यकता थी और यदि हां, तो मिट्टी हटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†श्री करमरकर : नदी तल में मिट्टी भर जाने के अतिरिक्त नदी कभी कभी दुसरी ओर उन्मुक्त हो जाती है, पानी दुसरी ओर बहता है। इस अवस्था में हमें पुरानी नहर में से मिट्टी खोद कर साफ करना पड़ता है अथवा नहर को बढ़ाना पड़ता है। किन्तु इस कार्य में कोई चिन्तनीय बात नहीं है तथा इस कार्यवाही के सम्बन्ध में माननीय सदस्य को आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है; इस से पानी की कमी उत्पन्न नहीं होगी।

†श्री ब० स० मूर्ति : जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया था, क्या नदी के दिशा परिवर्तन पर नियंत्रण का कोई उपाय नहीं है ?

†श्री राधा रमण : दिल्ली में पानी की कमी का प्रश्न बहुत पुराना है। क्या दिल्ली में पानी की कमी का प्रश्न हल करने के लिये जल तथा मल प्रवाह बोर्ड[१२] से सरकार को कोई योजना प्राप्त हुई है तथा क्या सरकार ने इस पर विचार किया है ?

†श्री करमरकर : माननीय मित्र के प्रश्न का उद्देश्य यह बताना है कि दिल्ली की सम्पूर्ण जनसंख्या की आवश्यकता को देखते हुए जलसंभरण पर्याप्त नहीं है। माननीय सदस्य जानते हैं कि इस दिशा में अनेक उपाय किये गये हैं। इस समय हम १० लाख २० हजार से अधिक व्यक्तियों को जल संभरण नहीं कर सकते हैं। अधिक जल संभरण करने के लिये योजनायें हैं। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, हम ने यह समझा था कि इस का निर्देश जल ग्रहण स्थान पर पानी की कमी की ओर है। दूसरे प्रश्न का पूरा उत्तर देने के लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

†डा०सुशीला नायर : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पानी की कमी और जलग्रहण स्थान पर पानी की कमी प्रत्येक वर्ष उत्पन्न हो जाती है तथा जलग्रहण-स्थल की ओर पानी को प्रवाहित करने के लिये हर वर्ष अस्थायी चैनलों की खुदाई करनी पड़ती है, क्या मंत्री महोदय यह बता सकते हैं कि पिछले पांच वर्षों में बारम्बार इस कठिनाई का सामना करने के लिये अनुमानतः कितना रुपया खर्च किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

१२. Water and Sewage Board

†**श्री फीरोज गांधी** : पांच वर्षों में दिल्ली राज्य सरकार आसीन थी ।

†**श्री करमरकर** : माननीय मित्र ने प्रश्न का उत्तर दे दिया है (अन्तर्बाधा) मैंने केवल इतना ही कहा था कि प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है किन्तु यह प्रश्न दो भागों में है । यह कठिनाई बार बार उत्पन्न होती है । इस प्रकार के विषयों में हम पूना की गवेषणा केन्द्र जैसीं उपयुक्त संस्थाओं से राय लेते हैं । उन्होंने हमें एक ओर दीवार बनाने का परामर्श दिया है । जिसे हम ने पूरा कर लिया है । उन्हों ने यह भी कहा है कि सम्पूर्ण नदी के बीच में एक बांध बनाया जाये । इस के पहिले भी गवेषणा संस्था की राय अत्यन्त उपयुक्त सिद्ध हुई है और हमें आशा है कि भविष्य में ऐसी कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी । किन्तु यदि भविष्य में इस प्रकार की कठिनाई उत्पन्न हुई तो हम इस पर विचार करेंगे । प्रश्न के प्रथम भाग का यही उत्तर है ।

इस की लागत बताने के लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

†**डा० सुशीला नायर** : माननीय सदस्य पूर्णतया अवगत हैं कि संयुक्त जल तथा मल प्रवाह बोर्ड पर दिल्ली राज्य सरकार का अधिपत्य नहीं था । किन्तु इस के अतिरिक्त मैं यह भी उल्लेख कर दूं कि उत्तर प्रदेश में जमुना बांध बनाने की योजना थी ताकि ग्रीष्म ऋतु में भी जमुना में निरन्तर पानी बना रहे । इस से गर्मी और बाढ़ के उपरान्त उत्पन्न होने वाली पानी की कमी दूर हो जायेगी । क्या माननीय मंत्री ने इस पुरानी योजना की ओर ध्यान दिया है और प्रति वर्ष के खर्च को देखते हुए क्या सरकार उक्त योजना को मूर्त रूप देने का विचार रखती है ताकि सिंचाई सम्बन्धी लाभ के साथ साथ राजधानी में पानी की भी पर्याप्त सप्लाई हो सके ।

†**श्री करमरकर** : मैं भ्रम को दूर कर देना चाहता हूं । मैं ने अपने उत्तर में पुराने दिल्ली राज्य की ओर कतई निर्देश नहीं किया । दूसरे, हाल ही में जिन योजनाओं का परिनिरीक्षण किया गया था वे हैं—

(१) गाजियाबाद के समीप हिन्डौन जलाशय योजना, (२) उत्तर प्रदेश में नलकूप, और (३) गुड़गांव सुरंग योजना । चौथी है रामगंगा योजना । हाल की एक मीटिंग में, जिस में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय, और उत्तर प्रदेश और पंजाब सरकारों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, रामगंगा योजना के अतिरिक्त अन्य सब योजनायें परित्यक्त कर दी गई हैं । रामगंगा योजना बोर्ड द्वारा स्वीकार कर ली गई है । इस योजना के अनुसार काला गढ़ में एक बांध बनाया जायेगा जो उत्तर प्रदेश सरकार के लिये सिंचाई तथा विद्युत् के लिये जल संग्रह करेगा और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार दिल्ली को वजीराबाद से ऊपर की ओर अथवा कुछ ऊपर की और कुछ हिन्डौन नदी के ग्रांड ट्रंक रोड के संगम स्थल पर ३०० क्यूसेक जल दिल्ली को उपलब्ध करायेगा । वर्तमान में विचाराधीन योजना का यही सार है ।

प्रश्न १०७२-क के बारे में

श्री त्यागी : मैं एक प्रश्न के बारे में औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं । प्रश्न सामान्यतया जानकारी प्राप्त करने अथवा भ्रम निवारण के लिये पूछे जाते हैं । मैं ने यह जानने के लिये प्रश्न रखा था कि भारत में विभिन्न पत्तन में ठहरे हुए जहाजों पर कितना दैनिक हर्जाना दिया जाता है । लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा गया है । किन्तु मुझे सभा को और आप को यह बताते हुए खेद है कि उस में अनेक असंगत बातें बताई गई हैं । आज प्रातःकाल भी—

अध्यक्ष महोदय : औचित्य प्रश्न संक्षिप्त होता है । जहां तक सरकार द्वारा दिये गये उत्तर का सम्बन्ध है, कभी प्रश्न का नम्बर नहीं आता है तो उत्तर सभा पटल पर रख दिया जाता है । क्या मैं उन प्रश्नों को दुबारा निकाल कर उन पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दूं ?

---

*देखिये पृष्ठ संख्या ४१९०–९१

†मूल अंग्रेजी में

औचित्य प्रश्न उसी विषय के सम्बन्ध में होना चाहिये जिस पर सभा चर्चा कर रही है क्योंकि यदि मैं औचित्य प्रश्न स्वीकार करता हूं तो इस का अभिप्राय है कि अन्य किसी कार्य पर उस अवस्था में विचार नहीं होगा। यदि माननीय सदस्य उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं तो वह दूसरा प्रश्न प्रस्तुत करें अथवा इस बात का प्रयत्न करें कि प्रश्न पर्याप्त रूप में शीघ्र रखा जाये ताकि उन्हें सभा में अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर मिल सके। यदि प्रश्न सभा में नहीं पहुंचता है तो उस प्रश्न के सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति किस नियम के अन्तर्गत दी जाये ? यदि इस की अनुमति दी गई तो इस का अर्थ है प्रश्न के घंटे में वृद्धि करना और प्रश्न का घंटा बीत जाने पर भी सरकारी कार्य में दखल देना है ।

मैं देखूंगा कि यह विषय क्या है। माननीय सदस्य इसे औचित्य प्रश्न के रूप में क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि वह उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं तो वह अन्य विधि से—आधे घंटे की चर्चा आदि के माध्यम से इस पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

†**श्री त्यागी** : मैं उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिये इतना लालायित नहीं हूं किन्तु मैं संसद् और संसत्सदस्यों के अधिकारों के प्रति चिन्तित हूं। जब सदस्य प्रश्न पूछते हैं और उन के उत्तर दिये जाते हैं अथवा विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं तो यह आशा की जाती है कि उत्तर प्रश्न से संलग्न होगा ।

†**अध्यक्ष महोदयः** मैं इस प्रकार की चर्चा के लिये अनुमति नहीं दूंगा ।

†**श्री त्यागी** : उत्तर पूरा नहीं है । मैं यही कहना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदयः** : अध्यक्ष उत्तर के लिये जिम्मेदार नहीं है क्योंकि वह सरकार द्वारा दिये गये उत्तर की छानबीन नहीं करता । यदि माननीय सदस्य उत्तर से सन्तुष्ट न हों तो वह इस प्रश्न की सूचना दे सकते हैं और यदि फिर भी सन्तुष्ट न हों तो आधे घंटे की चर्चा उठाई जा सकती है। और फिर भी सन्तुष्टि न हो तो सदस्य स्वयं ही समझ सकते हैं कि ऐसे मंत्री के सम्बन्ध में क्या किया जाना चाहिये जो उत्तर न देना चाहते हों ।

†**श्री त्यागी** : मेरी कठिनाई यह है। जब मैंने अल्प सूचना प्रश्न प्रस्तुत किये तो अध्यक्ष ने इस की अनुमति नहीं दी। तदनन्तर तारांकित प्रश्न के रूप में इस की अनुमति दी गई। इसका जो भाग मैं प्रस्तुत करना चाहता था तो अध्यक्ष ने उसे समाप्त कर दिया। मैं ने कहा कि प्रश्न का वह भाग ही महत्वपूर्ण है; अध्यक्ष ने इस की अनुमति दे दी। अब मंत्री महोदय उक्त भाग का उत्तर नहीं दे रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय को यह कहने का अधिकार है कि 'यह लोकहित में नहीं है।' यदि प्रश्न यहां सभा में पूछा जाये तब भी मंत्री यह कह सकते हैं कि लोक हित में नहीं होने से वह उत्तर नहीं देंगे ।

†**श्री त्यागी** : वह यह भी तो नहीं कहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रश्न यहां तक पहुंचा ही नहीं है । और यदि प्रश्न यहां प्रस्तुत किया जाता तो वह कह सकते थे कि जन हित की दृष्टि में उत्तर नहीं देंगे । जब मंत्री ने मुझे लिखा है कि लोकहित की दृष्टि से इस का उत्तर वांछनीय नहीं है। तो मैं ने उतने हिस्से की अनुमति नहीं दी। माननीय सदस्य पहले मंत्री रह चुके हैं और मुझ से आग्रह कर रहे हैं कि इस भाग को प्रश्न में सम्मिलित कर लिया जाये और परेशानी पैदा कर रहे हैं। यदि मैं मंत्री

†मूल अंग्रेजी में

को वक्तव्य देने की अनुमति देता तो वह कह देते "लोकहित की दृष्टि से मैं इस का उत्तर नहीं दूंगा।" जब एक प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है और मंत्री ने कह दिया है कि इस का उत्तर लोक हित में नहीं है तो क्या फिर मैं यह कहूंगा कि यह लोकहित में नहीं होना चाहिये। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं इस का उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहता हूं।

†श्री त्यागी : मंत्री ने यह नहीं कहा है।

†अध्यक्ष महोदय : मंत्री ने मेरे माध्यम से यह बात कह दी है। इस विषय में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिये, यह वांछनीय नहीं है। मंत्री ही इस के निर्णायक हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गन्ने के कीड़े

†*१०४७. श्री विभूति मिश्र : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १५ मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल को लाल पड़ जने से रोकने के लिये की गई कार्यवाही १९५७–५८ की ऋतु में कहां तक लाभप्रद सिद्ध हुई है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ०प्र०जैन): १९५७–५८ की फसल कट जाने और गन्ने पैरने के पश्चात् ही यथार्थ परिणाम मालूम हो सकते हैं। कटाई की ऋतु नवम्बर में देर से प्रारम्भ होती है और आगामी अप्रैल-मई तक जारी रहती है।

बहानी क्रेनों[11] का क्रय

†१०४९. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हांगकांग से पुराने बहानी क्रेन खरीदने का विचार रखती है;

(ख) इनके लिये कितनी कीमत देने का विचार है;

(ग) ये क्रेन कब तक उपलब्ध हो जायेंगे ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). बड़े पत्तनों में प्रयुक्त किये जा सकने योग्य दो उपयुक्त पुराने बहानी क्रेन हांगकांग में बिक्र के लिये उपलब्ध बताये जाते हैं। विशाखपटनम में इस प्रकार के क्रेन की तीव्र आवश्यकता देखते हुए पत्तन के एक टैकनीकल अधिकारी वहां जाकर इसका निरीक्षण करने के लिये नियुक्त किये गये थे। उनकी रिपोर्ट मिल जाने पर एक क्रेन खरीदने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

कच्चे आमों को गैस के धूमन से पकाना

†*१०५३. श्रीमती पार्वती कृष्णन् : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के ध्यान में यह बात दिलाई गई है कि दिल्ली में आने वाले कच्चे आमों को कार-बाईड गैस के धूमन से पकाया जाता है;

मूल अंग्रेजी में

[11]Floating Cranes

(ख) क्या इस गैस से आमों के गूदे के जहरीले बनने की सम्भावना होती है;

(ग) क्या इस प्रकार की गैस से नागरिकों के स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्परिणामों की संभावना की सरकार ने जांच की है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, हां।

(ख) केलसियम कारबाईड से आम के गूदे को विषाक्त बना देने की संभावना के बारे में अभी तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है।

(ग) इस मामले की जांच की जा रही है।

रायलसीमा में डाकघर

†*१०५५. श्री रामकृष्ण रेड्डी : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डाक सुविधाओं में सुधार करने और पिछड़े क्षेत्र की प्रगति को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से रायल-सीमा में और उप-डाकघर खोलने का विचार है?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : जी, हां। यद्यपि डाकघर खोलने के प्रयोजन से पिछड़े क्षेत्रों की अनुसूची में यह क्षेत्र सम्मिलित नहीं है तो भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना की नीति के अनुसरण में १९५७-५८ से १९६०-६१ की अवधि में ४७० ब्रांच आफिस के अतिरिक्त २७ उप-डाकघर खोलने का विचार है।

खेती का जापानी ढंग

†*१०५८. श्री संगण्णा: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं, जौ, मक्का तथा अन्य फसलों की जापानी ढ़ंग पर खेती की जांच की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ग में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) प्रत्येक प्रयोग पर कितनी रकम खर्च हुई है; और

(घ) इसका परिणाम कब मालूम होगा?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जापानी ढंग से खेती करने और खाद देने के तरीकों के अन्तर्गत धान की उपज में वृद्धि का अनुमान लगाने के लिये १९५३-५४ से १९५५-५६ में कुछ जांच की गई थी। गेहूं, जौ, मक्का तथा अन्य फसलों की खेती के लिये कोई जापानी ढंग नहीं है।

(ख) उपरोक्त (क) के अन्तर्गत जिस जांच का निर्देश किया गया है वह धान के सम्बन्ध में है और पूरी की जा चुकी है।

(ग) धान केस सम्बन्ध में जांच करने के लिये ५३,७६० रुपये खर्च किये गये थे।

(घ) जांच के परिणाम अब उपलब्ध हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

बरवादीह-सरनादीह रेल सम्पर्क

†*१०५९. श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी रेलवे में बरवादीह और सरनादीह के बीच आंशिक रूप से बनाई गई रेलवे लाइन का पुनः निर्माण करने के बारे में कोई प्रस्ताव है?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

ओंगोल बैल

†*१०६२. श्री बलराम कृष्णय्या : : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश के ओंगोल बैलों को विदेशों में भेजने के विचार का अनुमोदन किया है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : जी नहीं।

विजयानगरम्–वाल्टेयर रेल मार्ग

†*१०६४. श्री राजगोपाल राव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयानगरम् और वाल्टेयर के बीच रेलमार्ग को दुहरा करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह मामला किस स्थिति पर है?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). वाल्टेयर-गोपालपत्तनम सैक्शन में पहले से ही दोहरा रेलमार्ग है तथा गोपालपत्तनम्–विजयानगरम् का प्रारम्भिक इंजीनियरिंग सर्वेक्षण प्रगति पर है।

काहिरापुजा (पालघाट) सिंचाई योजना

†*१०६७. श्री इ० ईयाचरण : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने काहिरापुज़ा (पालघाट जिला) सिंचाई योजना द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो योजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार कर कोई निर्णय किया है?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

पर्यटक सड़क योजनाएं

†*१०७१. { श्री हेम राज :
श्री दलजीत सिंह :
श्री पद्म देव :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में बनाई जाने वाली पर्यटतक सड़क योजनाओं की राज्यवार संख्या क्या है; और

(ख) उनमें से प्रत्येक पर कितना खर्च होगा?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पर्यटक सड़कों के लिये १ करोड़ रुपये का उपबन्ध है । प्रथम अवस्था में २८ लाख रुपये के लागत की २२ योजनाएं बनाई गई हैं। वित्तीय संकट के कारण यह निर्णय किया गया है कि १४ लाख रुपये के लागत वाली १२ छोटी छोटी योजनाएं ही कार्यान्वित की जायें। जिन १२ योजनाओं के सम्बन्ध में शीघ्र कार्य किया जायेगा उनका राज्यवार वितरण तथा प्रत्यक योजना पर खर्च होने वाली राशि का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [परिशिष्ठ ३, अनुबन्ध संख्या ६६]

टिड्डियों का आक्रमण

†*१०७२. { श्री कासलीवाल :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अफ्रीका और मध्य-पूर्वी देशों में टिड्डियों ने अपरिमित संख्या में अंडे दिये हैं;

(ख) क्या जिन देशों में इस प्रकार के टिड्डी-आक्रमण की संभावना है उनसे वहां स्थित हमारे डिड्डी विनाशक दलों की इस संकट का अन्त करने में सहायता देने के लिये कहा है; और

(ग) क्या इस स्थिति का सामना करने के लिये कोई और कार्यवाही की गई है?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) अफ्रीका और अरब के कुछ भागों में टिड्डियों द्वारा पर्याप्त संख्या में अंडे दिये गये हैं।

(ख) इन देशों में टिड्डी विनाशक भारतीय दल नहीं है।

(ग) भारत के रेतीले स्थानों में तथा टिड्डियों के इधर उधर जमाव की विनष्टि के लिये सर्वेक्षण कार्य को गहन रूप प्रदान कर दिया गया है। सम्बन्धित राज्यों को टिड्डियों के भावी खतरे के बारे में जानकारी दे दी गई है।

भारतीय बन्दरगाहों में भीड़भाड़

१०७२. **श्री त्यागी** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ जुलाई, १६५७ को भारत के विभिन्न बन्दरगाहों पर कितने जहाज माल उतारने की प्रतीक्षा कर रहे थे;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन्हें कितनी देर प्रतीक्षा करनी पड़ी;

(ग) ३१ जुलाई को २४ घंटे के लिये इन जहाज़ों को कितना हर्जाना देना पड़ा और क्या यह राशि भारतीय मुद्रा में दी गई; और

(घ) इस गतिरोध में भारत के कितने जहाज़ थे?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ९१।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ठ ३, अनुबन्ध संख्या ६७]

(ग) ९१ जहाजों में से ३२ जहाज भाटकित थे और भाटक करार के अनुसार केवल इन्हीं पर हर्जाना दिया जा सकता है। हर्जाना तब देना पड़ता है जब जहाज को भाटक करार में उल्लिखित समय से अधिक ठहराया जाये। वास्तव में कितनी राशि और किस मुद्रा में देनी होगी जब जहाज में से माल उतारा जा चुकेगा और समय पत्र तैयार हो जायेंगे।

हैदराबाद में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†*१०७३. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २२ मार्च, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके पश्चात हैदराबाद नगर में डाक तथा तार कमचारियों के लिये क्वार्टरों के निर्माण के लिये भूमि अर्जित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कब आरम्भ होगा; और

(ग) आयव्ययक वर्ष की समाप्ति तक कितने क्वाटरों के बन जाने की सम्भावना है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) अभी नहीं अर्जन करने के विषय में काफी कार्यवाही पूरी हो चुकी है।

(ख) और (ग). इमारत का प्राक्कलन, इसकी स्वीकृति आदि औपचारिकताओं पर कार्यवाही की जा रही है। विस्तृत कार्य भूमि अर्जित कर लेने पर होगा। आय व्ययक वर्ष की समाप्ति तक क्वाटरों के तैयार होने की कोई सम्भावना नहीं है।

रेल गाड़ियों का देर से चलना

*१०७४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या रेलवे मंत्री एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १९५६–५७ में भारतीय रेलों के विभिन्न महा-खण्डों में कितने प्रतिशत माल तथा सवारी गाड़ियां देर से चलीं ;

(ख) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे पर देर से चलने वाली गाड़ियों की संख्या सब से अधिक थी; और

(ग) यदि हां तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). एक बयान सभा-पटल पर रखा दिया गया है। [देखिये परिशिष्ठ ३, अनुबन्ध संख्या ६८]

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) गाड़ियों म वक्त की पाबन्दी सुधारने के लिए सब भारतीय रेलों में जो खास उपाय शुरू किये गये थे वे अब भी जारी हैं।

डाक तथा तार कर्मचारी

†*१०७५. श्री स० चं० सामन्त : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २८ मार्च, १६५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई ऐसे उप-डाक घर हैं जहां अधिक व्यय रहने पर भी कोई क्लर्क नहीं होता है; और

(ख) यदि हां, इस कमी को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) उन प्रमाणों को देखते हुए जिनके अनुसार विभाग में काम होता है जहां कहीं उचित समझा जाता है उप-डाक घरों के लिये क्लर्कों की मंजूरी दी जाती है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

चीनी का उत्पादन

†*१०७६. श्री मुरारका : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में चीनी के उत्पादन का लक्ष्य कितना है ;

(ख) इसमें से कितना पूरा हो चुका है; और

(ग) शेष लक्ष्य को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) २२.५ लाख टन चीनी प्रति वर्ष।

(ख) १६५६–५७ के मौसम में २०.२ लाख टन।

(ग) नये कारखाने स्थापित करने और वर्तमान कारखानों की अधिष्ठापित क्षमता को अपेक्षित सीमा तक बढ़ाने के लिये पर्याप्त संख्या में लाइसेंस जारी किये गये हैं।

इंजन के पुर्जे

*१०७७. श्री विभूति मिश्र : क्या रेलवे मंत्री ३० मई, १६५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ६३७ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में इंजन के पुर्जे बनाने के कारखाने की स्थापना के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): बनारस के पास मडुआडीह में रेल-इंजन के पुर्जे बनाने का एक कारखाना खोलने का फैसला किया गया है । कारखाना बनाने का काम शुरू किया जा रहा है अगर जरूरी विनिमय-दर मिलता रहा तो उम्मीद है कि कारखाना लगभग तीन साल में बनकर तैयार हो जायेगा ।

कोचीन में रेल कर्मचारियों के लिये द्वीप भत्ता

†*१०७८. { श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे पर बालिंगडन द्वीप (कोचीन) में काम करने वाले रेल कर्मचारियों को द्वीप-भत्ता नहीं दिया जाता है :

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है;

(ग) इस बारे में श्रमिक संघ द्वारा भेजे गये अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) द्वीप भत्ता मंजूर करने के क्या नियम हैं?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ). स्थानीय भत्ते देने में राज्य सरकार की प्रथा का अनुसरण किया जाता है । राज्य सरकार बलिंगडन द्वीप (कोचीन) में काम कर रहे अपने कर्मचारियों को कोई द्वीप भत्ता नहीं देती है। अतः रेलवे द्वारा यह भत्ता देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विजयवाड़ा के लिये विमान सेवा

†*१०७९. { श्री मं० वें० कृष्ण राव :
श्री बलराम कृष्णय्या :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इस बात को देखते हुए कि हैदराबाद और विशाखापटनम के बीच नया विमान सम्पर्क स्थापित हो गया है । विजयवाड़ा की विमान सेवाओं को बहाल करने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर) : इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन कुछ बड़े मार्गों पर वाइकाउंट विमान चालू करने के पश्चात् अपने मार्गों के ढांचे का पर्यावलोकन करेगी और उस समय विजयवाडा के लिये विमान सेवा के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा । आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री से पूछा गया है कि क्या राज्य सरकार यह सम्पर्क स्थापित करने में सहायता दे सकती है ।

पूर्वोत्तर रेलवे का दो जोनों में विभाजन

†*१०८०. श्री श्रीनारायण दास : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान पूर्वोत्तर रेलवे को दो जोनों में बांटने के बारे में ब्योरे की जांच करने के लिये कोई विभागीय समिति स्थापित करने का विचार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो समिति की रचना क्या है ;

(ग) क्या यह बंटवारा करने के लिये कोई समय निश्चित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कितना समय निश्चित किया गया है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गवनाहा रेलवे दुर्घटना

*१०८१. श्री विभूति मिश्र : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई १६५७ में भिकना थोरी में गाड़ी के शंटिंग करते समय दो माल के डिब्बे गाड़ी से अलग हो गये और पूर्वोत्तर रेलवे के भिकना थोरी स्टेशन से ६ मील दूर पर स्थित गवनाहा स्टेशन के होम सिगनल के पास रुकी हुई ४० बी० एन० पैसेंजर गाड़ी से टकरा गये, जिसके फलस्वरूप १ व्यक्ति की मृत्यु हो गई और १८ घायल हुए;

(ख) इस दुर्घटना के क्या कारण थे; और

(ग) जांच के बाद सरकार ने किन-किन व्यक्तियों को दोषी पाया और उनको क्या सजा दी गई ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ६-५-५७ को लगभग ११ बजकर १८ मिनट पर नं० ४ बी० एन० डाउन मिली-जुली गाड़ी पूर्वोत्तर रेलवे के नरकटियागंज भिकना थोरी शाखा लाइन पर गवनाहा स्टेशन की ओर आ रही थी। उसी वक्त दो लदे माल-डिब्बे, जो भिकना थोरी स्टेशन पर शंटिंग के समय इंजन से अलग हो गये थे, एक के बाद दूसरी ढलान पर लुढ़कते हुए गवनाहा की तरफ चले आये। गवनाहा स्टेशन पर डाउन सम्मुख कांटों से आगे बढ़ते ही ये डिब्बे नं० ४ बी० एन० डाउन मिली-जुली गाड़ी के इंजन से टकरा गये। कोई आदमी मरा नहीं। चार आदमियों को गहरी और सोलह को हल्की चोट आयी।

(ख) और (ग). मामले की जांच हो रही है और इसकी सूचना बाद में दी जायेगी।

रेलवे के लिये लोहे के स्लीपर

†*१०८२. श्री स० चं० सामन्त : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में काम आने वाले लोहे के स्लीपर बनाने के लिये लोहे के कबाड़ और पिण्डकों का संभरण कम है;

(ख) क्या बजरी और सीमेंट के स्लीपरों का प्रयोग किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ढले हुए लोहे के स्लीपर कच्चे लोहे से बनाये जाते हैं। पिण्डक और ढले हुए लोहे के कबाड़ को कच्चे लोहे में मिलाया जा सकता है। कच्चे लोहे की कमी है जिस का आयात किया जा रहा है।

(ख) जी हां। केवल कुछ एक।

(ग) परिणामों का पता कुछ वर्षों में बाद लगेगा जब कई स्लीपर प्रयोग में लाये जा चुकेंगे। यार्डों में बड़े पैमाने पर प्रयोग करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

कुरनूल में मैडिकल कालेज

१०८३. श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री नागी रेड्डी :

क्या स्वास्थ्य मंत्री ३१ मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ७१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उसके पश्चात केन्द्रीय सरकार ने आंध्र सरकार को कुरनूल में मैडिकल कालेज के लिये कितने रुपये की मंजूरी दी; और

(ख) क्या उसका भुगतान किया जा चुका है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) और (ख). अभी कोई राशि मंजूर नहीं की गई है।

बिहार में हैजा

†*१०८४. श्री श्रीनारायण दास : क्या स्वास्थ्य मंत्री २४ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १३९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के विभिन्न भागों में इस मौसम में हैजा फैलने और उसके समाप्त न होने के कारणों का अनुसन्धान करने के लिये बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार के विशेषज्ञों की सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक किस प्रकार की सहायता दी गई है ।

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) नहीं

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जंगली जानवरों का संरक्षण

†७८६. श्री ले० अचौ सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा रहेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंगई नामक दुर्लभ नस्ल के मृग मनीपुर के बनों में उपलब्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस नस्ल के संरक्षण के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है;

---

† मूल अंग्रेजी में

(ग) मनीपुर में जंगली जानवरों की मृगवन (सैंक्चुअरी) के लिये वनों का कितना क्षेत्र रक्षित रखा गया है ; और

(घ) मनीपुर में जंगली जानवरों के संरक्षण के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि स्वीकृत तथा व्यय की गई और द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कितनी राशि आवंटित की गई ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी हां, लोक्तक झील के किनारे कीबुल लम्जाओ स्थान पर ।

(ख) कीबुल लम्जाओ क्षेत्र को सैंक्चुअरी बनाया गया है । ब्रो एन्ट्लर्ड डियर (एक जाति विशेष का हिरण) को मनीपुर में संरक्षित जानवर घोषित किया गया है और इस संरक्षण को लागू करने के लिये आवश्यक नियम प्रख्यापित किये गये हैं ।

(ग) लगभग २० वर्ग मील ।

(घ) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में कोई रुपया मंजूर अथवा खर्च नहीं किया गया ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कीबुल लम्जाओ मृगवन (सैंक्चुअरी) के विकास के लिये १.२ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

माल-डिब्बों का पटरी से उतर जाना

†७८७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १५ जुलाई, १९५७ को इन्दौर से तीन मील दूर पश्चिम रेलवे के मीटर लाइन सैक्शन पर लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन के निकट माल गाड़ी के तीन डिब्बे पटरी से नीचे उतर गये थे ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : १५-७-१९५७ को १०.२० बजे जब कि रतलाम से मऊ जाने वाली नं० ११८१ अप मालगाड़ी पश्चिम रेलवे अजमेर-खंडवा मीटर लाइन सैक्शन पर इन्दौर गुड्स यार्ड में दाखिल हुई तो लक्ष्मीबाई नगर और इन्दौर के बीच मील ३०५/१३-१४ पर सात माल डिब्बे पटरी से उतर गये । दुर्घटना के कारण की जांच जा रही है ।

बारकोट पुल[१४]

†७८८. **श्री प्र० चं० देव** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के जिला सम्बलपुर में राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६ पर बारकोट पुल के निर्माण के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई है ;

(ख) उक्त पुल के निर्माण को पूरा करने के लिये वास्तव में कितना व्यय किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त पुल के निर्माण के दौरान में ही ठेकेदारों को बदल दिया गया ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

---

† मूल अंग्रेजी में

[१४]Barkote Bridge

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १५,५३,००० रुपये ।

(ख) अन्तिम परीक्षित आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं परन्तु प्राप्त हो चुके अस्थायी आंकड़ों के अनुसार शेष दायित्वों समेत कुल खर्च १८,९५,७४८ रुपये है ।

(ग) जी हां ।

(घ) पहले जिस ठेकेदार को काम सौंपा गया था उसके काम की प्रगति ठीक नहीं थी और वह उसे सुधार नहीं सका । अन्त में उस ने कह दिया कि वह काम जारी रखने में असमर्थ है । उसके अनुसार ठेका समाप्त कर दिया गया और जमानत जब्त कर ली गई । उसके बाद काम दूसरे ठेकेदार को दे दिया गया ।

मदुरा–बोदीनायकनूर रेलवे

†७८९. श्री नारायणस्वामी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मदुरा-बोदीनायकनूर रेलवे घाटे पर चल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जैसा कि १९५३–५४ से १९५६–५७ तक की आय, कार्य चलाने के व्यय और कुल प्राप्तियों के उस विवरण से, जो कि सभा पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ठ ३, अनुबन्ध संख्या ६९] स्पष्ट है कि इस लाइन से कोई बचत नहीं हो रही है ।

(ख) इस लाइन से बचत न होने का मूल कारण मोटर गाड़ियों से प्रतिस्पर्धा और कोनी और डिंडिगल के बीच रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़क का फासला कम होना है ।

मैलानी-कोड़ियाला घाट लाइन पर रेल गाड़ियां

७९०. श्री खुशवक्त राय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे की मैलानी-कोड़ियाला घाट पर जो रेलगाड़ियां चलती हैं वे बहुत ही धीमी गति से चलती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का इन रेल गाड़ियों की गति बढ़ाने के लिये कोई उपाय करने का विचार है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) मैलानी-कोड़ियाला घाट सेक्शन में गाड़ियों की रफ्तार पर पाबन्दी लगायी गयी है । गाड़ियां अधिक से अधिक १५ मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलायी जा सकती हैं ।

(ख) यह पाबन्दी इसलिए लगायी गयी है क्यों कि रेल की पटरियां बहुत अधिक घिस गयी हैं और फिश प्लेट टूटे-फूटे हैं ।

---

† मूल अंग्रेजी में

(ग) जी हां। १६५८-५६ में घिसी हुई पटरियों को हटा कर काम लायक चुनी हुई पटरियां बिछाने का विचार है। उम्मीद है कि इसके बाद गाड़ियों को अधिक से अधिक २० मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलाने की इजाजत दी जा सकेगी।

नैगाम स्टेशन पर सामान के लदान का प्लेटफार्म[15]

†७६१. **श्री नौशीर भरूचा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि नैगाम रेलवे स्टेशन (पश्चिम रेलवे पर भयंडर और बस्सीन रोड के बीच) बम्बई पर नमक के लदान के एक प्लेटफार्म की सख्त जरूरत है ;

(ख) क्या सरकार ने ३१ मार्च, १६५८ से पूर्व लदान के लिये इस प्लेटफार्म का निर्माण करने का निश्चय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस काम में कितनी प्रगति हुई है और इस परियोजना के लिये कितनी राशि निकाली गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). नहीं, श्रीमान्। हाल ही में इस स्टेशन पर नमक के लदानकी सुविधाओं को व्यवस्था करने के लिये भयंडर नमक व्यापारी और विक्रेता संघ से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। रेलवे स्टेशन तक कोई मोटर की सड़क नहीं है जिसके कारण व्यापारी खेपों को बुक कराने के लिये स्टेशन तक नहीं ला सकते। संघ ने सूचना भेजी है कि वह मोटर की एक अच्छी सड़क बनाने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं। यहां से माल बुक कराने की सुविधाओं के बारे में सड़क बन जाने के बाद इस आधार पर बातचीत की जायेगी कि वहां बुकिंग के लिये कितना माल आता है और साथ ही यह भी देखा जायेगा कि उतने ही महत्व के अन्य स्टेशनों की मांग क्या है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मीन क्षेत्रों सम्बन्धी गवेषणा

†७६२. **श्री धर्मलिंगम्** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १६५६-५७ में मीन-क्षेत्रों सम्बन्धी गवेषणा पर कितना व्यय किया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० म० जैन)** : केन्द्रीय मीन क्षेत्र गवेषणा केन्द्र कलकत्ता और मंडपम कैम्प और गहरे पानी में मछलियां पकड़ने के केन्द्र बम्बई में किये गये गवेषणा कार्य पर २१,१२,६६५ रुपये खर्च हुए।

अंशदायी चिकित्सा सेवा योजना

†७६३. **श्री धर्मलिंगम्** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिरक्षा, डाक तथा तार विभाग और रेलवे के कर्मचारियों के अतिरिक्त उस समय केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारी अनिवार्य रूप से अंशदायी चिकित्सा सेवा योजना में अंशदान दे रहे हैं ?

---

† मूल अंग्रेजी में

[15]Loading Platform

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : प्रतिरक्षा, डाक तथा तार विभाग और रेलवे के कर्मचारियों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के अन्य ६७,४३३ कर्मचारी इस समय अंशदायी चिकित्सा सेवा योजना में अंशदान दे रहे हैं ।

बम्बई में सड़कें

†**७९४. श्री पांगरकर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में केन्द्रीय सरकार ने बम्बई राज्य से कितनी सड़कें राष्ट्रीय राजपथों में परिवर्तित करने के लिये लीं ; और

(ख) मई, १९५७ की समाप्ति तक कितने मील लम्बी सड़कें तैयार हो गईं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) कोई नहीं ।

(ख) शायद यह भाग (क) में उल्लिखित सड़कों के बारे में ही है, यदि हां, तो प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जिला परभणी में सामुदायिक परियोजना

†**७९५. श्री पांगरकर** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, १९५७ को समाप्ति तक जिला परभणी (बम्बई) में सामुदायिक परियोजना पर कुल कितनी पूंजी खर्च की गई है ;

(ख) परियोजना सम्बन्धी कर्मचारियों पर कितना खर्च किया गया ; और

(ग) बम्बई की अन्य परियोजनाओं के कर्मचारियों पर व्यय के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) और (ख) . जून, १९५७ तक क्रमश: ३.१५ और १.३३ लाख रुपये ।

(ग) उस राज्य के वैसे ही कुछ खंडों के तुलनात्मक आंकड़े दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७०]**

नौवहन समवायों को ऋण

†**७९६. श्री० दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में अब तक नौवहन समवायों को समवायवार कितना ऋण दिया गया ; और

(ख) ऋण की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादर)**: (क) १९५७ के प्रारंभ से नौवहन समवायों को कोई और नये ऋण नहीं दिये गये हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

दिल्ली विकास प्राधिकार मंडल[16]

†७९७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली विकास प्राधिकारमंडल ने मई, जून और जुलाई, १९५७ के महीनों में मकानों को गिराने के कितने नोटिस दिये ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर):** दिल्ली विकास (अस्थायी) प्राधिकार मंडल ने मई, जून और जुलाई, १९५७ में मकान गिराने के जो नोटिस दिये उन की संख्या निम्न प्रकार है :—

मास	संख्या
मई	२
जून	२
जुलाई	७

उत्तर प्रदेश में सड़कें

७९८. **श्री भक्त दर्शन :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की आर्थिक महत्व की जिन तैंतीस सड़कों के विकास के लिये ढाई करोड़ रुपयों का विशेष अनुदान कुछ वर्ष पहले स्वीकार किया गया था, उन में से प्रत्येक के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है और उन में से प्रत्येक के लिये भारत-सरकार अब तक कितना अनुदान दे चुकी है ; और

(ख) उन सड़कों का शेष निर्माण-कार्य सन् १९५७-५८ के वित्तीय वर्ष के अन्त तक समाप्त कर देने के उद्देश्य से कौन से विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) एक विवरण साथ में लगा दिया गया है ।

(ख) जब अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कों के निर्माण के लिये कार्यक्रम तैयार किया गया था तो ऐसा विचार था कि इस सम्पूर्ण कार्य-क्रम को १९५४-५५ से ले कर १९५७-५८ तक चार वर्ष के अन्दर पूरा कर दिया जायेगा । फिर भी इस लक्ष्य को प्राप्त करना सम्भव नहीं हो सकेगा । इस का खास कारण यह है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस के लिये धन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है । उपरोक्त स्थिति को परिवहन मंत्रालय की १९५५-५६ की प्रशासन रिपोर्ट के दूसरे भाग के २८वें अनुच्छेद में स्पष्ट कर दिया गया था ।

डिब्बों के लिये ठेके

†७९९. **श्री विभूति मिश्र :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार ने बड़ी लाइन और मीटर लाइन के डिब्बों के खोलों[17] के संभरण का ठेका कलकत्ते की कुछ फर्मों को दिया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[16]Delhi Development Authority

[17]Under-frames

गृह-विज्ञान केन्द्र[१८]

†८००. **श्री बहादुर सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों और किन-किन स्थानों में गृह-विज्ञान केन्द्र खोले गये हैं ; और

(ख) इन केन्द्रों में कार्यकर्त्ताओं को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन):** (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७२]

केरल में रेल के डिब्बों का कारखाना

†८०१. **श्री कोडियान :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केरल में रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना खोलने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चीनी का आयात

†८०२. **श्री मुरारका :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष कुल कितने मूल्य की कितनी चीनी का आयात किया गया है ;

(ख) उपर्युक्त आयात में से कितनी चीनी बिक चुकी है और उस की कितनी कीमत वसूल हुई है ; और

(ग) अब तक कितना लाभ हुआ है और बचे हुए स्टाक पर कुल कितना लाभ होने की आशा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन):** (क) पिछले चार वर्षों में सरकारी खाते आयात की गई सफेद चीनी और परिष्कृत करने के लिये चीनी मिलों द्वारा आयात की गई खांड[१९] के परिमाण इस प्रकार हैं :—

	सफेद चीनी		खांड	
	परिमाण (लाख टनों में)	लागत भाड़ा सहित मूल्य (करोड़ रुपयों में)	परिमाण (लाख टनों में)	लागत भाड़ा सहित मूल्य (करोड़ रुपयों में
१९५३-५४	२.५१	१३.३३	..	..
१९५४-५५	८.५३	४३.८९	०.७६	३.३८
१९५५-५६	२.२३	११.५१		..
१९५६-५७ .	..		..	
कुल जोड़ .	१३.२७	६८.७३	०.७६	३.३८

†मूल अंग्रेजी में

[१८]Home Science Centre

[१९]Raw Sugar

(ख) सरकारी खाते आयात की गई पूरी चीनी बिक चुकी है । बिक्री मूल्य के रूप में वसूल हुई कुल राशि १०७ करोड़ रुपये है ।

खांड को परिष्कृत कर बनाई गई सब चीनी भी चीनी मिलों द्वारा निपटाई जा चुकी है ।

(ग) सफेद चीनी पर सरकार को जो लाभ हुआ है वह लगभग २८.३३ करोड़ रुपये का सीमा-शुल्क और अन्य सब प्रासंगिक व्यय अदा करने के बाद कुल मिला कर लगभग ५.८४ करोड़ रुपये होती है ।

सहायक नर्सें और दाइयां[३०]

†८०३. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री कुन्हन :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में प्रत्येक राज्य में कुल कितनी सहायक नर्सों और दाइयों ने प्रशिक्षण पूरा किया था ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल में प्रशिक्षण पूरा करने वाली सहायक नर्सों और दाइयों की संख्या नीचे दी जाती है :

राज्य का नाम	दिसम्बर, १९५६ तक अर्हता प्राप्त करने वालियों की संख्या
आंध्र	४
आसाम	४९
बिहार	१२
बम्बई	१६
केरल	३
मध्य प्रदेश	८३
मद्रास	३९
पंजाब	६८
पश्चिमी बंगाल	७५
कुल जोड़	३४९

धान और चावल

†८०४. **श्री सूपकार :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बत की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ के जून और जुलाई महीनों में कुल कितना धान और चावल रेल द्वारा उड़ीसा के बाहर भेजा गया ; और

†मूल अंग्रेजी में

[३०]Auxiliary Nurses and Midwives

(ख) कितना गैर-सरकारी तरीके से भेजा गया है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जन) : (क) १९५७ के जन और जुलाई महीनों में लगभग ७,७४० टन चावल और ८० टन धान उड़ीसा राज्य के बाहर भेजा गया था ।

(ख) लगभग ७०० टन ।

पेरम्बूर वर्कशाप

†८०५. श्री तंगामणि : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चतुर्थ श्रेणी के ऐसे बहुत से कर्मचारियों को, जिन्हों ने पेरम्बूर वर्कशाप (दक्षिण रेलवे) में विभिन्न व्यवसायों की परीक्षायें[२१] पास कर ली हैं, उन्हें शिल्पियों[२२] के मौजूदा रिक्त पदों के लिये पदोन्नति नहीं दीं जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्यों ;

(ग) क्या यह सच है कि पेरम्बूर वर्कशाप (दक्षिण रेलवे) में स्थायी रिक्तताओं को भी नहीं भरा जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो क्यों ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं । इस समय १२९ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने व्यवसायों की परीक्षायें पास की हैं । इन में से १० ऐसे हैं जो सजाय भुगत रहे हैं और दण्ड की अवधि में पदोन्नति पाने के अधिकारी नहीं हैं । जैसे जैसे स्थान रिक्त होते जायेंगे, शेष ११९ व्यक्तियों को पदोन्नति मिलती जायेगी ।

(ख) इस समय कोई भी स्थान रिक्त नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे क्वार्टर

†८०६. श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों की कमी होने के फलस्वरूप दक्षिण रेलवे के ओलवक्कोट मंडल कार्यालय[२३] के कार्य को क्षति पहुंच रही है ; और

(ख) पर्याप्त संख्या में क्वार्टरों का निर्माण करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)) : (क) जी नहीं ।

(ख) लगभग चार महीनों में ३८७ क्वार्टरों का निर्माण पूरा हो जाने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[२१]Trades-Tes

[२२]Artisans

[२३]Divisional Office

रेलवे कर्मचारियों की भर्ती

८०७. **श्री सिदय्या** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के मैसूर मण्डल में वर्ष १९५५-५६ और १९५६-५७ में सेवाओं की विभिन्न पदालियों में कुल कितने रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई है ;

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये विभिन्न पदालियों में इन वर्षों में कुल कितने स्थान सुरक्षित किये गये थे ;

(ग) इन जातियों के अभ्यर्थियों से इस अवधि में कितने स्थानों की पूर्ति की गई थी ; और

(घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये जो स्थान सुरक्षित रखे गये हैं उन सभी को भरने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) से (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में आवश्यक जानकारी दी हुई है । [देखिये परिशिष्ठ ३, अनुबन्ध संख्या ७३]

(घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सुरक्षित सभी स्थान भरे जा चुके हैं ।

कटक में पौधा संरक्षण केन्द्र[२४]

†८०८. **श्री संगण्णा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक में पौधा संरक्षण केन्द्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में कितनी प्रगति हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). कटक में पौधा संरक्षण केन्द्र खोला जा चुका है ।

पूर्वोत्तर रेलवे पर यात्री सुविधायें

८०९. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के इलाहाबाद और कटिहार के बीच के सभी रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को पानी पिलाने की व्यवस्था है ;

(ख) क्या इस लाइन पर ऐसे स्टेशन हैं जहां गर्मी की ऋतु में भी यात्रियों को पानी पिलाने के लिये कोई व्यक्ति नहीं रखा जाता ; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). इलाहाबाद-कटिहार सेक्शन पर कुछ ऐसे स्टेशन हैं जहां यात्रियों को पानी पिलाने के लिये पूर्णकालिक[२५] आदमी नहीं रखे गये हैं । इन स्टेशनों पर यात्रियों का आना-जाना कम रहता है और यहां पानी पिलाने के लिये पूर्णकालिक आदमी रखना उचित नहीं जान पड़ता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[२४]Plant Protection Centre

[२५]Whole-time

लेकिन ऐसे सभी स्टेशनों पर सामान्य काम करने वाले दूसरे कर्मचारी यात्रियों को पानी पिलाते हैं और यह इंतज़ाम इन स्टेशनों के यात्रियों की ज़रूरत पूरी करने के लिये काफी समझा जाता है ।

गुजरात में छोटे पत्तन

†८१०. **श्री पु० र० पटेल :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कुल कितने छोटे पत्तन हैं और उन का विकास करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या गुजरात के अन्य संभावित पत्तनों के बारे में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम हुए ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) से (ग). बम्बई राज्य के अहमदाबाद, कैरा, भड़ौच, सूरत और थाना जिलों में कुल मिला कर २८ छोटे पत्तन हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन में से महत्वपूर्ण समझे जाने वाले आठ पत्तनों के बारे में विकास योजनायें सम्मिलित की गई हैं। ये योजनायें भारत सरकार के प्रविधिक पदाधिकारियों ने राज्य-सरकार के परामर्श से तैयार की हैं। लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में इन योजनाओं का ब्यौरा दिया हुआ है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७४**]

कड़पा जिले में डाक-घर

†८११. **श्री रामी रेड्डी :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कड़पा जिले (आंध्र राज्य) के कुछ डाक-घरों को अपने यहां से ५–५ मील दूर-स्थित गांवों में डाक बांटनी पड़ती है ;

(ख) यदि हां, तो इस दूरी को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है जिस से डाक का जल्दी बटना सुनिश्चित हो सके ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) जी हां। ३५ डाक-घरों को १२१ ऐसे गांवों में डाक बांटनी पड़ती है जो उन के यहां से पांच मील से भी अधिक दूर हैं लेकिन इन में प्रतिदिन से ले कर सप्ताह में दो बार तक डाक का वितरण करने का नियम विहित है। लेकिन इन में से भी ७६ गांव ऐसे हैं जिन की नियमित रूप से गश्त नहीं की जाती है और उन में डाकिये तभी जाते हैं जबकि वहां कुछ डाक देनी हो ।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में इस जिले में लगभग १४० नये डाक-घर खोले जाने वाले हैं और साथ ही जिन डाक-खानों के लिये आवश्यक समझे जायेंगे उन के लिये डाक बांटने वाले अतिरिक्त कर्मचारी मंजूर किये जायेंगे। इन से डाक-घर गांवों के निकट आ जायेंगे और डाक बांटने के लिये गश्तों की संख्या भी बढ़ जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुरी–कोणार्क सड़क

†८१२. **श्री संगण्णा** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ३१ मई, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरी-कोणार्क सड़क (उड़ीसा) पर पड़ने वाले पुलों पर कार्य सम्बन्धी प्राक्कलन मंजूर किये जा चुके हैं ; और

(ख) यदि नहीं तो विलम्ब होने का क्या कारण है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) पुलों सम्बन्धी प्राक्कलनों को कुछ प्रविधिक जानकारी देने और उन में कुछ रूपभेद करने के लिये राज्य के चीफ इंजीनियर को ही लौटा देना पड़ा था । इसलिये प्रविधिक जांच में अभी कुछ और समय लगेगा ।

इम्फाल सिविल अस्पताल में हैजे के मरीज

†८१३. **श्री ले० अवौ सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई के पहले सप्ताह में इम्फाल सिविल अस्पताल में हैज़े के कितने मरीज़ भर्ती किये गये थे ; और

(ख) क्या अस्पताल में छुतहा रोगों के लिये पृथक रखने का कोई प्रबन्ध है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) एक भी नहीं ।

(ख) जी नहीं । लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इम्फाल के निकट चिनमेइरोंग में चिकित्सा विभाग के किसी खाली भवन में छुतहा रोगों के लिये पृथक रखने के लिये प्रबन्ध कर दिया जायेगा ।

गंटाकल–सिकन्दराबाद रेलवे लाइन

†८१४. **श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंटाकल-सिकन्दराबाद रेलवे लाइन पर जून, १९५७ से रात को ट्रेनों का आना-जाना बन्द कर दिये जाने के बाद से कितने पुलों की मरम्मत की जा रही है ; और

(ख) किस प्रकार की मरम्मत की जा रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) रात के समय ट्रेनों का चलना केवल सिकन्दराबाद-द्रोणचलम सेक्शन पर ही बन्द किया गया है लेकिन यह इस कारण से नहीं किया गया है कि इस सेक्शन के कुछ पुलों की बड़ी मरम्मत करनी थी ।

(ख) पुलों के रख-रखाव के सम्बन्ध में जिस छोटी-मोटी मरम्मत की जरूरत पड़ती वैसी ही मरम्मत, आवश्यकता पड़ने पर, की जाती है ।

डाक-कर्मचारी

†८१५. **श्री संगण्णा** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के डाक तथा तार विभाग में संवैधानिक परिवर्तन होने के फलस्वरूप पाकिस्तान, बर्मा और भूतपूर्व राज्यों से जो कर्मचारी स्थानांतरित हो कर आये थे, क्या उन को भारत में नियुक्त किये गये कर्मचारियों के बराबर ही विशेषाधिकार और सुविधायें प्राप्त हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : यह मान लिया जाता है कि "विशेषाधिकारों और सुविधाओं" का प्रयोजन "नौकरी की शर्तों" से है। साधारणतया स्थानांतरण होने पर कर्मचारियों की नौकरी की शर्तों में परिवर्तन नहीं होता। प्रश्न में जिन का उल्लेख किया गया है उन में सभी मामले ऐसे नहीं हैं जिन में स्थानांतरण किया गया हो। लोक-सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७५].

पूर्वोत्तर रेलवे पर यात्री सुविधायें

८१६. श्री खुशवक्त राय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि पूर्वोत्तर रेलवे की बरेली-लखनऊ लाइन पर यात्री सुविधाओं की बड़ी कमी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बरेली और लखनऊ के बीच के स्टेशनों पर कच्चे खाने का प्रबन्ध नहीं है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि पिछली गर्मियों के दिनों में बरेली और लखनऊ के मध्यवर्ती स्टेशनों पर यात्रियों को ठंडा पानी पिलाने की कोई व्यवस्था नहीं थी ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं। रेलों की यात्री-सुविधा समिति की सलाह से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यात्रियों को सुविधायें दी जाती हैं। यात्री-सुविधा समिति में गैरसरकारी प्रतिनिधि भी होते हैं। इस में सन्देह नहीं कि जब पूर्वोत्तर रेलवे में यात्रियों को अधिक सुविधा देने का कार्यक्रम बनाया जायेगा, तो बरेली-लखनऊ सेक्शन की ज़रूरतों का भी बराबर ध्यान रखा जायेगा।

(ख) पीलीभीत और मैलानी स्टेशनों पर कच्चा भोजन मिलता है।

(ग) पिछली गर्मियों में बरेली और लखनऊ के बीच वाले स्टेशनों पर यात्रियों को ठंडा पानी पिलाने का समुचित प्रबन्ध किया गया था।

जिन स्टेशनों पर ज़रूरत समझी गई, वहां गर्मियों में पानी पिलाने के लिये अतिरिक्त कर्मचारी भी रखे गये।

लिलुआ स्टेशन पर रेल दुर्घटना

†८१७. श्री राम शंकर लाल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २९ जुलाई, १९५७ को लिलुआ स्टेशन पर किन कारणों से रेल दुर्घटना हो गई थी ; और

(ख) इस के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति हताहत हुए ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) अभी कारणों की जांच की ही जा रही है।

(ख) दो रेलवे कर्मचारी मारे गये थे और दो को हल्की चोटें आई थीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपनगरीय रेलों में भीड़भाड़

†८१८. श्री नौशीर भरूचा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चर्च गेट और बोरी-बन्दर स्टेशनों के बीच चलने वाली लोकल-गाड़ियों से प्रतिदिन औसतन कितने व्यक्ति यात्रा करते हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इन उपनगरीय रेलों में भयंकर भीड़भाड़ होने की वजह से यात्रियों को बाध्य हो कर पायदानों पर खड़े हो कर यात्रा करनी पड़ती है जिस के फलस्वरूप दुर्घटनायें हो जाती हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में इन दोनों रेलवे में (मध्य और पश्चिम) में लोकल गाड़ियों की ऐसी कितने दुर्घटनायें हुई हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) १९५६-५७ में एक दिन का औसत ७,२५,७६१ था ।

(ख) अधिकतम यातायात के समय[२६] इन गाड़ियों में काफी भीड़ भाड़ होती है जिस से कुछ यात्री बाध्य हो कर पायदानों पर खड़े हो कर यात्रा करते हैं और इस के फलस्वरूप दुर्घटनायें हो जाती हैं ।

(ग) १,८१३.

डाकघरों के निरीक्षक

८१९. श्री लच्छीराम : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, १९५७ में डाकघरों के निरीक्षकों के पदों का जो चुनाव हुआ था उस में कितने अभ्यर्थी बुलाये गये थे और उस में से कितने अनुसूचित जातियों के थे ; और

(ख) कितने अभ्यर्थी चुने गये और उन में से कितने अनुसूचित जाति के थे ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) (१) डाक-घर निरीक्षक आदि संवर्ग[२७] के लिये १,९९० अभ्यर्थी, जिन में १७० अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों के थे ।

(२) रेल डाक व्यवस्था[२८] निरीक्षक संवर्ग के लिये ५७६ अभ्यर्थी, जिन में ४५ अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों के थे ।

(ख) (१) डाक-घर निरीक्षक आदि संवर्ग के लिये १०६ अभ्यर्थी, जिन में २ अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों के थे ।

(२) रेल डाक व्यवस्था निरीक्षक संवर्ग के लिये ३४ अभ्यर्थी, जिन में ३ अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों के थे ।

नोट—अनुसूचित जातियों के ऐसे सब अभ्यर्थी, जो सेवा-कार्यकौशल की योग्यता के मानक[२९] तक प्राप्त हुए समझे गये, उन्हें चुना गया था । फिर भी आरक्षित रिक्त-स्थानों का पूरा कोटा नहीं भरा जा सका ।

---

†मूल अंग्रेजी में

26 Peak hour. 27. Cadre.
28 R. M. S. 29. Standard.

उत्तरी बिहार में बाढ़-नियंत्रण कार्यवाही

†८२०. श्री श्रीनारायण दास : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रविधिक सहकारिता मिशन के विशेषज्ञ श्री ए० जे० डेवीस ने उत्तर बिहार की मुख्य नदियों पर बाढ़-नियंत्रण के लिये ऊपर की ओर पानी का संग्रह करने के सम्बन्ध में अध्ययन करने का जो सुझाव दिया था क्या वह अध्ययन शुरू किया गया है या शुरू किया जाने वाला है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कौन सा संगठन स्थापित किया गया है ; और

(ग) क्या कार्य में कुछ प्रगति हुई है ; और यदि हां तो क्या ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल): (क) से (ग). आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा संभव शीघ्र लोक-सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पूसा इन्स्टीट्यूट में रहने का स्थान

†८२१. श्री बासप्पा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूसा इंन्स्टीट्यूट के कर्मचारियों के पास रहने के लिये काफ़ी क्वार्टर हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या पूसा इन्स्टीट्यूट के कर्मचारियों के लिये एस्टेट आफिस के सामान्य संग्रह में से रिहायशी स्थान दिया जा सकता है ;

(ग) क्या पूसा इन्स्टीट्यूट के सरकारी क्वार्टरों के किराये के मामले में कोई वैज्ञानिकन किया गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो किरायों का वैज्ञानिकन न किये जाने के फलस्वरूप सरकार को कितने किराये का नुकसान उठाना पड़ता है ;

(ङ) क्या पूसा इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों से इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि उन पर भी वही नियम लागू किये जायें जो इस समय एस्टेट आफिस द्वारा अपनाये जाते हैं ; और

(च) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री(श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ; लेकिन यह प्रश्न विचाराधीन है ।

(घ) अब इस का अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

(ङ) जी हां ।

(च) मामला विचाराधीन है ।

हिन्दी परीक्षायें

८२२. श्री क० भे० मालवीय : क्या रेलवे मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मंत्रालय द्वारा संचालित हिन्दी परीक्षाओं के लिये शिक्षा मंत्रालय की तरह कोई परामर्शदाता बोर्ड है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो ये परीक्षायें किस के निदेशन में किस विधि से ली जाती हैं ; और

(ग) परीक्षार्थियों को छुट्टी तथा यात्रा भत्ते आदि की कौन-कौन सी सुविधायें दी जाती हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). एक बयान सभा-पटल पर रख दिया गया है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७६]

दक्षिण रेलवे में भर्ती

†८२३. श्री सिदय्या : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे में १९५७-५८ में वैगन-चेक़रों, स्पाट-चेक इन्स्पेक्टरों और सहायक श्रम-कल्याण पदाधिकारियों के कितने स्थानों की पूर्ति की जायेगी ; और

(ख) विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कितने स्थान सुरक्षित किये गये हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क)

(१) वैगन चेक़र :

वेतन क्रम	स्थायी	अस्थायी
८०—१६० रुपये (क्रम अस्थायी रूप से बढ़ा कर २००—३०० किया गया)	१०	४

(२) स्पाट चेक इन्स्पेक्टर :

वेतन क्रम	स्थायी	अस्थायी
३६० रु०—५०० रु०	१	..
३०० रु०—४०० रु०	१	..
२६० रु०—३५० रु०	२	..
२०० रु०—३०० रु०	२	४

ये सभी संवरण पदा[1*] हैं और संवरण द्वारा इन की पूर्ति की जाती है ।

(३) सहायक श्रम-कल्याण पदाधिकारी : एक भी स्थान की पूर्ति नहीं की जायेगी ।

(ख) पदोन्नति द्वारा जिन स्थानों की पूर्ति की जाती है उन में इन जातियों के लिये एक भी स्थान सुरक्षित नहीं रखा जाता ।

पेरम्बूर का सवारी-डिब्बे बनाने का कारखाना

†८२४. श्री अय्याकण्णु : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेरम्बूर (मद्रास) के डिब्बे बनाने के कारखाने में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणियों के कितने प्रशासनिक और प्रविधिक कर्मचारी हैं ; और

(ख) इन में से कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1*]Selection posts.

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :

	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	कुल जोड़
(क)	२४	२१	१८३१	१८७६
(ख)	एक भी नहीं	एक भी नहीं	१३१	१३१

रेलवे में राजपत्रित (गज़टेड) पदाधिकारी

†८२५. **श्री अय्याकण्णु** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे विभाग में इस समय प्रविधिक और अ-प्रविधिक दोनों प्रकार के कुल कितने राजपत्रित (गज़टेड) पदाधिकारी काम कर रहे हैं ; और

(ख) इन में से कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ३४६० ।

(ख) ९ ।

समय बताने वाला यंत्र

†८२६. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और कलकत्ते में सेकेन्ड तक ठीक समय बताने वाला एक-एक यंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या विदेशों से कुछ यंत्र मंगाये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो कहां से ; और

(घ) कितनी लागत पर ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) पश्चिमी जर्मनी से ।

(घ) बम्बई और कलकत्ते के लिये रेल भाड़ा सहित १,४७,७१९ रुपये ।

सदस्य की गिरफ्तारी

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि मुझे दिल्ली के ज़िला मजिस्ट्रेट से २२ अगस्त, १९५७ का निम्न पत्र मिला है :—

"तृतीय न्यायाधिकरण, अलीपुर, २४ परगना, पश्चिम बंगाल के न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ७५ के अन्तर्गत जारी किये गये गिरफ्तारी

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

के वारण्ट को निष्पादित करते हुए श्री पी० डी० पुनेथा, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस (दक्षिण) ने, जिन्हें वह वारण्ट सौंपा गया था, अपने कर्तव्य-पालन के लिये श्री कंसारी हाल्दर, सदस्य लोक-सभा को २१ अगस्त, १९५७ को १८–१५ बजे २, विण्डसर प्लेस, नई दिल्ली में गिरफ्तार करना आवश्यक समझा और नई दिल्ली के रैज़ीडेंट मजिस्ट्रेट ने उन को २५ अगस्त, १९५७ तक हिरासत में रखने का आदेश दिया ।"

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

दिल्ली मोटर गाड़ी नियमों में संशोधन

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) दिनांक १२ जून, १९५७ की अधिसूचना संख्या एफ० १२(११)/५७–एम टी एण्ड सी ई ।

(२) दिनांक २६ जून, १९५७ की अधिसूचना संख्या एफ० १२(२२)/५७–एम टी एण्ड सी ई ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस-२०३/५७]

अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के आयुक्त की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दप्तार) : श्रीमान्, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वर्ष १९५५ के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही बताने वाले विवरण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एस-२०४/५७]

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

पांचवा प्रतिवेदन

†सरदार हुक्म सिंह (भटिंडा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का पांचवा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दिल्ली में भंगियों की हड़ताल के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासन पर की गई कार्यवाही

†**श्री राधा रमण** (चांदनी चौक) : नियम १९७ के अधीन मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"दिल्ली में भंगियों की हड़ताल के सम्बन्ध में गृह मंत्री द्वारा दिया गया आश्वासन तथा उस पर की गई कार्यवाही ।"

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पंत)** : मेरे साथी स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली राज्य नगरपालिका कर्मचारी संघ की मांगों के बारे में नई दिल्ली नगरपालिका के प्रधान तथा उपप्रधान से ३१ जुलाई, २ अगस्त तथा १२ अगस्त को बात चीत की । वह १२ जुलाई तथा उसके बाद भी संघ के प्रतिनिधियों से मिले । सामान्य प्रकार की कुछ मांगों के अतिरिक्त कर्मचारियों की अन्य मांगें, जो समिति के क्षेत्राधिकार में थीं, काफी हद तक पूरी कर दीगई हैं । नई दिल्ली नगरपालिका के प्रधान ने यह भी निर्णय किया है कि हड़ताल की अनुपस्थिति की अवधि को आकस्मिक या अर्जित छुट्टी के रूप में मान लिया जायगा । तदनुसार हड़ताल में या भूख हड़ताल में भाग लेने के कारण किसी भी कर्मचारी को कोई हानि नहीं होगी । यह पूरी आशा की जाती है कि इसके बाद नगरपालिका तथा उसके कर्मचारियों के सम्बन्ध बहुत ही मैत्रीपूर्ण हो जायेंगे ।

नई दिल्ली नगरपालिका के निर्णयों को संक्षेप से संलग्न विवरण में दिया गया है । मैं इस विवरण की प्रति, जो कि स्थानीय समाचारपत्रों में भी प्रकाशित हो चुका है, सभा-पटल पर रख रहा हूं । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७७]**

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम्) : जो न्यायपालिका द्वारा जांच होनी थी उसका क्या हुआ ?

†**पंडित गो० ब० पंत** : जांच शीघ्र ही होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : राजा महेन्द्र प्रताप कुछ पूछ रहे थे ?

†**राजा महेन्द्र प्रताप** (मथुरा) : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों की ज़मीनें और ऐसे सैनिकों के मकान, जो सैनिक कार्य पर किसी अन्य स्थान में नियुक्त हैं, ले लिये हैं ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैंने माननीय सदस्य का पत्र दिल्ली के मुख्य आयुक्त के पास भेज दिया है ।

अनुदानों की मांगें—जारी

श्रम और रोजगार मंत्रालय—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब श्रम और रोजगार मंत्रालय की मांगों पर अग्रेतर चर्चा जारी रखेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

श्रम और रोजगार मंत्रालय की मांगों पर निम्न कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७०	३१२	श्री त० ब० विट्ठल राव	मजूरी भुगतान अधिनियम में संशोधन करने में विलम्ब	१०० रुपये
७०	३१३	श्री त० ब० विट्ठल राव	कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम में संशोधन करने में विलम्ब ।	१०० रुपये
७०	११६९	श्री नारायणन कुट्टि मेनन	कोचीन पत्तन कर्मचारियों के झगड़े में कोचीन के मध्यस्थ पदाधिकारी का हस्तक्षेप करने से इन्कार ।	१०० रुपये
७०	११७२	श्री नारायणन कुट्टि मेनन	कार्मिक संघों को मान्यता देने में मतभेद ।	१०० रुपये
७०	११७३	श्री नारायणन कुट्टि मेनन	वस्त्रोद्योग के लिये नियुक्त किये गये मजूरी बोर्ड में अखिल भारतीय कार्मिक संघ के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने में असफलता ।	१०० रुपये
७०	१५२२	श्री स० म० बनर्जी .	प्रतिरक्षा उद्योग में मध्यस्थ व्यवस्था की प्रभावपूर्ण ढंग से काम करने में असफलता ।	१०० रुपये
७०	१५२३	श्री स० म० बनर्जी .	गोदी यार्डों में यथाकार्य मजूरी प्रणाली को लागू करना ।	१०० रुपये
७०	१५२४	श्री स० म० बनर्जी .	काम दिलाऊ दफ्तरों का ठीक ढंग से चलाना ।	१०० रुपये
७०	१५२५	श्री स० म० बनर्जी .	प्रबन्ध में श्रमिकों को भाग देना ।	१०० रुपये
७०	१५२६	श्री स० म० बनर्जी .	विभिन्न वस्त्रोद्योग तथा पटसन के कारखानों में वैज्ञानिकन लागू करने का प्रश्न ।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७०	१५२७	श्री स० म० बनर्जी	चमड़ा उद्योग में मजूरी बोर्ड की नियुक्ति ।	१०० रुपये
७०	१५२८	श्री स० म० बनर्जी	प्रशिक्षण केन्द्रों का ठीक संचालन	१०० रुपये
७०	१५२९	श्री स० म० बनर्जी	कार्मिक संघों को मान्यता देने का प्रश्न	१०० रुपये
७०	१५३०	श्री स० म० बनर्जी	विभिन्न उद्योगों में श्रमिक पदाधिकारियों का कर्तव्य	१०० रुपये
७०	१५३१	श्री स० म० बनर्जी	सरकार की मजूरी संबंधी नीति	१०० रुपये
७०	१५३२	श्री स० म० बनर्जी	प्रतिरक्षा उद्योग में औद्योगिक संबंध	१०० रुपये
७०	१५३३	श्री स० म० बनर्जी	खानों में सुरक्षा की कार्यवाही	१०० रुपये
७०	१६०२	श्री स० म० बनर्जी	यथा कार्य मंजूरी पर रखे जाने वाले मजदूरों के लिये समय तथा काम के अध्ययन की आवश्यकता	१०० रुपये
७०	१६०३	श्री स० म० बनर्जी	अर्ध प्रवीण तथा प्रवीण कर्मचारियों के काम के परिक्षण की आवश्यकता	१०० रुपये
७०	१६०४	श्री स० म० बनर्जी	एक उद्योग में एक संघ बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
७०	१६०५	श्री स० म० बनर्जी	ठेके के श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
७०	१६०६	श्री स० म० बनर्जी	परिवहन कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड नियुक्त करने की आवश्यकता।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७०	१६०७	श्री स० म० बनर्जी .	बारसी लाईट रेलवे के कर्मचारियों को छंटनी का प्रतिकर देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
७१	३१६	श्री त० ब० विट्ठल राव	कोयला खानों का असन्तोषप्रद तथा अपर्याप्त निरीक्षण ।	१०० रुपये
७१	३१७	श्री त० ब० विट्ठल राव	खानों में सुरक्षा कार्यवाही के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक उच्चाधिकार आयोग स्थापित करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
७२	३१८	श्री त० ब० विट्ठल राव	खनिज श्रमिकों के लिये थोड़ी आवास सुविधायें ।	१०० रुपये
७२	११७४	श्री नारायणन कुट्टि मेनन	पेट्रोलियम कर्मचारी संघ द्वारा उठाये गये विवादों को एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को सौंपने से इन्कार ।	१०० रुपये

अध्यक्ष महोदय: यह सब कटौती प्रस्ताव सभा के सामने हैं । श्री डांगे ।

†**श्री डांगे** (बम्बई नगर–मध्य): कल मैं ने श्रम के बारे में एक समन्वित नीति अपनाने तथा बातचीत करने वाले प्रतिनिधियों के ठीक तरह से काम करने के बारे में कहा था । मैं ने उस संकट का उल्लेख भी किया था जो सरकार की ठीक नीति न होने के कारण आने वाला था ।

खैर बाद में एक वेतन आयोग नियुक्त किया गया । इस समय मैं इस आयोग के बारे में कुछ नहीं कहूंगा—मैं तो केवल सरकार से यही प्रार्थना करूंगा कि वह इस काम को तेजी से कराये—विशेषतया अन्तरिम सहायता के प्रश्न को तो बड़ी तेजी से हल कराना चाहिये । यदि यह प्रश्न शीघ्र ही हल होगा तो सरकार का काम ठीक तरह से चलेगा । मैं यह सब बातें इस कारण से कह रहा हूं क्योंकि कीमतों के बारे में अखबारों में दुखदायी बातें छप रही हैं । हो सकता है जब वेतन बढ़ने की बातें चलें—कीमतों में थोड़ा परिवर्तन हो—क्योंकि हमें इस सम्बन्ध में इंग्लैण्ड का अनुभव

†मूल अंग्रेजी में

है। मैं आशा करता हूं यहां ऐसी कोई बात नहीं होगी और अन्तरिम प्रतिवेदन से सरकार तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध अच्छे हो जायेंगे ।

दूसरी बात लाभदायक कानूनों के लागू करने के बारे में है। श्रम मंत्रालय में नियोजकों का अधिक प्रभाव है—इस कारण जो कानून पारित किये जा चुके हैं उन्हें भी ठीक तरह से लागू नहीं किया जाता। जब तक नियोजकों की रियायत होती रहेगी और मजदूरों की परवाह न होगी तब तक देश में ऐसी ही गड़बड़ें फैलती रहेंगी ।

आप कोयले खानों की बात लें—जहां पर मजदूर की जिन्दगी हर मिनट खतरे में रहती है—तो ऐसे खतरनाक काम करने के लिये बढ़ावे की शक्ल में बोनस आदि मजदूरों को मिलता है। किन्तु पूरे एक वर्ष से नियोजक उनके बोनस को हड़प कर रहे हैं। इस मामले में कुछ नहीं किया जाता। केवल मजदूरों को सब्र करने का उपदेश दिया जाता है ।

एक प्रतिवेदन से पता चलता है कि धनबाद क्षेत्र में हजारों अनियमिततायें की जाती हैं। बोनस नहीं दिया जाता—या कम बोनस दिया जाता है और देने में विलम्ब किया जाता है। मजदूरों को वेतन का एक तिहाई बोनस लेने का हक था लेकिन मालिक नहीं देते ।

कलकत्ता क्षेत्र के निरीक्षण के बाद पता लगा कि अनियमितता ४,२९३ मामलों में हुई। सरकार यह सोचती है कि इन अनियमितताओं को छोटे पदाधिकारी स्वतः ही ठीक कर देंगे—किन्तु इन सब बातों के बावजूद वर्ष के बाद भी अनियमितताओं की संख्या उतनी ही रही है। श्रम मंत्रालय के इस विभाग का यह काम है। एक वर्ष तक भी श्रम मंत्रालय वाले मजदूरों को न्याय नहीं दिला सके ।

जब एक वर्ष में आप अनियमिततायें ठीक नहीं करा सके तो आप मजदूरों से क्या चाहते हैं ? क्या वह हड़ताल न करें ? कम बोनस क्यों दिया गया ? इसी कारण मैं यह पूछता हूं कि बने हुए कानूनों को लागू करने की व्यवस्था कहां है ? धनबाद के १,१००० मामलों में से ३०० मामले ठीक नहीं हुए किन्तु कलकत्ता का कोई भी मामला ठीक नहीं हुआ। इस का कारण क्या है ? यदि मजदूर हड़ताल कर दें तब मैं समझता हूं कि वे ठीक हैं ।

इसलिये मैं चाहता हूं कि जो कानून बनें उन्हें लागू भी किया जाये। मैंने कोयला खानों में देखा कि वहां बहुत से स्नान स्थान बनाये जा रहे हैं यह तो ठीक है किन्तु यह देखा जाना चाहिये कि कितने स्थानों का उपयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार मुझे बताया गया कि टाटा ने रात में काम करने वाले मजदूरों के लिये विश्रामगृह बनाया है—जब मैं वहां गया तो देखा कि उसे ताला लगा रखा था। बाद में पता लगा कि उसे स्टोर के तौर पर बरता जा रहा है। रात को काम करने वाले मजदूर उसी तरह से फुटपाथ पर ही सोते हैं। प्रतिवेदनों से पता चलता है यह किया जा रहा है, वह किया जा रहा है किन्तु जो चीजें बनाई गई हैं उन का प्रयोग नहीं हो रहा है ।

खानों में सुरक्षा के साधारण नियम भी लागू नहीं किये जा रहे हैं। जब मैं गुआ खान की बस्ती में गया—वहां पर मैं ने देखा एक मरा हुआ सांप पड़ा था—नाली का बदबूदार पानी चारों तरफ फैल रहा था और बच्चे उस जगह खेल रहे थे और उस से ५० गज की दूरी पर बड़े लोगों के लिये नवीनतम बंगले बन रहे हैं ।

वहां लोहे की खानों के मजदूरों को क्या मिलता है ? निर्वाह वेतन से आधा चौथाई भी नहीं मिलता—किन्तु फिर भी वह लोहा निकाल रहे हैं। मालिक लाखों रुपया कमा रहे हैं किन्तु खनिकों के बच्चे गन्दे स्थानों पर खेलते हैं। कभी निरीक्षण नहीं होता। जब वह अपनी शिकायतें सामने रखते

[श्री डांगे]

हैं तब सशस्त्र पुलिस उन के घरों में घुस जाती है और उन्हें अपमानित करती है । उन की जेबों से उन का वेतन भी निकाल लिया जाता है । इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री क्या कहना चाहते हैं ?

कानून बनते हैं और श्रम मंत्री अश्वासन भी देते हैं, किन्तु क्या उन आश्वासनों को पूरा किया जाता है । पत्रकारों के पंचाट के बारे में माननीय मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था । उस रिपोर्ट में एजेन्सी रिपोर्टरों को सम्मिलित नहीं किया गया था और उन्होंने इस की शिकायत की थी । माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि उन की शिकायत सही है और उसे दूर किया जायेगा । किन्तु अभी तक उस अश्वासन को पूरा नहीं किया गया है । ऐसी कौन सी शक्ति है जो माननीय मंत्री के आश्वासन के पूरा किये जाने में रुकावट पैदा करती है और इस रुकावट के कारण क्या हैं ? क्या श्रम उपमंत्री, श्रम विभाग के सचिव या उद्योगों के मालिक उस आश्वासन को पूरा करने में बाधा डालते हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है ?

इसी प्रकार के अन्य अनेक उदाहरण हैं । आवास व्यवस्था की समस्या को लीजिये । यह विषय श्रम मंत्रालय के अधीन है । मजदूरों को उन के नियोजक जो मकान देते हैं उन के हाल बहुत खराब हैं । उन में बिजली की व्यवस्था नहीं है । हमें बतया जाता है कि दामोदर घाटी निगम बहुत बिजली पैदा कर रहा है । यदि ऐसी बात है तो बेचारे मजदूरों को बिजली क्यों नहीं दी जाती ?

यदि ऐसी ही दशा रही तो यह मजदूर विद्रोह करना शुरू कर देंगे । फिर मजदूरों के स्वास्थ्य की सुरक्षा का सवाल है । मैं जानता हूं कि मंत्रालय चाहता है कि उन का स्वास्थ्य अच्छा रहे । पर वास्तव में क्या हो रहा है । बिहार की अभ्रक की खान में १८·६ प्रतिशत मजदूर क्षयरोग से पीड़ित हैं । इसी प्रकार अन्य रोगों से पीड़ित मजदूरों की संख्या ७·१, ७·४ और ९ प्रतिशत है । यह आंकड़े १९५३ के हैं । अभी एक समाचार छपा है कि छानबीन कर ली गई है और कार्यवाही की जा रही है । मैं पूछता हूं ४ वर्ष से उन्होंने क्यों कार्यवाही नहीं की ? अतः मजदूरों की स्वास्थ्य रक्षा सम्बन्धी कानूनों का कोई भी पालन नहीं हो रहा है । इसी प्रकार यदि आप पंजाब में जा कर देखें तो वहां बड़ी बड़ी खतरनाक मशीनों को कारखानों में खुला छोड़ दिया जाता है । क्या इसी से मजदूरों की सुरक्षा होगी ? कदापि नहीं । कहा जाता है कि कारखाने के निरीक्षकों को सभी कारखानों का निरीक्षण करने का समय नहीं मिल पाता । मेरा सुझाव है कि उन पर निर्भर मत रहिये । निर्माण-कार्य समितियों को यह निरीक्षण का कार्य सौंप दीजिये ताकि मशीनें ढांक कर बन्द रखी जायें और मजदूरों की सुरक्षा रहे ।

सरकार की कुछ नीतियां मजदूरों के लिये लाभदायक भी हैं । मोटर कर्मचारियों के सम्बन्ध में कुछ अच्छा काम किया जा रहा है । मोटर कर्मचारियों को कुछ १४ या १५ घंटे काम करना पड़ता है । यदि कोई दुर्घटना हो जाये तो यात्रियों की जान का खतरा रहता है अतः इन के काम के घंटों को कम किया जाय । इस समय मंत्रालय के सामने यह विचार विचाराधीन है पर यह बात तय नहीं हो पा रही है कि काम के घंटों की संख्या १५ या १२ या १० रखी जाये । मैं तो कहता हूं कि ८ से अधिक न रखी जाये । फिर, देर न की जाय; तुरन्त निश्चय किया जाय । मैं मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि वह इसे कार्यान्वित करने में तनिक भी विलम्ब न करे ।

बेरोजगारी की बात को लीजिये । हम सभी कहते हैं कि बेरोजगारी नहीं होनी चाहिये । अतः मिलों को बन्द होने से रोका जाना चाहिये । बम्बई में रेशमी कपड़े की मिलें बन्द हो रही हैं । जलगांव की एक कपड़े की मिल दो वर्ष से बन्द पड़ी है । मजदूरों की मजूरी तथा उन की भविष्य निधि सब हड़प कर ली गई । लगभग २,००० मजदूर सत्याग्रह करने जा रहे हैं । सरकार इस मामले

में क्यों दखल नहीं देती । यदि उस के पास ऐसे अधिकार नहीं हैं तो उन्हें तुरन्त कानून बना कर ऐसे अधिकार लेने चाहियें । शोलापुर में एक मिल बन्द हो गई है ; एक मिल बन्द होने वाली है । १०,००० मजदूर बेकार हो जायेंगे । वे कब तक धीरज धर कर बैठे रहेंगे ? सरकार मिल मालिकों को क्यों मजबूर नहीं करती कि वे मिल बन्द न करें । सरकार को इस सम्बन्ध में अधिकार अपने हाथ में लेना चाहिये । जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में जब ३ दिन में कानून पास किया जा सकता है तो इस सम्बन्ध में क्यों पारित नहीं किया जाता ? कारण स्पष्ट है कि सरकार अभी पूंजीपतियों के पिट्ठुओं की है । उसे मजदूरों के हित का ध्यान नहीं है । बम्बई में रेशम मिल के मजदूरों को गिरफ्तार किया जा रहा है । जब इस प्रकार बेरोजगारी फैली हुई है तो मजदूर बेचारे क्या करेंगे ? हड़ताल के सिवा उन के पास क्या चारा है ?

मजदूरी की बीमारी सुरक्षा की बात लीजिये । वर्षों से बम्बई तथा कलकत्ते में एक अस्पताल बनवाने का आश्वासन दिया जा रहा है । पर, अस्पताल अभी नहीं बने । कारण यह बताया जाता है कि सीमेंट तथा इस्पात की कमी है । मैं पूछता हूं कि कार्यालय के लिये या अन्य कार्यों के लिये निर्माण कार्यों को प्राथमिकता मिलनी चाहिये या अस्पताल निर्माण के लिये ? कलकत्ते में मजदूर बहुत परेशानी में हैं, वे कहते हैं कि बीमारी से रक्षा पाने की योजना में चन्दा देने से क्या लाभ जब उन को किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है । यह भी कहा गया था कि इस बीमारी सुरक्षा योजना में मजदूरों के परिवार भी सम्मिलित होंगे । पर कब ? अभी कितने समय तक इंतजार करना होगा ? भूमि ले ली गई है । करोड़ों रुपये जमा हो गये पर अस्पताल कब बनेगा ? मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री इन बातों पर जल्दी ध्यान दें ।

श्री जे० आर० डी० टाटा ने कहा था कि साम्यवादी लोग ही यह हड़तालें कराते हैं । उन्होंने ऐसा क्यों कहा ? उन्हों ने इसलिये कहा कि जमशेदपुर तथा बर्नपुर में मान्यता प्राप्त मजदूर संघों के मना करने पर भी मजदूरों में हड़ताल हो रही है । आज मजदूरों से इन्टक (आई० एन० टी० यू० सी०) का सदस्य बनने को कहा जाता है । मैं तो यह चाहता हूं कि उसी संघ को मान्यता दी जाये जिस को मजदूर चाहें । उस सम्बन्ध में यदि माननीय मंत्री चाहें तो शलाका भी लिया जा सकता है । यू० पी० में जब चीनी उद्योग में शलाका ली गई थी तो इन्टक को हार खानी पड़ी थी । अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह हमारे संघ, अखिल भारतीय कार्मिक संघ, से भयभीत न हों । हम ऐसी कोई भी बात नहीं करेंगे जो मजदूरों के लिये हानिकारक हो ; अतः उन्हें अखिल भारतीय कार्मिक संघ को मान्यता देनी चाहिये । यदि बर्नपुर के मजदूर हड़ताल बन्द नहीं करेंगे तो हमारे इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य पूरा नहीं होगा और मैं यह नहीं चाहता । अतः जहां पर भी मजदूरों के बीच हमारे संघ की मान्यता है वहां आपको भी हमारे संघ को मान्यता देनी चाहिये । यदि मजदूरों को खुश नहीं रखा जायेगा तो हमारी योजना पूरी नहीं हो सकती । अतः इन्टक तथा अखिल भारतीय कार्मिक संघ में कोई भेदभाव न बरता जाये । मैं जो यह चाहता हूं कि दोनों संघों में जो विजयी हो उसी को चलने दिया जाय तथा मान्यता दी जाये । मेरी यह भावना नहीं कि अखिल भारतीय कार्मिक संघ को हानि हो । पर सरकार की नीति यह है कि हमारे संघ को दबाया जाय । चाय सम्मेलन में हमें प्रतिनिधि बनाया गया । ठीक है, और काफी बातों के बारे में हम बागानों के मालिकों को राजी कर सके । कुछ समझौते भी हो गये । पर अगले वर्ष मुझे प्रतिनिधि नहीं बनाया गया क्योंकि उपमंत्री जी को हम से और हमारे संघ से नफरत है । खैर, समझौता होने के बाद जब बंगाल तथा आसाम में बोनस का झगड़ा पैदा हुआ तो हम से सहयोग मांगा गया । राष्ट्रीय हित के मामले में हम सदैव सहयोग करने को तैयार हैं । इस प्रकार हमारे संघ अर्थात् अखिल भारतीय कार्मिक संघ के साथ ऐसा भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा है ।

[श्री डांगे]

कोयले की खानों की बात लीजिये । खुले अधिवेशन में हमारे संघ को प्रतिनिधित्व प्राप्त था पर उपसमितियों में हमें कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला । उन में तो इन्टक तथा हिन्द मजदूर सभा को प्रतिनिधित्व मिला । एक वर्ष तो कोयला खानों के सम्बन्ध में ९ उपसमितियां थीं । पर हमें किसी उप-समिति में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था । आप को यह जान कर आश्चर्य होगा कि ३ स्थान इन्टक को मिले, एक स्थान प्रजा समाजवादी दल या हिन्द मजदूर सभा को मिला और एक पद खाली था । उस के लिये उन्होंने हमारे संघ के प्रतिनिधि को नियुक्त नहीं किया बल्कि कोयला खान समवाय के एक अभिकर्त्ता को नामजद किया । ऐसा भेदभाव होता है । अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह शलाका द्वारा यह तै करलें कि किस संघ को मजदूरों का समर्थन प्राप्त है और किसे मान्यता दी जाये । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भी हमें उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये । कितने आश्चर्य की बात है कि समितियों में मजदूरों की शिक्षा के प्रश्न पर विदेशी विशेषज्ञों, और नियोजकों की राय ली जाती है पर अखिल भारतीय कार्मिक संघ की राय नहीं ली जाती । अखिल भारतीय कार्मिक संघ को तो केवल सामान्य अधिवेशन में बुलाया जाता है । इस प्रकार की नीति से तो कार्मिक संघों के आन्दोलन में अधिक फूट पैदा होगी ।

अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि इन नियमों को ठीक तरह से संचालित करने तथा उन को लागू करने, मजदूरों में संगठन पैदा करने तथा पूंजीपतियों का सामना करने के लिये हमें अखिल भारतीय कार्मिक संघ के साथ भेदभाव करने की नीति छोड़ देनी चाहिये । बड़े बड़े पूंजीपतियों के हितों के सम्बन्ध में सरकार को अपनी नीति उन के अनुकूल बदलनी नहीं चाहिये ।

मैं आशा करता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार अपनी नीति में कुछ परिवर्तन करेगी और शीघ्र केन्द्रीय सेवाओं के सम्बन्ध में वेतन आयोग का अन्तरिम प्रतिवेदन भी आ जायेगा । उस के बाद आशा है कि वातावरण में कुछ ऐसा परिवर्तन हो जायेगा जिस में हम अधिक अच्छी तरह काम कर सकेंगे ।

श्री का० ना० पांडे (हाता) : अध्यक्ष महोदय, कब्ल इस के कि मैं और बातों के सम्बन्ध में कुछ कहूं, कलसे मैंने जिस बात का जिक्र सुना, अर्थात् लेबर पालिसी (श्रमनीति) उस के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । किसी मिनिस्ट्री या किसी जमात की पालिसी का अन्दाजा तभी हो सकता है जब यह देखा जाए कि उस ने जनता के लिए क्या किया है, या जो काम उसने किया है वह मजदूर जमात के हित में किया है या उस के हित के विरुद्ध किया है । जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं तो देखते हैं कि कांग्रेस मिनिस्ट्री ने और खास कर लेबर मिनिस्ट्री ने, जिस का नेतृत्व नन्दा जी कर रहे हैं, एम्प्लायीज स्टेट इंश्योरेन्स स्कीम (राज्य कर्मचारी बीमा योजना) निकाली, मज़दूरों के लिए सिकनेस बेनिफिट (बीमारी लाभ) और मैटरनिटी बेनिफिट (प्रसूति सहायता) का प्रबन्ध किया । अनएम्प्लायमेंट के पीरियड के लिए सहारा पैदा किया, प्राविडेंट फंड ऐक्ट बना कर उन के बुढ़ापे के लिए सहारा पैदा किया, हाउसिंग स्कीम बना कर तमाम इंडस्ट्रियल एरियाज (औद्योगिक क्षेत्रों) में लोगों के लिए घर बनवाये जहां मज़दूर आज आराम की नींद सो रहे हैं ।

दूसरी बात हम ने यह देखी कि जहां तक मज़दूरों की सर्विस कंडिशंस (सेवा की शर्तों) का सवाल था, वह परेशान था इंडस्ट्रियल एम्प्लायमेंट ऐक्ट (औद्योगिक रोजगार अधिनियम) से जिस को स्टैन्डिंग आर्डर्स ऐक्ट कहते हैं । जो रूल्स या स्टैन्डिंग आर्डर्स (स्थायी आदेश) एम्प्लायर सर्टिफाइंग आफिसर्स को दे देता था, वही चीज बिला किसी चेन्ज के लागू कर दी जाती थी । लेकिन अब गवर्नमेंट ने यह किया है कि आज सर्टिफाइंग आफिसर्स (प्रमाण पत्र देने वाले आधिकारी) को यह अख्तयार है कि अगर किसी इंटरेस्ट के हित के विरुद्ध कोई धारा उसमें हो, तो वह उसे तबदील कर सकता है,

सोशल जस्टिस के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर। इस में आज जो मजदूर इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं वह अपने को नौकरी की दृष्टि से महफूज समझ रहे हैं। यही नहीं, मैंने देखा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट में उस ने वर्कमेन (कर्मचारियों) की डेफिनिशन (परिभाषा) को भी चेन्ज किया। उस से बहुत से लोग कवर हो गए। ५०० रु० इमाल्यूमेंट (वेतन) पाने वाला मज़दूर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के मुताबिक, जो मैशीनरी प्रोवाइडेड (व्यवस्था) है, जो मैशीनरी बनाई गई है ज्यादतियों के निर्णय के लिए वह अपने मामले उस अदालत के सामने ले जा सकता है।

इन तमाम चीजों को देखने के बाद क्या यह कहा जा सकता है कि इस मिनिस्ट्री की पालिसी प्रतिक्रियावादी है, क्या यह ऐडवान्समेंट (प्रगति) की पालिसी नहीं है? क्या मजदूर आज समझ नहीं रहे हैं कि सरकार उन के लिए यह सुधार कर रही है और उन को ऊंचा उठाने की कोशिश कर रही है ?

हो सकता है कि कुछ लोगों का जो अन्दाजा रहा हो, सरकार उस गति से न चल पाई हो, लेकिन हमारे सामने परिस्थिति कुछ ऐसी है कि हम अपने देश को इंडस्ट्रियलाइज़ (उद्योगकृत) करना चाहते हैं, इंडस्ट्रियलाइज़ करने में हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ रहा है कि इन्डस्ट्रियलांइजेशन में कोई बाधा न हो। मजदूर भी ऊंचे उठें और हिन्दुस्तान के अन्दर कोई ऐसी परिस्थिति पैदा न हो जिस के कारण हम आर्थिक दृष्टिकोण से अवनति की तरफ जाएं। मैं समझता हूं कि इन सब बातों को देखते हुए भी अगर यह कहा जाए कि लेबर मिनिस्ट्री की कोई पालिसी नहीं है, तो उस के साथ यह क्या अन्याय नहीं है ?

कब्ल इस के कि मैं आगे कुछ बोलूं, एक बात का जिक्र कर देना चाहता हूं। जैसा कि अभी हमारे माननीय सदस्य श्री डांगे ने कहा कि कई मर्तबे बैलट (शलाका) हुआ, और बैलट से हम को रिप्रेजेन्टेटिव कैरेक्टर (प्रतिनिधित्व का स्वरूप) निश्चित करना चाहिए। उन्होंने खास तौर से शुगर इंडस्ट्री (चीनी उद्योग) का रिफरेंस दिया है। मैं इस सम्बन्ध में बता देना चाहता हूं कि यह बैलट उत्तर प्रदेश में हुआ था जिस में डांगे साहब की सिर्फ एक यूनियन थी। उसमें और भी लोग थे और उसमें यह हुआ कि जिस समय यह बैलट हुआ उस समय माननीय श्री शिब्बन लाल सक्सेना अनशन करने बैठ गये। उन्होंने तीस दिन तक अनशन किया और कहा कि मज़दूरों में तुम्हारे लिए जान दे रहा हूं इसलिए तुम मुझ को वोट दो। आप इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अन्दाजा लगायें। यह नहीं बल्कि अन्य पार्टियों की ओर से यह प्रचार हो रहा था कि वह जान दे रहे हैं, ऐसी हालत में स्वाभाविक है कि उनकी तरफ लोगों की सहानुभूति हो जाये और उनको वोट मिल जायें। लेकिन आप देखें कि श्री शिब्बन लाल सक्सेना की और दूसरी पार्टियों की क्या पोजीशन है। उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल (औद्योगिक न्यायाधिकरण) के सामने अभी हाल में जब एक मामला गया तो आई० एन० टी० यू० सी० के साथ ६२ यूनियनें एफिलियेटेड थीं, और उनकी लिस्ट दी गयी। पर श्री शिब्बन लाल सक्सेना और दूसरी पार्टियों की तरफ से ३५ यूनियनों की लिस्ट दी गयी किन्तु जब जज ने कहा कि आपको इस बात का भी प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए कि क्या आपको इन यूनियनों ने आथोराइज (अधिकृत) किया है, तो आपको ताज्जुब होगा कि उनको कुल १३ यूनियनों ने आथारिटी लैटर दिया। बाकी यूनियन्स ने उनको आथारिटी लैटर नहीं दिया। आप इससे अन्दाजा लगा सकते हैं कि किसके साथ ज्यादा यूनियन्स हैं। आखिर ए० आई० टी० यू० सी० तथा आई० इन० टी० यू० सी० आर्गनाइज्ड मजदूरों की संस्थायें हैं। इस लिये जब आई० एन० टी० यू० सी० का रिप्रेंजेंटेटिव (प्रतिनिधि) निश्चित किया गया तो यह देख कर किया गया कि उसके पीछे आर्गेनाइज्ड लेबर (संगठित मजदूर) कितनी है। आपको आगे यह जानकारी लेबर डिपार्टमेंट द्वारा दी जायेगी कि अगर सारी और पार्टियों को मिला दिया जाये तो

[श्री का० ना० पांडे]

भी उन सब से ज्यादा सदस्य संख्या आई० एन० टी० यू० सी० की है और इसलिये उसको आई० एल० ओ० और दूसरी संस्थाओं में रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। और अगर ऐसा न किया जाये तो मैं समझूंगा कि यह आई० एन० टी० यू० सी० के साथ ज्यादती होगी। आई० एन० टी० यू० सी० की सदस्य संख्या बहुत ज्यादा है और बहुत सी यूनियन्स टूट टूट कर आई० एन० टी० यू० सी० के साथ मिलती जाती हैं।

मैं समझता हूं कि लेबर मिनिस्ट्री मजदूरों के लिए बहुत कुछ कर रही है और इस सिलसिले में जो उनका इरादा है वह पाक है। वह मज़दूरों के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। लेकिन मुझे कुछ सुझाव देने हैं जिनके ऊपर मिनिस्ट्री को ध्यान देना चाहिए। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट में वर्कर (कर्मचारी) की परिभाषा बदल दी गई है जिसके फलस्वरूप ५०० रुपया मासिक वेतन पाने वाले लोग तक उसमें आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी वर्कमैन (कर्मचारी) की डैफीनीशन के अनुसार कुछ मामले हाईकोर्ट के सामने गये थे और इलाहाबाद हाई-कोर्ट ने कहा कि वर्कमैन की डेफीनीशन कुछ हद तक लैक (ठीक नहीं) करती है और उसमें सिपाही, पियन और वाच एंड वार्ड के आदमी नहीं आते। मैं समझता हूं कि इस बात की ओर मिनिस्ट्री को ध्यान देना चाहिए और यह आवश्यक सुधार करना चाहिए। बावजूद इसके कि इन लोगों को ५०० रुपये मासिक से कम तन्ख्वाह मिलती है और गवर्नमेंट भी उनको फायदा पहुंचाना चाहती है, ये लोग इस ऐक्ट से फायदा नहीं उठा सकते। अगर कोई शिफ्ट इंजीनियर है या शिफ्ट कैमिस्ट है और उसको २५० रुपये मासिक वेतन मिलता है, वह इसका लाभ उठा सकता है लेकिन अगर कोई शिफ्ट इंजिनियर या शिफ्ट कैमिस्ट है जिसको कि ७०० रुपया मासिक वेतन मिलता है पर उसके हाथ में कोई मैनेजीरियल पावर (प्रबन्ध संबंधी अधिकार) नहीं है, वह किसी को भर्ती या डिसमिस (पदच्युत) आदि नहीं कर सकता—लेकिन वह इसका लाभ नहीं उठा सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको इस तरह से अमेंड (संशोधित) किया जाये कि टैकनिकल हैंड्स चाहे वे लोग ५०० से ज्यादा तनख्वाह पाते हों, वे भी इससे कवर हो जायें।

दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि प्रोवीडेंट फंड ऐक्ट कुछ इंडस्ट्रीज (उद्योगों) पर एक्सटेंड (और लागू किया गया) हुआ है जिनमें शुगर इंडस्ट्री भी शामिल है। शुगर इंडस्ट्री में इससे पहले यह सिस्टम था कि जो रिटेनिंग एलाउंस मिलता था उस पर भी प्रावीडेंट फंड कटता था। लेकिन इसके लागू होने के बाद से वह चीज़ स्टाप हो गयी है। मैं ने इस बारे में यहां सवाल किया था। उसके उत्तर में कहा गया कि जब से यह ऐक्ट एक्सटेंड हुआ है तब से यह रिडंडेंट मालूम हुआ कि पहले का एक्सप्लेनेशन रखा जाय। लेकिन मैं आपको बतलाऊं कि इस रिटेनिंग एलाउंस के सम्बन्ध में अपीलेट ट्राइब्यूनल और खेतान एन्क्वायरी ने इस बात को माना है कि यह एलाउंस भी वेज (मजूरी) है और इसके लिए भी प्रावीडेंट फंड कांट्रीब्यूशन कटना चाहिये। लेकिन आज हम देखते हैं कि यह स्टाप हो गया है। मैं समझता हूं कि मिनिस्ट्री को इसमें भी सुधार करने की जरूरत है।

वर्कमैन्स कम्पेंसेशन ऐक्ट (कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम) के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी उसमें जो प्रावीजन (उपबन्ध) है उसके अनुसार यदि किसी आदमी को चोट लग जाती है तो एक व्हिमजीकल (विचित्र) तरीके से यह तै कर दिया जाता है कि यह दस पर सेंट डिसेबिल (अपंगु) हुआ है या १५ पर सेंट डिसेबिल हुआ है। मैं समझता हूं कि इसके सम्बन्ध में कोई निश्चित बेसिस (आधार) होना चाहिये जिसके अनुसार तै किया जाये कि वह कितने पर सेंट तक डिसेबिल हुआ है। इस ऐक्ट में एक लिस्ट दी हुई है कि जिसमें उन अंगों का जिक्र है जिनमें चोट लग जाने से डिसेबिलिटी मानी जायेगी। यह लिस्ट शिड्यूल १ में दी गयी है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में एक कारखाने में ऐसा हुआ एक काम करते हुए मज़दूर का जांघिया पकड़ में आ गया और उसका गुप्त अंग कट गया। लेकिन

शिड्यूल १ में वह चीज़ शामिल नहीं है। नतीजा यह हुआ कि चूंकि वह कम्पनी इंशयोर्ड थी उसने इंशोरेंस कम्पनी को मामला रेफर किया कि कितना क्रम्पेन्सेशन (क्षतिपूर्ति) दिया जाये। अन्त में उस मजदूर को कम्पनी ने कम्पेशनेट ग्राउंड पर १४ रुपये ९ आने का कम्पेन्सेशन दिया। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि इस ऐक्ट में किस हद तक सुधार की आवश्यकता है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के सेक्शन ३३ में यह प्रावीजन है कि अगर कोई एम्प्लायर किसी प्राटेक्टेड वर्कमैन (रक्षित कर्मचारी) को निकालना चाहे तो उसको पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसके बाद वह उसको डिस्चार्ज (पदच्युत) कर सकता है। लेकिन जो प्रोटेक्टेड वर्कर नहीं है अगर उसको कोई एम्प्लायर निकालना चाहता है तो वह उसको एक महीने के पैसे देकर निकाल देगा और बाद में परमिशन के लिए दरख्वास्त देगा। लेकिन इसमें यह प्रावीजन नहीं दिया हुआ है कि अगर परमिशन रिफ्यूज (नहीं) कर दी जाये तो एम्प्लायर को उस आदमी को रीन्स्टेट (फिर उसके पद पर रखना) करना होगा। बावजूद इसके कि परमिशन रिफ्यूज कर दी जाये अगर एम्प्लायर उसको न रखना चाहे तो उसको कंसिलियेशन बोर्ड (समझौता बोर्ड) के सामने जाना होगा और जब लेबर कोर्ट का डिसीशन (निर्णय) हो जायेगा तब उसको रीन्स्टेट किया जायेगा, उसके पहले नहीं। इस ऐक्ट में इस हद तक कमी है और इसमें सुधार करना आवश्यक है।

अब मैं आपसे मिनिमम वेजेज ऐक्ट (न्यूनतम मजूरी अधिनियम) के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। इस ऐक्ट का मतलब यह था कि जहां पर कोई मिनिमम निश्चित नहीं है वहां पर सरकार मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए कोई मिनिमम मुकर्रर कर दे। लेकिन इसका लाभ गलत तरीके से उठाया जा रहा है। आपको मालूम होगा कि यहां से पिछले दिनों ७२ लाख रुपये के जूते रूस भेजे गये। कानपुर में जूते की सबसे बड़ी फैक्टरी कूपर एण्ड एलेन की है। लेकिन वहां पर मजदूरों को मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार वेतन मिलता है और उसका केस रेफेरेंस के लिए भी आगे नहीं भेजा जाता। उस फैक्टरी को काफी आमदनी है। मैं समझता हूं कि ऐसी आर्गनाइज्ड इंडस्ट्री के लिए मिनिमम वेजेज ऐक्ट नहीं बनाया गया है। यह तो ऐसे भौकों के लिए है कि जहां सरकार समझती है कि उसे मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए मिनिमम फिक्स (निश्चित) करना चाहिए। लेकिन जो आर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है उसको तो इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस बारे में मैं ने कई मर्तबा लेबर व इंडस्ट्रीज मिनिस्टर को लिखा कि कम से कम इसको उससे निकाला जाये ताकि उसका केस रेफरेंस के लिए जा सके लेकिन उसकी ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट में ऐसा सुधार हुआ है कि अगर कोई फैक्टरी ट्रांस्फर के जरिये या किसी और तरीके से किसी दूसरे मालिक के हाथ में चली जाये तो वर्कर्स के राइट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें भी कुछ कमी है। इस तरह के दो मामले हाईकोर्ट के सामने पेश हैं। इसमें कुछ रिवीजन की और जरूरत है। मैं समझता हूं कि जहां एम्प्लायर (नियोजक) की डेफीनीशन दी हुई है उसमें एम्प्लायर और हिज सक्सेसर (नियोजक या उसका उत्तराधिकारी) यह और जोड़ दिया जाये। मैं समझता हूं कि अगर यह सुधार कर दिया जायेगा तो मजदूरों के सर्विस की कंटीन्युइटी (निरन्तरता) बनी रहेगी।

अब मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। कभी इसका जिक्र डांगे साहब ने भी किया है और मैं काफी हद तक उनसे सहमत भी हूं। आज सौभाग्यवश लेबर डिपार्टमेंट की बागडोर एक बहुत ही अनुभवी पुरुष के हाथ में है और मैं चाहता हूं कि सरकार उनके अनुभव से, तथा उनकी योग्यता से लाभ उठावे। लेकिन मैंने देखा कि जब कभी भी कोई लेबर के बारे में मसले उठ खड़े होते हैं तो जो लेबर डिपार्टमेंट पीछे कर जाता है और उन प्राबलैम्स को जो एम्प्लायिंग मिनिस्ट्री है वही अपने हाथ में ले लेती है और उन प्राबलैम्स को वह हैंडल नहीं कर पाती है। यह इस कारण

[श्री का० ना० पांडे]

से होता है कि लेबर का प्राबलैम एक स्पेशेलाइज्ड प्राबलैम (विशेष समस्यायें) है, एक टैक्नीकल प्राबलैम है और हर एक आदमी उसको हैंडल नहीं कर सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि जितनी भी लेबर ट्रब्ल्स पैदा होती हैं, उनको अगर हमारा यह जो लेबर डिपार्टमेंट है वही तय करे और वही इनको अपने हाथ में ले तो जो झगड़े हैं वे बहुत हद तक कम हो जायेंगे और शायद बिल्कुल भी न हों। इसके साथ ही साथ मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री के जो समर्थक हैं वे जो चीज़ कहते हैं उस पर आपको ध्यान से विचार करना चाहिये। ये वे लोग हैं जोकि आपसे सहानुभूति रखते हैं और जो वे ठीक समझते हैं, आपके सामने रख देते हैं। जब ये लोग आपसे यह कहते हैं फलां फलां चीज़ की आवश्यकता है तो उसको पूरा करने में आपको तत्परता दिखानी चाहिए। मैं मिसाल के तौर पर पे कमीशन की ही बात को लेता हूं। पे कमीशन के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि दो बार आई० एन० टी० यू० सी० ने रेज़ोल्यूशन पास किए थे और कहा था कि पे कमिशन की जरूरत है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। पे कमिशन की जरूरत इस वास्ते महसूस हुई क्योंकि बाजार में पैसा ज्यादा चला गया था और जब पैसा ज्यादा चला जाता है तो डिमांड ऐंड सप्लाई की थ्योरी (सिद्धान्त) अर्थ शास्त्र के मुताबिक लागू हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि चीजों के भाव बढ़ जाते हैं और पैसों की जो परचेजिंग पावर (क्रय शक्ति) है वह कम हो जाती है। इस चीज़ को देखते हुए वेजिज रिवाइज़ करने की जरूरत महसूस होने लगती है। उस वक्त इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अन्त में जब काफी शोरगुल मचा तो मिनिस्टर साहब इस बात पर आए कि पे कमिशन बनाया जाए और वह बनाया गया। लेकिन यह कब और किन हालात में बनाया गया यह देखने की बात है। अगर आप पहले इस चीज़ पर ध्यान देते और इसको मंजूर करते तो इसका नतीजा यह निकलता कि लोग आपसे संतुष्ट होते और आपकी तारीफ करते और उनके दिलों में यह ख्याल पैदा होता कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन आपने यह तब किया जब यहां पर रेज़ोल्यूशन पेश हुआ और उस रेजोल्यूशन को पेश करने का अभिप्राय मेरे विचार में यह था कि विरोधी पार्टियों का प्रापेगंडा हो। उस वक्त जब वोटिंग का सवाल पैदा हुआ तो मैंने इसके खिलाफ वोट किया हालांकि मैं यह समझता था कि पे कमिशन (वेतन आयोग) अवश्य बनाना चाहिए। मैं समझता हूं कि जब पार्टी का प्रश्न आता है किसी चीज़ का श्रेय दूसरों को मिले यह अच्छा नहीं समझते। मेरा विश्वास है कि आज इंडस्ट्रियल क्षेत्र में तथा और दूसरे क्षेत्रों में पे के रिवीजन (संशोधन) की जरूरत है। मैंने लेबर डिपार्टमैंट की जो रिपोर्ट है उसको पढ़ा है। उसमें यह लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल फील्ड में मज़दूरों की वेज (मजूरी) को रिवाइज़ करने की जरूरत है और एक्सपेरिमेंट (प्रयोग) के तौर पर उन्होंने टैक्सटाइल इंडस्ट्री (वस्त्र उद्योग) के लिए वेज बोर्ड बनाया है। मैं पूछना चाहता हूं कि एक इंडस्ट्री के लिए अगर आप वेज बोर्ड की स्थापना कर देते हैं तो क्या इसका यह मतलब है कि बाकी को इंडस्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं और जिन के लिए आप वेज बोर्ड नहीं बनाते हैं क्या वे संतुष्ट हो जायेंगे, वे क्या सैटिसफाई हो जायेंगे? अगर आप एक इंडस्ट्री में वेज को इनक्रीस (बढ़ाते) करते हैं तो उससे क्या बाकी इंडस्ट्री के लोग खुश हो जायेंगे? आपने शूगर इंडस्ट्री के लिए एक वेज बोर्ड बड़ी मुश्किल से बनाया है। आपने एक सैंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना सिमेंट इंडस्ट्री के लिए भी की थी। मुझे याद पड़ता है कि उस एडवाइजरी बोर्ड की सजैशन (सुझाव) के मुताबिक और प्राविंसिस में भी एक एक प्राविंशल बोर्ड बनाया गया था और उसका यह काम था कि वह इस बात का फैसला करे कि सीमेंण्ट की मिलों में मिनिमम वेज क्या होनी चाहिए। मेरे ख्याल में इस बारे में कहीं भी इस संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका। उन बोर्डों की रिपोर्ट मिनिस्टर साहब को आ भी गई है और उसमें शायद यह कहा गया है कि एक वेज बोर्ड बनाना चाहिए। मैं समझता हूं कि पेशतर इसके कि कोई हल्ला गुल्ला हो, लड़ाई झगड़े हों, जहां पर आवश्यकता हो, वहां पर यदि वेज बोर्ड (मजूरी बोर्ड)

की स्थापना कर दी जाया करे तो अच्छा होगा। अगर आप कोई काम देरी से करते हैं तो उसका जो श्रेय है वह दूसरों को चला जाता है। जब उस काम को करना ही है तो क्यों नहीं उसको जल्दी से कर दिया जाता है, यह मेरी समझ म नहीं आता है।

†**श्री सोनावने** (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : सब जगह ऐसा ही होता है।

श्री का० ना० पांडे : मैं इतनी ही प्रार्थना मंत्री महोदय से करना चाहता हूं कि वह इस ओर ध्यान दें और एक्टस के अन्दर एमेंडमेंट करने के जो सुझाव मैंने दिए हैं, उन के बारे में कुछ करें। मैं यह भी चाहता हूं कि एक्टों में संशोधन करने के निमित्त आप एक कान्फ्रेंस बुलायें और उसमें जिस जिस पार्टी तथा जिस जिस व्यक्ति को कोई सजैशन देने हों, उनसे ले लें और सुधार कर लें। गजिट में पब्लिश करने से इतना फायदा नहीं होता है। जब आप पब्लिश करते हैं तो भी वही लोग अपनी सजैशंस देते हैं जोकि इस में इंटिरेस्टिड होते हैं, बाकी लोग नहीं। वे तो गजेट पढ़ते भी नहीं हैं और उन्हें पता भी नहीं रहता है कि कब क्या चीज पब्लिश हुई है और डेट आती है और गुजर जाती है। अगर आप कान्फ्रेंस बुला कर लोगों की राय लेंगे तो आपको बहुत अच्छी और बहुत उचित राय मिलेगी और उसके मुताबिक आप अपने एक्ट्स का भी सुधार कर सकेंगे।

आपने इम्प्लेमेंटेशन (कार्यान्विति) की बात भी कही है। यह ठीक है कि एक इंडियन लेबर कान्फ्रेंस हुई थी और उसमें यह बात आई थी कि गो-स्लो (कम काम करो) को हमें कंडेम (निन्दा) करना चाहिए। कोई भी सेन (समझदार) तथा रीज़नेबल आदमी गो-स्लो के टैक्टिक्स (उपाय) को ठीक नहीं कह सकता। ये एक हानिकारक टैक्टिक्स है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मैं इसके साथ ही साथ यह कहे बगैर भी नहीं रह सकता कि कई बार मज़दूर इस टैक्टिक्स को अपनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कई बार ऐसा देखने में आया है कि जब कोर्ट में केस चला जाता है तो पेंडेंसी हो जाती है और हम स्ट्राइक भी नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एम्प्लायर्स लाक-आउट (ताला-बन्दी) भी नहीं कर सकते हैं पर हमें और तरह से परेशान किया जाता है। जब हम देखते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो मजबूर होकर हमें गो-स्लो के टैक्टिक्स को एडाप्ट करना पड़ता है। दूसरी तरफ हम खुद भी गो-स्लो को बहुत बुरी निगाह से देखते हैं और खुद भी इस बात के हक में नहीं हैं कि गो-स्लो हो। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि एम्प्लायर्स भी गो-स्लो टैक्टिक्स एडाप्ट करते हैं और वह इस तरह से कि जब अवार्ड (पंचाट) आ जाता है तो वे हाइ कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं जिसका नतीजा यह निकलता है कि जो लाभ मजदूरों को तीन साल पहले पहुंच जाना चाहिए था वह उनको तीन साल बाद या उससे अधिक समय बाद पहुंचता है। इस तरह के गो-स्लो टैक्टिक्स एम्प्लायर्स की तरफ से एडाप्ट किए जाते हैं। इस वास्ते जरूरत इस बात की है कि नियमों में कुछ संशोधन किए जायें और इनका संशोधन इस तरह से करना चाहिए जिससे कि मजदूरों के हितों की रक्षा हो सके। किसी भी शख्स के पेशेंस (धीरज) की हद होती है। जब मजदूरों को यह पता चलता है कि मामला हाई कोर्ट में तथा सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा रहा है और उसका फैसला होते होते दस साल तक भी लग सकते हैं तो मजदूर परेशान होकर इस टैक्टिक को एडाप्ट करते हैं। इस तरह से केस को लटकाये रखे जाने की कोशिश की जाती है जिसको लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कानून की बातें सब को मान्य होनी चाहियें। लेकिन मजदूरों के हितों की रक्षा का भी समुचित प्रबन्ध किया जाना आवश्यक है। मैं इस बात को मानता हूं कि फोर्स से इंडस्ट्रियल पीस (औद्योगिक शान्ति) नहीं हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग (समझौते) से यह सम्भव हो सकता है। आपस में बैठकर बातचीत करके ही यह सम्भव हो सकता है और समझौते द्वारा ही यह सम्भव हो सकता है। इस वास्ते जरूरत इस बात की है कि गो-स्लो टैक्टिक्स न मजदूरों की ओर से और न ही मालिकों की ओर से अपनाये जायें।

[श्री का० ना० पांडे]

इतना कहकर मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो सुझाव मैंने आपको पेश किए हैं उन पर आप विचार करें और जहां तक सम्भव हो उनको अमल में लाने का प्रयत्न करें।

†**श्री ओझा** (झालावाड़) : काफी समय से हम देख रहे हैं कि श्रम मंत्रालय ने काफी कार्य किया है। इसलिये यह धन्यवाद का पात्र है और इस की मांगों का समर्थन किया जाना चाहिये। काफी समस्याओं का इस ने समय रहते हल किया है। अभी हमारे माननीय मित्र श्री डांगे ने यह ताना मारा है कि हमारी कोई श्रम नीति नहीं है। परन्तु वह तो हमारी हर बात पर ही आलोचना और तानेबाजी करते हैं। वह चाहते हैं कि हम उन की नीति का अनुसरण करें। मतभेद हो सकता है परन्तु यह मतलब नहीं कि हमारी कोई श्रम नीति ही नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि स्वयं उन की भी कोई स्थायी नीति नहीं है। उन की नीति हमेशा बदलती रहती है। उन्होंने कर्मचारियों की अधीरता की बात कही पर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में तो धैर्य रखना ही पड़ता है, पर धीरज रखने की बात उन्हें अप्रिय लगती है। अपने कार्यक्रम और योजना की पूर्ति के लिये हम लोगों को केवल समझा बुझा कर ही अपने साथ ला सकते हैं किसी प्रकार का बल का प्रयोग करना ठीक नहीं है।

हम दूसरी पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष में हैं। मैंने योजना का अध्ययन भली भांति किया है और मैं उन माननीय मित्रों से सहमत नहीं हूं जो कहते हैं कि भारी उद्योगों पर अधिक जोर दिया जाना चाहिये। वे अन्य देशों का उदाहरण देते हैं, अन्य देशों के उदाहरणों से कोई लाभ नहीं। औद्योगीकरण के लिये यह जरूरी है कि पहले उस की मजबूत नींव रखी जाये क्योंकि भारी उद्योगों का इस देश में नितान्त अभाव ही रहा है। प्रसन्नता की बात है कि योजना के निर्माताओं ने इस बात की उपेक्षा नहीं की। किसी देश की समृद्धि का पता उस देश में बुनियादी तथा गौड़ उद्योगों के रोजगार में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या से चलता है। यदि बुनियादी उद्योगों में अधिक लोग काम करते हों तो देश की अवस्था पिछड़ी हुई समझी जायेगी। अतः हमें भी बुनियादी उद्योगों में कम तथा गौड़ उद्योगों में अधिक लोगों को लगाना चाहिये।

हमारे देश में तीव्र गति से औद्योगीकरण हो रहा है। और मेरा विचार है कि हम अधिक से अधिक लोगों को बुनियादी उद्योगों से हटा कर गौड़ उद्योगों में ले जाने के योग्य हो जायें। चूंकि उद्योगों का विकास बढ़ेगा और नये नये कारखाने खुलेंगे अतः यह उचित समय है कि हम अपनी औद्योगिक नीति का पुनरीक्षण करें और नियोजकों और कर्मचारियों के बीच शांतिपूर्ण आधार पर अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न करें। आज हम यह नहीं कह सकते कि कर्मचारियों तथा नियोजकों के बीच इस समय जो सम्बन्ध है उस से हम सन्तुष्ट हैं। बाहर से चाहे कुछ दिखाई न दे परन्तु भीतर से कहीं शान्ति दिखाई नहीं देती। और इस के बिना उत्पादन कैसे बढ़ सकता है?

पर प्रश्न यह है कि यह आन्तरिक शान्ति किस प्रकार पैदा की जाये। आज से कुछ वर्ष पूर्व इस देश में सब कुछ ठीक था। प्रत्येक क्षेत्र में शान्ति थी। स्कूलों, कालिजों और कारखानों, सभी स्थानों पर अनुशासन का पालन होता था। पर ध्यान रहे कि वह अनुशासन भय के कारण था। लोग भय के कारण अनुशासन मान रहे थे। हम यह नहीं चाहते कि भय दिखा कर अनुशासन का पालन कराया जाये। हम चाहते हैं कि लोग स्वयं यह अनुभव करें कि उन्हें कुछ नियमों तथा अनुशासन का पालन स्वयं करना है। यह कैसे सम्भव हो सकता है? इस के लिये काफी धैर्य से काम लेना होगा। तभी हम सभी क्षेत्रों में, चाहे सरकारी हो अथवा गैर-सरकारी, अनुशासन पैदा कर सकते हैं।

हाल ही में एक भारतीय श्रम सम्मेलन हुआ था उससे बहुत अच्छा मित्रतापूर्ण वातावरण रहा और भाग लेने वाले तीनों पक्षों ने कुछ निश्चय और समझौते किये, हमें आशा करनी चाहिए कि उनको

---

† मूल अंग्रेजी में

उसी भावना से कार्यान्वित किया जायेगा। हम नियोजकों और कर्मचारियों में अच्छे सम्बन्ध पैदा करने की बातें करते हैं। हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि आखिर कर्मचारी क्यों काम करने के लिये आता है? इस लिए कि उसे वेतन मिलेगा, और उसका जीवन स्तर ऊंचा होगा। अतः उसके वेतन को अवश्य बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वह संतुष्ट रहे। बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, जब वे अपनी नौकरी के सब से ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो काम में उनकी रुचि नहीं रहती। वे कहते हैं कि आगे काम करने से क्या लाभ? क्योंकि उनका वेतन आगे नहीं बढ़ पायेगा। इसी प्रकार कम वेतन पाने वालों की बात है। वेतन वृद्धि के प्रोत्साहन के बिना उन्हें कोई प्रेरणा नहीं मिल सकती। अतः उनकी मांगें सर्वथा उचित हैं। कर्मचारी अपना और अपने परिवार का जीवन स्तर ऊंचा करना चाहते हैं परन्तु नियोजक कहते हैं कि कर्मचारियों में अनुशासन नहीं है। वे आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। किसी सीमा तक दोनों बातें ठीक हैं, परन्तु यह बात नहीं कि इस समस्या का कोई हल नहीं है। इसका हल है। श्रम मंत्रालय को एक छः सूत्री कार्यक्रम अपनाना चाहिये। कर्मचारियों के लिये सेवा की अच्छी शर्तें, योग्य व्यक्तियों द्वारा प्रबन्ध, अच्छा अनुशासन, अच्छा उत्पादन, अच्छा जीवन स्तर और झगड़े निपटाने के अच्छे ढंग। इन को एक साथ चलाया जाये। इस के लिये समस्त दलों, सार्वजनिक कार्यकर्ताओं और जन सेवकों का सहयोग लिया जाय। मैं समझता हूं कि इस प्रकार यह समस्या अवश्य हल हो जायेगी।

कुछ कारखानों को छोड़ कर सभी कारखानों में स्वच्छता और सफाई की अवस्था सन्तोषजनक नहीं है। कारखाना निरीक्षक तो वर्ष में एक बार भी वहां नहीं पहुंच सकते। इन हालात में काम की अवस्था कैसे सुधरे? मेरा सुझाव है कि प्रत्येक औद्योगिक केन्द्र में त्रिदलीय व्यवस्था होनी चाहिये। कारखानों में जनमत के प्रभाव से इस प्रकार का वातावरण निर्माण किया जाना चाहिये कि कार्य की अवस्था ठीक हो। प्रबन्ध के सम्बन्ध में, कई नियोजकों की राय है कि कर्मचारी भी जैसे उत्पादन की ही एक वस्तु है। परन्तु हमें याद रखना चाहिये कि मशीन के पीछे काम करने वाला व्यक्ति एक जीता जागता इन्सान है। वही देश का निर्माण करता है। वही देश को बरबाद भी कर सकता है। अतः उसे केवल वस्तु मात्र समझना भूल है। नियोजकों का व्यवहार कर्मचारियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिये। और श्रम मंत्रालय को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि कर्मचारियों के हित की ओर नियोजक पूरा ध्यान दें। इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाये कि दिन प्रतिदिन के कार्य में उन्हें कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

कर्मचारियों के कार्य की दशा ठीक होने से तथा ठीक प्रबन्ध होने से अनुशासन भी अच्छा होगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। आज की अवस्था में भी वेतन वृद्धि की मांग न्यायोचित है। उद्योग के लाभों में नियोजक और कर्मचारियों दोनों का भाग होना चाहिये। इससे ही कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होना सम्भव है।

अन्त में, मेरा कहना है कि औद्योगिक झगड़ों का समझौता कराने वाली व्यवस्था अच्छी नहीं है। एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित होनी चाहिये जिस के भीतर समझौता अवश्य हो जाना चाहिये। यदि समझौता न हो पाये तो मामले को न्यायनिर्णय के लिये भेजा जाना चाहिये। परन्तु आज की अवस्था में मामला मालिकों और सरकार के हाथ में ही रहता है। मेरा कहना है कि असन्तुष्ट पक्षों को अदालतों में जाने का अधिकार होना चाहिये और न्यायालय जो निर्णय दें उन को ठीक ढंग से कार्यान्वित किया जाये। न्याय में देरी नहीं होनी चाहिये अन्यथा स्वतंत्र न्यायपालिका पर से लोगों का विश्वास उठ जायेगा। अतः शीघ्र ही इस सम्बन्ध में कोई उचित व्यवस्था की जानी चाहिये।

†श्री घोषाल (उलुबेरिया) : श्रमिकों में असन्तोष बढ़ रहा है और समस्या दिन प्रति दिन उलझती ही जाती है। यदि हम इस समस्या का मूल कारण नहीं ढूंढ़ेंगे तो समस्या हल नहीं होगी। इसके दो कारण हैं एक आर्थिक और दूसरा प्रक्रिया सम्बन्धी है। कीमतों के बढ़ जाने से, जीवन की आवश्यकताओं पर खर्च अधिक बढ़ गया है, इस कारण श्रमिक परेशान होकर वेतन वृद्धि की मांग करता है। वेतन को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के स्तर पर लाना होगा, बेकारी की समस्या को हल करना होगा। यह भी ध्यान रखना चाहिये कि वस्तुओं के मूल्य और आगे न बढ़ें। इसके बिना श्रमिकों का असन्तोष दूर नहीं हो सकता।

इस असन्तोष का दूसरा कारण प्रक्रिया सम्बन्धी है। आज जिस प्रक्रिया से झगड़े निपटाये जा रहे हैं उसमें काफी देर लग जाती है। यह दोष सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में फैला हुआ है। सरकारी क्षेत्रों में तो इस सम्बंध में डाक तार कर्मचारियों, केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों, रेलवे कर्मचारियों तथा प्रेस कर्मचारियों की मांगों के कई उदाहरण दिये जा सकते हैं।

इसी प्रकार गैरसरकारी क्षेत्र में भी मेसर्स मैकलयूड एण्ड को का मामला है, ५-३-५६ को कर्मचारियों ने अपनी मांगें दे दी थीं पर अब तक भी प्रादेशिक ऋण आयुक्त ने कोई भी कार्यवाही नहीं की है। न्याय निर्णयन का मामला लीजिये संयुक्त स्टीमर समवाय के कर्मचारियों के बोनस का झगड़ा १० वर्ष से उच्चतम न्यायालय में पड़ा हुआ है।

एक कठिनाई यह भी है कि नियोजक पंचाटों को कार्यान्वित नहीं करते। सरकार से शिकायत की जाती है तो इस बात की जांच के लिये एक अन्य न्यायाधिकरण स्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार कई वर्ष लग जाते हैं। यहां सभी सदस्य यह कहते हैं कि पंचाटों को कार्यान्वित करने में जल्दी की जाय पर मामले लाल फीताशाही में इस प्रकार उलझ जाते हैं कि बहुत देर हो जाती है। इन न्यायाधिकरणों को कुछ कानूनी अधिकार होने चाहियें जैसा कि व्यवहार तथा दण्ड न्यायालयों के न्यायाधीशों को होते है। तभी यह पंचाट बलपूर्वक कार्यान्वित कराये जा सकते हैं।

मैं तीन अन्य केन्द्रीय अधिनियमों का उल्लेख करना चाहता हूं जिनमें तुरन्त संशोधन की आवश्यकता है। पश्चिमी बंगाल में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के दोहरे नियन्त्रण के कारण कर्मचारी काफी परेशान हैं। कर्मचारियों की मृत्यु तक हो जाती है पर नियोजक यह कह कर बरी हो जाता है कि बीमा विभाग की सहायता ठीक समय पर नहीं आ पाई। उसी प्रकार अन्य सुविधायें भी उन्हें नहीं मिल पातीं। अतः इसमें संशोधन होना चाहिये तथा अब कर्मचारियों से चन्दा भी नहीं लिया जाना चाहिये क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। नियोजक भविष्य निधि विधेयक के सम्बन्ध में यही कठिनाई है कि नियोजक इस निधि में अपना अंश जमा नहीं करते और कर्मचारियों को अन्त में भविष्य निधि प्राप्त करने में काफी कठिनाई होती है, और मामले अदालतों तक जाते हैं। लगभग २०० ऐसे मामले अदालतों में पड़े हैं। न कर्मचारियों को उनकी भविष्य निधि मिलती है और न नियोजक अपना अंश आयुक्त के पास जमा करते हैं।

मजदूरी भुगतान अधिनियम में संशोधन करके वाणिज्यिक कर्मचारियों को इस के अन्तर्गत कर लेना चाहिये क्योंकि वे आर्थिक दृष्टि से बहुत पीड़ित हैं।

अब मैं बेरोजगारी के सवाल को लेता हूं। "स्टेट्समैन" में ये आंकड़े दिये गये थे कि पश्चिमी बंगाल के बेरोजगारी विभाग के रजिस्टर में बेरोजगार लोगों के १,१४,५५४ नाम हैं। ये आंकड़े भारत में सब से अधिक हैं। इस वर्ष ३६,००० विद्यार्थी अन्तिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं जिनमें से केवल २०,००० व्यावसायिक संस्थाओं और कालेजों में जायेंगे। हमें पता नहीं कि शेष १६,०००

†मूल अंग्रेजी में

छात्रों का क्या बनेगा ? इस सम्बन्ध में मैं हाल ही की एक घटना बताना चाहता हूं । रेलवे विभाग को १५,००० लोगों को नियुक्त करना था । ५४,००० लोगों ने आवेदन पत्र भेजे । इनमें से ३७,५०० ने परीक्षा दी और एक एक रुपया भेजा और मौखिक परीक्षा के लिए कलकत्ते आने के लिए उन्हें २०, २५ रुपये भी व्यय करने पड़े । उसके पश्चात् इस भर्ती की प्रस्थापना को रद्द कर दिया गया । इन बेरोजगार लोगों से लाखों रुपया व्यय करवाने का आखिर क्या अभिप्राय है ? सारे भारत में बेरोजगारी की यही स्थिति है और जब तक सरकार कोई विस्तृत योजना नहीं बनाएगी इस समस्या को हल नहीं किया जा सकता ।

पश्चिमी बंगाल में पटसन की मिलों के राष्ट्रीयकरण के कारण बहुत अधिक छटनी की गई है और श्रमिक वर्ग में भी बेरोजगारी बढ़ रही है । श्रमिकों की अशांति को दूर करने के लिये भी विस्तृत योजना की आवश्यकता है ।

†**श्री सोमानी** (दोसा): श्रम मंत्रालय उद्योग और श्रमिकों के अच्छे सम्बन्ध पैदा करने के लिये जो कार्य कर रहा है मैं उस के सम्बन्ध में कुछ बातें कहूंगा । हाल ही में दिल्ली में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के अपने अनुभव से मैं जानता हूं कि बहुत से महत्वपूर्ण और विवादास्पद विषयों के सम्बन्ध में क्या लाभदायक कार्य किया गया है । वहां किये गये जिन महत्वपूर्ण निर्णयों का समर्थन श्रमिकों के सभी विभागों ने किया है मैं उन का संक्षेप में उल्लेख करूंगा । प्रबंध में श्रमिकों द्वारा भाग लेने की अत्यंत विवादास्पद समस्या के सम्बन्ध में विभिन्न देशों में इस योजना के संचालन का अध्ययन करने के लिये नियोजकों और श्रमिकों का एक प्रतिनिधिमंडल श्रम मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व के अधीन दौरे पर गया था । उन के अध्ययन के आधार पर इस योजना को एक व्यावहारिक रूप प्रदान किया गया है जिसे श्रमिकों और नियोजकों दोनों के प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया है । पहली बार कुछ महत्वपूर्ण गैर-सरकारी उद्योग अपने प्रबन्ध में इस योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि उस से जो प्रगति होगी उस से शनैः शनैः यह योजना सारे देश में फैल जायेगी ।

इस समय श्रमिकों के प्रतिनिधि कभी कभी जो प्रवृत्ति दिखाते हैं उस के कारण नियोजकों में इस योजना के विषय में गलत धारणायें थीं परन्तु यह दिखाने के लिये कि उन्हें शीघ्रातिशीघ्र शान्तिपूर्ण सम्बन्ध पैदा करने चाहिये उन के सभी प्रतिनिधियों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है और कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों में इसे आरम्भ किया है ।

हम सब इस बात पर सहमत हुए हैं कि जहां भी वैज्ञानिक आरम्भ किया जाये वहां बगैर छटनी के किया जाये और सम्बंधित संघों की सहकारिता से किया जाये । इस की कार्यान्विति के लिये कतिपय शर्तों का उपबंध किया गया है ।

मजूरी बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिये जिससे न केवल देशी मंडियों में वरन् अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में भी माल के संभरण पर अनुचित भार न पड़े । अतः एक ओर श्रमिकों का जीवन स्तर ऊंचा करना है और दूसरी ओर निर्मित वस्तुओं का मूल्य कम रखने के लिये भरसक प्रयत्न करना है जिस से कि विभिन्न उद्योग प्रतिस्पर्धा कर सकें ।

मजूरी बोर्डों के सिद्धान्त को सम्मेलन में एकमत से स्वीकार किया गया था और देश के प्रमुख उद्योग अर्थात् वस्त्र उद्योग में गत कुछ मास से इस सिफारिश को कार्यान्वित किया जा रहा है । मजूरी बोर्ड वस्त्र उद्योग की मजूरी व्यवस्था की जांच कर रहा है । माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि अन्य उद्योगों में यह नीति धीरे धीरे कार्यान्वित करनी चाहिये ताकि किसी उद्योग की आर्थिक व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा न हो ।

---

†मूल मंराजी में ।

[श्री सोमानी]

अनुशासन के प्रश्न से नियोजक बहुत चिंतातुर रहे हैं क्योंकि हिंसा और अनुशासनहीनता की घटनायें प्रायः होती रहती है । इस सम्बन्ध में श्रम सम्मेलन में सभी ने एक मत हो कर संकल्प को स्वीकार किया था । परन्तु उस का क्या परिणाम तभी निकल सकता है यदि सम्मेलन की सिफारिशों को ठीक भावना से कार्यान्वित किया जाये ।

देश के विभिन्न भागों में जिस तरह की आजकल बातें हो रहीं हैं उन्हें देख कर मैं बहुत चिंतित हूं । केरल राज्य से, जहां साम्यवादियों का राज्य है, बहुत भयावह समाचार मिल रहे हैं ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

बम्बई से समाचार मिला है कि केरल में साम्यवादी दल के लोग बागानों में बहुत हस्तक्षेप कर रहे हैं और यदि केन्द्रीय सरकार उन के तुरंत राष्ट्रीयकरण के लिये तैयार न हुई तो साम्यवादी आतंक द्वारा बागान प्रबंधकों को बागान छोड़ने पर मजबूर कर देंगे । बागान प्रबंधकों के घरों पर धरना दिया जाता है और उन के जल संभरण में अड़चने पैदा की जाती हैं । इस प्रकार के बहुत से समाचार हैं और वे विभिन्न साधनों से मिले हैं । अतः यह निष्कर्ष निकालना ही पड़ता है कि वहां कुछ गड़ बड़ अवश्य है ।

अभी कुछ समय पूर्व साम्यवादी दल के नेता को सुझाव दिया था कि जो कारखाने बंद हो गये हैं उन्हें या तो सरकार चलाये अथवा श्रमिकों को दे दे । यह सुझाव कार्यान्वित नहीं हो सकता । शोलापुर मिल को सरकार ने कुछ वर्ष स्वयं चलाया था और फिर प्रति वर्ष हानि होने के कारण वह पुनः मालिकों को लौटा दी गई । कारखानों के बंद होने का कारण कुछ अधिक गहरा होता है । मैं इस बात के लिये तैयार हूं कि किसी कपड़े की मिल का कार्य श्रमिकों के प्रतिनिधियों को सौंप कर देखा जाये कि वे कैसे काम करते हैं । आज की परिस्थितियों में इस समस्या का हल निकालना इतना सुगम नहीं है । जब तक कारखाने के बंद होने के वास्तविक कारण को ढूंढ कर कोई उपचार न किया जाये उनका लाभदायक ढंग से कार्य संचालन नहीं किया जा सकता । यह भी हो सकता है कि उस की मशीने पुरानी हों या कारखाना ही बहुत छोटा हो ।

मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि कोई उद्योगपति कारखाना बंद करने के लिये तैयार नहीं हो सकता क्यों कि इस से श्रमिकों से भी अधिक उस के हित पर आघात पहुंचता है । अतः कपड़े और पटसन के कारखानों के बंद होने का वैज्ञानिक कारण ढूंढ कर वास्तविक उपकार करने से ही कार्य संचालन की अच्छी व्यवस्था हो सकती हैं ।

औद्योगिक क्षेत्र में आवास कार्यक्रम की प्रगति धीमी होने का कारण यह भी है कि नियोजकों की कठिनाइयों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता । प्रत्येक सम्मेलन में यह सिफारिश की गई है कि केन्द्रीय सरकार जो वित्तीय सहायता या ऋण देती है उस की राशि बढ़ा देनी चाहिये परन्तु इस सिफारिश के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया । कुछ प्रशासनिक कठिनाइयां भी हैं और मंत्रालय का ध्यान उस ओर कई बार दिलाया गया है कि किस प्रकार योजना की मंजूरी में और फिर पैसे देने में देरी की जाती है ।

मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे इन कठिनाइयों को दूर करें ताकि आवास सम्बन्धी कार्यक्रम में प्रगति हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बाल कृष्ण वासनिक (भंडारा–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मंत्रालय की बागडोर आज एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है, एक ऐसा व्यक्ति इसका नेतृत्व कर रहा है जिसने कि गांधी जी से शिक्षा प्राप्त की है और मैं इस बात का विश्वास करता हूं कि वे कुछ ऐसे कानून बनायेंगे, कुछ ऐसे नियम बनायेंगे, कुछ ऐसी कार्रवाइयां करेंगे जोकि देश के मज़दूरों के हित में होंगी। मज़दूरों के हितों की रक्षा करने के लिये बहुत से कानून बनाये भी गये हैं । परन्तु इन कानूनों के बन जाने के बाद भी जो बातें इस देश में मालिकों द्वारा आज भी हो रही हैं, उनको देख कर आश्चर्य होता है और वे बहुत ही विचित्र बातें हैं। मैंने भी मज़दूर आंदोलनों में भाग लिया है तथा मध्य प्रदेश जो पुराना था जो उसमें मिनिमम वेजेज़ एडवाइज़री कमेटी (न्यूनतम मजूरी मन्त्रणा समिति) बनाई थी, उसका भी मैं सदस्य रह चुका हूं ।

मैंने देखा है कि मध्य प्रदेश के बीड़ी मज़दूरों के लिये जो कि मान वेतन (मिनिमम वेज़िज) करना तय हुआ था उसके तय होते ही बीड़ी मालिकों की ओर से कोई ऐसी कार्रवाई शुरू हुई जोकि नहीं होनी चाहिये थी। जब उनको यह पता चला कि मिनिमम वेज़िज़ (न्यूनतम मजूरी) मज़दूरों के लिये फिक्स होने जा रही है और एक बोर्ड की स्थापना होने जा रही है और यह इसलिये कि वहां पर मजदूरों को बहुत ही कम वेतन दिया जाता था, तो उन्होंने धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उन कारखानों को जोकि मध्य प्रदेश में और खास तौर से भंडारा जिले में थे वहां से हटाना शुरू कर दिया और बिहार में चक्कद्दरपुर में ले गये और वहां पर अपना कारोबार शुरू कर दिया। इसका मुख्य कारण यह था कि वहां पर बहुत सस्ते रेट्स पर मजदूर उपलब्ध हो सकते थे और इस कारण से उनकी जो कास्ट आफ प्रोडक्शन (लागत मूल्य) थी, वह कम हो सकती थी। वे लोग हमेशा ही इस बात में उलझे रहते हैं कि जहां कहीं भी उनकी कास्ट आफ प्रोडकशन कम आये वहां पर वे अपनी इंडस्ट्री (उद्योग) को ले जायें। वह बीड़ी इंडस्ट्री ऐसी है जिसको कि बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर तम्बाकू से तथा पत्ती से मज़दूरों की सहायता लेकर चालू किया जा सकता है और बीड़ी बनाई जा सकती है। यदि इस तरह की बातों को चलने दिया जाये तो मेरा खयाल है कि मज़दूरों का किसी भी प्रकार से हित नहीं हो सकता है ।

जब हम भंडारा जिले के बीडी कारखानों की तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक दो वर्ष से जब से कि मिनिमम वेजिज़ का वहां पर सवाल उठा है और जब से राज्य औद्योगिक न्यायालय में भंडारा जिले के बीड़ी मज़दूरों का मामला पेश हुआ है जिसमें बीड़ी छांट का रेफरेंस रखा गया है तब से वहां के बीडी कारखाने बन्द होने शुरू हो गये हैं और कई सौ मज़दूर बेकार हो गये हैं और होते जा रहे हैं। इस परिस्थिति की चर्चा मैंने वहां के राज्य के श्रम मंत्री जी से की थी तथा दूसरे राज्यों के श्रम मंत्रियों से भी की थी। बम्बई राज्य के श्रम मंत्री जब गोंदिया में आये थे तो उन्होंने मालिकों तथा मज़दूरों के प्रतिनिधियों की एक सभा बुलाई थी। उस सभा में मालिकों के प्रतिनिधियों ने उन्हें यह स्पष्ट रूप से बता दिया था कि इन कारखानों को भंडारा जिले से चकद्दरपुर में ले जाया जा रहा है और भारी तादाद में ले जाया जा रहा है और इसका स्पष्टतः नतीजा यह हो रहा है कि भंडारा जिले के मज़दूर भारी तादाद में बेकार हो रहे हैं । यदि यहां पर बैठे हुये उप-श्रम मंत्री जी याद करें तो उनको याद आ जायेगा कि उनको भी मैंने इस चीज़ की जानकारी करा दी थी और पहले जो श्रम मंत्री थे खंडू भाई देसाई जी उनसे भी मैंने इस संबंध में चर्चा की थी। मैंने उनसे निवेदन किया था कि इस सवाल का कोई न कोई हल खोजा जाना चाहिये। इसका एक ही हल हो सकता है और वह यह हो सकता है कि चूंकि भंडारा जिले में वेजिज के रेटस ज्यादा हैं इसलिये वहां के मालिकों की हमेशा यह कोशिश रहती

[श्री बाल कृष्ण वासनिक]

है कि जहां पर रेट्स कम हों वहां पर जाकर वे अपने कारखाने को चलावें ताकि उनकी जो कास्ट आफ प्रोडक्शन है वह कम आवे इसको रोका जाये बाकी जगहों पर भी वेजिज को बढ़ा दिया जाये ताकि मालिकों को दूसरी जगहों पर जाकर वहां पर कारखानों को लगा कर, कम मज़दूरी देकर, और कास्ट आफ प्रोडक्शन (उत्पादन लागत) को घटा कर जो इसेंटिव (प्रोत्साहन) मिलता है वह न मिल पाये। हां इतना मैं अवश्य कहूंगा कि मज़दूरी में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिये। इसका यह नतीजा होगा कि जहां पर वे अपना कारखाना ले जाना चाहेंगे वहीं पर उनको बहुत कम रेट्स पर मज़दूर नहीं मिल सकेंगे और उनकी यह टेंडेंसी (प्रवृत्ति) जोकि बढ़ती ही जा रही है कि सस्ती जगहों पर इन कारखानों को स्थापित किया जाये, घटेगी और इसको चैक किया जा सकेगा। जब ऐसा होगा तो वे उस कारखाने के उस जगह पर ले जाने से पहले ज़ो खर्चा उनको पड़ेगा, उस पर सोचेंगे और कारखाने को दूसरी जगह नहीं ले जायेंगे। इस वास्ते यदि सारे देश में बीड़ी कारखाने के लिये मिनिमम वेजिज़ फिक्स कर दी जायें तो यह सभी के हित में होगा और जहां पर कम वेतन पर मज़दूर मिलते हैं वहां पर इन कारखानों को नहीं ले जाया जायेगा और इन्हें उन्हीं जगहों पर रहने दिया जायेगा जहां पर कि ये हैं और इनको ट्रांसफर करने की नौबत नहीं आयेगी। इस बारे में मैंने आई० एन० टी० यू० सी० के जो अध्यक्ष हैं, श्री वसावड़ा, उनसे भी बात की थी और उन्होंने भी इस बात को मान्य किया था और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पुराने बम्बई राज्य में जो मिनिमम वेजिज़ लागू की गई थी बीडी उद्योग पर वे मध्य प्रदेश से या दूसरी जगहों की वेजिस से ज्यादा थीं। उस वक्त भी यह बात आई थी और उन्होंने भी यह कहा था कि जहां पर वेतन कम हैं वहां पर इन क़ारखानों को लेजाना शुरू कर दिया गया है और इसको रोका जाना चाहिये। इसके बारे में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें और कोई ऐसा प्रबन्ध करें जिससे कि इन कारखानों को दूसरी जगह न हटाया जा सके।

अब मैं इंडस्ट्रियल हाउसिंग (औद्योगिक आवास) के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम के तहत बहुत से मकानात मज़दूरों के लिये बनाये जाते हैं। परन्तु मैंने इस चीज़ को देखा है और इस चीज़ को रिपोर्ट के अन्दर भी मान्य किया गया है कि बहुत से क्वार्टर्स को मज़दूरों द्वारा औक्यूपाई नहीं किया जाता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि इनके रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। सिंगल रूम टेनेमेंट्स (एक कमरे का घर) का किराया दस रुपया माहवार रख दिया जाता है। अगर हम मज़दूरों के वेतनों को देखें तो हमें पता चलेगा कि वे इतना अधिक किराया नहीं दे सकते हैं। अगर वे इतना किराया दे दें तो उनका गुज़ारा तथा उनके बाल बच्चों का गुज़ारा नहीं हो सकता है। इतना अधिक किराया देकर वे अपने जीवन की अन्य आवश्यक चीज़ों को खरीद नहीं सकते हैं और उनको उनसे महरूम रहना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि गांवों में जिन घरों में ये लोग रहते हैं वे घर बेशक अच्छी कंडिशन (स्थिति) में न हों, भले ही वे छोटे छोटे घर हों, परन्तु इस तरह के घर उन्हें वहां बहुत थोड़े किराये पर दो या तीन रुपया महीना किराये पर मिल जाते हैं। यह मानी हुई बात है कि उन घरों की जो सैनिटरी कंडिशन होती है वह अच्छी नहीं हो सकती है तथा वहां दूसरी एमेनिटीज़ (सुविधायें) उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। परन्तु फिर भी वे लोग छः सात रुपया अधिक किराया नहीं दे सकते हैं, उनकी जेब इतना अधिक किराया देने के काबिल नहीं होती है। अच्छे मकानों में रहने के बजाय वे लोग इन घरों में ही रहना अधिक पसन्द करते हैं। पुराने मध्य प्रदेश में, जिसका विदर्भ का इलाका अब बम्बई राज्य में आ गया है, जो हाउसिंग बोर्ड था उसका मैं मैम्बर रहा हूं और मैंने देखा है कि जितने भी मकान बनाये जाते हैं इन सब में एक तो एकोमोडेशन (आवास) कम होती है और एकोमोडेशन की बात

को तो जाने दीजिये परन्तु मैं यह कहूंगा कि दूसरी जो एमेनेटीज़ मज़दूरों को दी जानी चाहियें वे एमेनेटीज़ बिल्कुल नहीं दी जाती हैं। वहां पर उनको पानी की तकलीफ है, नल नहीं है और किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है, रोशनी की व्यवस्था नहीं है और सैनेटरी कंडीशन (सफाई व्यवस्था) वहां की बिल्कुल ठीक नहीं होती है और एक मज़दूर १० रुपये रेंट देने के बाद या जितना भी रेंट निर्धारित किया गया हो, उतना रेंट देने के बाद भी जब वहां पर जाता है तो देखता है कि वह वहां पर नहीं रह सकता और कोई सुविधा उपलब्ध न होने के कारण वह वहां पर नहीं रह पाता है और यही कारण है कि मज़दूर इस सैब्सिडाइज्ड स्कीम (वित्तीय सहायता प्राप्त) योजना आफ़ हाउसेज़ फ़ौर इंडस्ट्रियल वर्कर्स् के द्वारा बनाये हुये मकानों में नहीं जाना चाहते क्योंकि एक तो उनका रेंट ज्यादा है और दूसरे आवश्यक ऐमेनिटीज़ भी वहां पर नहीं हैं। इसके संबंध में मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि चूंकि उन मकानों का रेंट बहुत ज्यादा है इसलिये ऐसी व्यवस्था करें कि रेंट का ५० पर सेंट तो एम्पलायर्स बिअर करे और ५० पर सेंट रेंट मज़दूरों से लिया जाय और यदि इस तरह सस्ते पैमाने पर मज़दूरों को घर मिलने लगें तो हो सकता है कि यह सारे के सारे घर मज़दूरों द्वारा औकुपाइड हो सकते हैं।

आखिर मज़दूर ही तो किसी इंडस्ट्री को बनाते हैं और उसको चलाते हैं और इसलिये हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट्स का भी यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे अपने मज़दूरों के लिये अच्छे मकानात बनवायें और हम देखते हैं कि संसार के अन्य देशों में भी मिलमालिकों द्वारा अपने मज़दूरों के वास्ते मकानात बनाने की व्यवस्था की जाती है परन्तु अभाग्यवश हमारे देश में जो मिलमालिक वर्ग है वह मालिक वर्ग, इस प्रकार का है जो कभी इस बात को चाहता नहीं है कि उसकी जेब से पैसा जाय और मज़दूरों को ज्यादा एमैनेटीज़ और ज्यादा अच्छी चीज़ें मिलें। इस दिशा में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि एम्पलायर्स (निर्माताओं) पर कुछ ऐसा हाउसिंग टैक्स लगाया जाय ताकि यदि एम्पलायर्स खुद मकान नहीं बनवाते हैं तो उनसे यह हाउसिंग टैक्स वसूल करके मज़दूरों के लिये हाउसिंग कौल्नीज बनाई जायें। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जो नई नई इंडस्ट्रीज़ इस देश में निर्माण होंगी उन इंडस्ट्रियलिस्ट्स (उद्योग पतियों) के लिये यह निर्बन्ध हो कि जब वे अपने कारखाने कायम करेंगे तो कारखाना बनाते वक्त उनके लिये यह भी आवश्यक होना चाहिये कि जो मज़दूर उन कारखानों में काम करते हों, उनके लिये वे घरों की भी व्यवस्था करें और उन घरों में सब प्रकार की सुविधायें उनको रहनी चाहियें।

अब मैं एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज़ की वर्किंग की बाबत कुछ थोड़ा सा कहना चाहता हूं। वहां पर काम कोई ठीक ढंग से होता है, ऐसी बात नहीं है। वहां पर मैंने देखा है कि फ़ेवरटिज्म तो चलती ही है लेकिन जहां तक शेड्यूल्ड कास्ट्स (अनुसूचित जातियों) के लोगों का ताल्लुक है, उनके एम्पलायमेंट के मामले को प्रापरली (उपयुक्त ढंग से) सबमिट नहीं किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं बतलाऊं कि सन् १९५६ में हमने यह देखा और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि १९५६ में २ लाख, ७६ हजार ६१८ नौकरियां थीं लेकिन उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट्स के केवल २८ हजार ८७ लोगों को एम्पलायमेंट के लिये सबमिट (प्रस्तुत) किया जब कि उनके रजिस्टर पर शेड्यूल्ड कास्ट्स के और ७३ हजार ९१५ नाम दर्ज थे। आप इन आंकड़ों की तरफ़ यदि देखेंगे तो आपको यह मालूम हो जायगा कि हांलांकि १५ फीसदी का रिज़रवेशन उनको नौकरियों में है लेकिन उनको केवल १० पर सेंट ही मिला है, केवल १० पर सेंट को ही नौकरियों के लिये प्लेस किया है। जब २ लाख, ७६ हज़ार ६१८ नौकरियां अवेलेबुल हैं तो क्या कारण है कि उनका १५ पर सेंट भी रिज़रवेशन नहीं भरा जाता और मेरा खयाल है कि अगर उनको १५ पर सेंट रिज़रवेशन दिया जाता तो करीब ४४ हज़ार लोगों को नौकरियां मिल जातीं जब कि आंकड़ों से हमें पता चलता है कि केवल २८ हज़ार लोगों को ही नौकरियों के लिये सबमिट किया जाता है। इन फ़ीगर्स को वर्क

[श्री वाल कृष्ण वासनिक]

आउट करने के बाद मैं समझता हूं कि क़रीब ४० परसेंट शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज़ की पालिसी के कारण नौकरियां नहीं मिली हैं। मैं इस बात को मान सकता हूं कि क्लास वन पोस्ट्स के लिये यदि दरख्वास्तें मंगाई जाती हैं तो हो सकता है कि शेडयूल्ड कास्ट्स के लोगों में क्लास वन के लिये रिक्विज़िट क्वालिफ़िकेशन (आवश्यक अर्हतायें) न हों, उनके पास एक्सपीरियंस न हो। मैं यह भी मानने को तैयार हूं कि क्लास टू पोस्ट्स के लिये यदि ऐप्लीकेशंस इनवाइट की जायं तो हो सकता है कि शेडयूल्ड कास्ट्स लोगों के पास जरूरी क्वालिफ़िकेशंस और एक्सपीरियंस (पूर्व अनुभव) आदि न हों परन्तु मैं यह बात नहीं समझ पाता हूं कि जब करीब ७३ हज़ार लोगों की दरख्वास्तें एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज़ में क्लास ३ और क्लास ४ पोस्ट्स के लिये पड़ी हुई हैं, और जहां कि सिर्फ क्लर्की या चपरासी का काम होता है, क्या शेडयूल्ड कास्ट्स के लोग यह काम भी नहीं कर सकते और उनमें भी केवल १० पर सेंट लोगों को काम दिया जाता है और जो १७ हज़ार शेड्यूल्ड कास्ट्स लोगों को नौकरियां मिलनी चाहियें, उन लोगों को नौकरियां नहीं मिली हैं। मैं समझता हूं कि यह इस कारण हो रहा है कि जो एजुकेटेड क्लास (शिक्षित वर्ग) है उसके मन में अस्पृश्यता भरी हुई है। मैं आपके द्वारा मिनिस्टर महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह इस बात को देखें और एक एक्सपर्ट कमेटी (विशेषज्ञ समिति) का निर्माण करें ताकि एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज़ में जो अंधा धुंधी चलती है और जो फ़ेवरटिज्म (पक्षपात) चलती है और वहां पर यह जो अलग अलग क्लासेज़ होते हैं और उनके राइट्स को नेगलेक्ट किया जाता है, उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करे। मेरा ऐसा खयाल है कि यदि यह बातें की गईं तो हो सकता है कि उन लोगों को कुछ न्याय मिल जाय।

†**श्री एन्थनी पिल्ले** (मद्रास उत्तर) : ऐसा लगता है कि श्रम मंत्रालय का अपना संसार अलग ही है। मैं मानता हूं कि उसके उद्देश्य पवित्र हैं परन्तु निष्क्रियता भी उसकी महान है। गत दस वर्षों में एक समान मजूरी नीति तक का कोई उपबन्ध नहीं किया जा सका है।

१९४७ में सरकार ने यह आश्वासन दे कर कि वह उचित मजूरी निर्धारित करेगी नियोजकों और कर्मचारियों में समझौता करवाया था और १९५२ के सामान्य चुनाव के समय एक उचित मजूरी विधेयक भी बनाया गया था। परन्तु श्रमिकों के मत प्राप्त करने के पश्चात् श्रम अपीलीय न्यायाधिकरणों पर यह काम छोड़ कर इसे गड़बड़ में डाल दिया गया है।

कई बार हमने न्यायाधिकरणों से बहुत साहसपूर्ण शब्द सुने हैं कि जो उद्योग गुजारे के लिये आवश्यक मजूरी नहीं दे सकते उन्हें नहीं रहने देना चाहिये। परन्तु इन शब्दों का व्यावहारिक प्रयोग आज तक नहीं हुआ। आज जब वस्तुओं के मूल्यों का ध्यान रखते हुये उचित मजूरी निर्धारित करने की मांग होती है तो अन्य सिद्धांतों पर जोर दिया जाने लगता है अर्थात् यह कहा जाने लगता है कि उद्योग वेतन देने की क्षमता नहीं रखता और विभिन्न उद्योगों की मजूरी व्यवस्था को लेकर यही सिद्ध किया जाता है कि उचित मजूरी निर्धारित नहीं की जा सकती।

लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के बम्बई कपड़ा उद्योग के मामले में निर्णय देते हुये यह स्वीकार किया था कि उचित मजूरी निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि बम्बई का कपड़ा उद्योग तक उस मजूरी को दे नहीं सकता। यदि बम्बई कपड़ा उद्योग जैसा समृद्ध उद्योग उचित मजूरी नहीं दे सकता तो किसी भी उद्योग में उचित मजूरी निर्धारित नहीं की जा सकती।

---

†एंग्लो इंडियन

कहा गया है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में एक मजूरी आयोग नियुक्त किया जायेगा। परन्तु अब कहा जाता है कि जब तक इस आयोग के समक्ष आवश्यक आंकड़े न रखे जायें वह काम नहीं कर सकता। अतः मजूरी के संबंध में आवश्यक आंकड़े इकट्ठे किये जाते हैं। तत्पश्चात् मजूरी आयोग नियुक्त होगा और जब तक वह अपना प्रतिवेदन देगा द्वितीय पंच वर्षीय योजना का अन्त हो जायेगा। ये केवल देर करने के ढंग हैं ।

मूल्यों के बढ़ने के कारण श्रमिकों का जीवन स्तर गिर रहा है परन्तु उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गत मास एक श्रम सम्मेलन हुआ था और हमें बताया गया है कि उसमें एक मत संकल्प पारित किये गये हैं कि मजूरी निर्धारित प्राधिकारियों को कुछ निदेश भेजे जायें। मैं समझता हूं कि जब प्रथम उचित मजूरी समिति के प्रतिवेदन के आधार पर, जिसमें भी एकमत निश्चय किये गये थे, गुजारे की मजूरी निर्धारित नहीं की गई तो श्रम सम्मेलन की सिफारिशों पर भी उचित मजूरी के निश्चित होने की कोई आशा नहीं ।

जहां तक मजूरी निश्चित करने का प्रश्न है, मजूरी का एक बड़ा भाग निर्वाह के रूप में व्यय होता है। श्रम सम्मेलन ने यह सुझाव दिया है कि पोषण सलाहकार समिति के प्रधान, एक्रायड की सिफारिशों के अनुसार उन्हें उचित मात्रा में पोषक भोजन दिया जाना चाहिये। सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार यदि हम १९५६ के मूल्यों से मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में उनकी मजूरी का हिसाब लगायें तो वह १७५ रुपये होगी ।

सरकार ने श्रम सम्मेलन से जो सिफारिशें कीं क्या उन्हें वह सच्चाई से क्रियान्वित करना चाहती है, अथवा वह मजदूरों के साथ केवल मजाक कर रही है। वस्तुतः इन सिफारिशों में एक बहुत बड़ी त्रुटि है वह यह कि उसमें यह नहीं बताया गया है कि उचित मजूरी युद्धपूर्व के मूल्यों के अनुसार निश्चित होनी चाहिये अथवा वर्तमान मूल्यों के अनुसार निश्चित की जानी चाहिये इसीलिये मैं सरकार से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि वस्तुतः उचित मजूरी से सरकार का तात्पर्य है ?

वस्तुतः भारत में कोई भी उद्योग ऐसा नहीं है जो अत्यंत रूढ़ीवादी मापदण्डों के अनुसार भी उचित मजूरी दे सके। इसलिये मेरे विचार से एक के बाद दूसरे उद्योग में मजूरी बोर्डों की स्थापना करने से कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि वे भी उसी प्रकार कार्य करेंगे जैसा कि पिछले छः सात वर्षों से औद्योगिक न्यायाधिकरण कर रहे हैं। अतः सरकार को एक उचित मजूरी विधेयक बनाना चाहिये जिससे यह अधिनियमित किया जाय कि सारे संगठित उद्योग उचित मजूरी देंगे। अन्यथा भविष्य में वेतन निश्चित करने वाले अधिकारियों को दिये जाने वाले निदेश वैसे ही व्यर्थ होंगे जैसे कि एक रूप मजूरी निश्चित करने की नीति सिद्ध हुई थी ।

मेरे विचार से यह अधिक अच्छा होगा कि हम उचित मजूरी के स्थान में निर्वाह-मजूरी स्वीकार कर लेवें। वर्तमान मूल्यों के अनुसार निर्वाह मजूरी देने में मजूरी में केवल २५ प्रतिशत की और वृद्धि करनी पड़ेगी। यह व्यवहारिक मांग है। सरकार भी इसे स्वीकार कर सकती है ।

तेल उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड नियुक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के श्रमिक होते हैं। अतः इसका मामला राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को सौंप दिया जाये, क्योंकि यह उद्योग मजदूरों को उचित मजूरी देने में समर्थ है ।

बड़े औद्योगिक विषयों के निपटारे में सरकार बहुत अधिक समय लेती है। उदाहरणार्थ बैंक विवाद को तय होने में दस वर्ष का समय लगा और अब भी नियोजक लोग पंचाट की सिफारिशें क्रियान्वित न करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। यही बात श्रमजीवी पत्रकारों के संबंध में है। प्रेस आयोग ने इनके वेतन इत्यादि के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। लेकिन उन्हें स्वीकार

[श्री एन्थनी पिल्ले]

नहीं किया गया। तत्पश्चात् एक मजूरी बोर्ड की नियुक्ति की गई। उसने भी अपना निर्णय सरकार को दे दिया किन्तु उसकी क्रियान्विति राज्य सरकारों पर छोड़ दी गई अतः सरकार को यह निश्चित कर लेना चाहिये कि वह मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करेगी या नहीं यदि वह इस सिफारिश को क्रियान्वित करने में कटिबद्ध है तो नियोजक और कर्मचारी मुकदमेबाजी में जो इतना रुपया और धन नष्ट कर रहे हैं वह सब बच सकता है और इस सारे विवाद का निपटारा हो सकता है। इसीलिये श्रमजीवी पत्रकारों के मजूरी बोर्ड के प्रधान श्री दिवातिया ने अपनी सिफारिशों में यह कहा था कि यह निश्चय तभी क्रियान्वित हो सकता है जब सरकार इस संबंध में पूरी सावधानी बरते क्योंकि वस्तुतः यह अन्य कई बातों पर निर्भर है यथा पृष्ठों के अनुसार मूल्य रखना, कदाचार और कठोर प्रतिद्वंद्विता पर नियंत्रण रखना तथा पंचाट के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये एक स्थायी समिति बनाना।

अब मैं आपका ध्यान कर्मचारी राज्य बीमा योजना की ओर दिलाऊंगा। कई उद्योगों के श्रमिक हम से असंतुष्ट हैं। इसके दो कारण हैं पहिला मजदूरों को धनराशि की अदायगी बहुत विलम्ब से होती है दूसरा कई अन्य योजनाओं में श्रमिकों को इस योजना से अधिक लाभ मिलता था।

कई उद्योगों में, यथा कपड़ा और इंजीनियरिंग उद्योग में श्रमिक अपनी मजूरी का दो प्रतिशत इस योजना में देते हैं जब कि नियोजक केवल १¼ प्रतिशत देते हैं जबकि वस्तुतः उन्हें ३½ प्रतिशत देना चाहिये।

पुरानी सेवा शर्त्तों के अनुसार मजदूरों को बीमारी की छुट्टी तथा चिकित्सा इत्यादि के संबंध में अधिक सुविधायें प्राप्त थीं उन्हें हटा लेने पर भी नियोजकों पर कोई अभियोग नहीं चलाया गया है।

मजदूरों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना से यह आशा हुई थी कि उनको अधिक लाभ प्राप्त होंगे कि सच बात तो यह है कि उससे असुविधाओं में वृद्धि ही हुई है आशा है सरकार इस स्थिति के उपचार का प्रयत्न करेगी।

†श्री मुहोउद्दीन (सिकन्दरबाद) : अच्छी श्रम नीति की पहिली कसौटी यह है कि श्रमिक को स्वयं यह अनुभव हो कि वह अपने क्षेत्र से देश के विकास में सहयोग दे रहा है देश की प्रगति के साथ साथ मजदूर का जीवन-स्तर भी बढ़ना चाहिये। भारत में मजदूरों का जीवन-स्तर बहुत नीचा है तथापि अधिक मजूरी, अधिक उत्पादन से ही प्राप्त हो सकती है। हमारे नियोजक भी श्रमिकों के प्रति अपना रवैया बदल रहे हैं।

यह बात कही गई है कि विवादों को निपटाने की विधि बहुत ढीली और विलम्बकारी है। फैसलों को क्रियान्वित होने में भी बहुत विलम्ब होता है। मेरा सुझाव यह है कि इस संबंध में न्यायालयों द्वारा विचार का आश्रय कम से कम लिया जाय और अधिक से अधिक श्रमिक संघ तथा नियोजक के बीच परस्पर वार्ता और परामर्श से ही निपटारा किया जाय।

पिछले श्रम सम्मेलन में यह बात तय हुई है कि कुछ सरकारी तथा गैर-सरकारी कारखानों में प्रबन्ध परिषदें बनाई जायं। इनकी सफलता के लिये एक बात यह आवश्यक है कि उन्हें केवल सलाहकारी शक्तियां ही नहीं अपितु प्रशासनिक अधिकार भी दिये जायें तभी ये सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इन परिषदों को बनाने के संबंध में एक बात यह भी याद रखने योग्य है कि उस कारखाने में श्रमिकों में एकता होनी चाहिये तथा वहां श्रमिकों का एक ही संघ होना चाहिये।

वस्तुतः इस समय देश में अनुशासन हीनता भी फैली हुई हैं। १९५२–५३ में भी, जब मूल्य बहुत बढ़ गये थे ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। १९५६–५७ में जब मूल्य पुनः बढ़ गये हैं यही स्थिति पैदा हो गई है और उसने बड़ा हिंसात्मक और विकृत रूप धारण कर लिया है तब क्या ऐसे समय इन परिषदों की स्थापना करना उचित होगा।

अनुशासन हीनता के सम्बन्ध में गुआ और जमशेदपुर का जिक्र किया गया है जहां व्यक्तियों पर घातक हमले किये गये। जमशेदपुर के मामले में दुर्भाग्य से एक विदेशी विशेषज्ञ भी अन्तर्गस्त था। यह भी दुख की बात है कि जब कहीं ऐसे कांड होते हैं तो वहां भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ही उसके लिये जिम्मेदार होती है।

श्रम सम्मेलन ने सर्व सम्मति से उद्योगों में अनुशासन रखने की सिफारिश की है। सम्मेलन की कुछ सिफारिशें तो बहुत महत्वपूर्ण हैं यथा हिंसा का सहारा न लिया जाये, बिना नोटिस या परामर्श से कोई हड़ताल न की जाय और धीमे काम करने की नीति कभी न अपनाई जाये इत्यादि। यह भी बतलाया गया था कि योजना को सफलता से कार्यान्वित करने के लिये इनके अनुसार कार्य करना आवश्यक है। इसके विपरीत विरोधी पक्ष के नेता ने यह धमकी दी है कि यदि कुछ मांगे पूरी नहीं की जायेंगी तो वे हड़ताल करवा देंगे। यह बहुत अनुचित बात है। इससे वह वातावरण नहीं पैदा होने पाता जो कि योजना की सफलता के लिये आवश्यक है। अतः जैसा कि योजना और श्रम मंत्री ने कहा है कि हमें श्रम सम्मेलन के निश्चयों का पालन करना अनिवार्य है मैं आशा करता हूँ कि उनका इस प्रकार पालन किया जायेगा कि किसी को कहीं से शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा।

श्री रा० क० वर्मा (सिमाड़) : यह मेरे जीवन में परम आनन्द और सौभाग्य का दिन है कि मेरे जैसा मजदूरों में काम करने वाला मजदूर इस संसद् के लिये चुना गया और मुझे लेबर मिनिस्ट्री (श्रम मंत्रालय) की डिमांड्स (मांगों) पर मजदूरों के सम्बन्ध में आज अपनी बात करने का अवसर मिला।

सब से बड़ी बात तो यह है कि आज इस पार्लियामेंट के अन्दर जो हमारे मंत्री महोदय हैं और उपमंत्री महोदय हैं, उन दोनों के हाथ में श्रम विभाग को देख कर मुझे बड़ा आनन्द हो रहा है। वे मंत्री महोदय जिनके कि हाथ में लेबर डिपार्टमेंट है, उनका सारा जीवन गांधी जी के चरणों में और गोदी में बैठकर, गांधी जी का मजदूर आन्दोलन क्या है, यह उन्होंने अच्छे तरीके से सीखा। दूसरे हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब हैं जिन्हों ने मेरी तरह से कारखानों में मजदूरी की है और एक मजदूर आगे चल कर लेबर डिपार्टमेंट का डिप्टी मिनिस्टर हो और उनके हाथों में वह मुहकमा हो और एक मजदूर पार्लियामेंट का सदस्य हो और वह उसमें बोले, मेरे लिये इससे ज्यादा आनन्द की बात और क्या हो सकती है।

श्रीमान्, मैं मजदूर समस्या के संबंध में और मजदूरों के सवालों के संबंध में काफी बोलना चाहता था लेकिन आज कुछ बातें जो मैंने विरोधी पक्ष के नेता श्री डांगे जी से सुनीं, उनसे मुझे बड़ा आनन्द हुआ और मुझे सबसे ज्यादा आनन्द इस बात का हुआ कि चलो इतने दिन बाद ही सही उन्होंने अपनी भूल का सुधार कर लिया और उन्होंने आज वह बात कही जो हम १९३० में कहते थे और १९३२ में कहते थे और बाद में भी कहते रहे और आज भी कहते हैं जबकि उन्होंने अपने जीवन में आज के पहिले उसका विरोध किया और आज २७ वर्ष के बाद वह हमारी पहले कही हुई बातों को कहें तो इससे बढ़ कर आनन्द की बात हमारे लिये और क्या हो सकती है। सुबह का भूला शाम को भी घर आता है तो अच्छा है।

[श्री रा० क० वर्मा]

श्रीमान्, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि ट्रेड यूनियन कांग्रेस में मैंने काफ़ी काम किया है, मैंने मज़दूरों के बीच ही जीवन भर काम किया है। कम्यूनिस्टों के तौर तरीकों और उनके काम को भी देखा है उनके कितने ही अधिवेशनों में मैं गया हूं कितनी ही सभाओं में गया हूं और वहां पर कितने ही भाषण सुने हैं। मैंने हमेशा एक बात कम्यूनिस्टों की देखी और सुनी। इनके आंदोलन में पहले हड़ताल की बात आती है, फिर हड़ताल का वापिस लिया जाना और फिर मज़दूरों को बेकार करवाना, सड़कों पर छोड़ देना ही इन्हें आता है। कभी भी उन्होंने इस बात में विश्वास नहीं किया कि भाई पहले डिमांड के लिये लिखा पढ़ी आपसी बातचीत, चर्चा समझौते, आर्बिट्रेशन या कोई कानून हो तो उसका सहारा लेना, यह तरीका आज से पहिले जिन्दगी में मैंने कभी इनसे न सुना और न देखा। हमारे कम्युनिस्ट भाइयों द्वारा मज़दूरों में अक्सर यह कहा जाता था कि मज़दूर तो लड़ाकू जंगजू हैं, जंग के आधार पर वे अपनी बात को मनवा लेंगे और करवा लेंगे। हम इस तरह के मज़दूर आंदोलन को नहीं मानते न उनमें विश्वास रखते हैं। हम तो यह मानते हैं कि मज़दूरों और उद्योग के बीच का कोई भी झगड़ा हो कोई भी सवाल हो, पहले आपसी बातचीत द्वारा बैठ कर उस पर विचार करें और किसी हल पर पहुंचने की कोशिश करें, भले ही उसमें दो दिन की देरी भी होजाय तो होजाय लेकिन कुछ सही तरीका न अपनाना, हड़ताल करना लड़ाई झगड़ा करना, तोड़फोड़ करना, मज़दूरों को बेकार करना और बेकारों के टोले को गली सड़कों पर चारों तरफ़ घूमाते फिरना, और फिर उन्हें भगवान के भरोसे छोड़ देना, इसमें हम ज़रा भी विश्वास नहीं करते। आज तो हमारी अपनी गवर्नमेंट है लेकिन हमने उस ज़माने में मज़दूरों में काम किया है जब कि यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। गांधी जी ने हमें यही सिखाया था कि आखिर को तुम किसके प्रतिनिधि हो, किस का प्रतिनिधित्व करते हो। जिनका प्रतिनिधित्व करते हो उन्हें हैरान न करो, नुकसान न पहुंचाओ जबकि कम्यूनिस्ट कानून वगैरह तक का विरोध हड़ताल ही एक तरीका मानते थे। आज हमारे डांगे जी ने कहा कि मज़दूरों के लिये जो कानून बने हैं उन पर अमल नहीं हो रहा है और उन पर अमल करवाया जाय अच्छी बात है। श्रीमान्, मैं इस सिलसिले में बतलाना चाहता हूं कि सन् १९३७ में जब आठ प्रदेशों के अन्दर हमारी दरम्यानी गवर्नमेंट बनी थी तो बम्बई प्रदेश के अन्दर इन्हीं हमारे लेबर मिनिस्टर साहब ने पहला इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट वहां पर बनाया था जो १९४६ में इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऐक्ट में परिवर्तित हुआ जो आज के केन्द्रीय कानूनों से काफी प्रगतिशील कानून था लेकिन इन्हीं डांगे जी और इनके मित्रों ने उस कानून को यह कह करके कि यह काला कानून है उसका विरोध किया और मज़दूरों को गुमराह किया और जगह जगह हड़तालें करवाईं और कहा कि हम एक अलहिदा कानून नहीं चाहते। आज इससे अच्छा हमारे लिये आनन्द का दिन कौन सा हो सकता है कि वह यह कह रहे हैं कि साहब हम इन कानूनों को अमल करवाना चाहते हैं और इन कानूनों के आधार पर हम चलना चाहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस चीज़ को अगर हमारे मित्र लोग शुरू से ही ग्रहण करते तो आज मज़दूर कहीं आगे होते। आप और हम में भेद नहीं होता। जिस चीज़ का उन्होंने १९३७ में विरोध किया, आज १९५७ में कहते हैं कि वह होना चाहिये। मैं तो कहूंगा कि उन्होंने मज़दूरों को २० वर्ष पीछे कर दिया इनकी पिछड़ी इनकी समझ है।

कुछ हमारे मित्र ने बैलट का ज़िक्र किया। मेरा कहना है कि अगर आप बैलट से यहां पर आये हैं तो हम इधर के बैठने वाले भी तो बैलेट से ही आये हैं और आप भली प्रकार यहां पर हाथ उठवा कर या सिरों को गिन कर पता लगा सकते हैं कि ५०० में से हम कितने हैं और आप कितने हैं और आपको पता चल जायेगा कि बैलेट में कौन आगे है और कौन पीछे है।

मैं अपने दोस्त को स्मरण कराना चाहता हूं कि आज जो वह मज़दूरों और आई० टी० यू० सी० की बात करते हैं तो १९३० में आई० एन० टी० यू० सी० का जन्म भी नहीं हुआ था जब कि

आई० टी० यू० सी० का जन्म सन् १९२० में हुआ था। आई० एन० टी० यू० सी० का जन्म १९४७ में हुआ था। आज आई० एन० टी० यू० सी० को यहां पर दस साल हो गये हैं।

मध्यभारत में जाकर १५ वर्षों से मजदूर संगठन का काम कर रहा हूं। जिस वक्त मैं इन्दौर में गया तो मैंने देखा कि वहां पर टैक्सटाइल मजदूर की एवरेज वेज ११ रुपये महीना १० घंटे कार्य की थी और बम्बई में उस समय ९ घंटे काम की २८ रुपये महीना एवरेज वेज थी। आज मुझे यह कहते हुये आनन्द होता है कि मध्यभारत के अन्दर वही एवरेज वेज ५० रुपये है जब कि बम्बई में ४८ रुपये है वह भी चार साइड चार लूम्स किये जाने पर जब कि हमारे यहां यह बात नहीं। मैं बताना चाहता हूं कि उस वक्त आई० एन० टी० यू० सी० का जन्म भी नहीं हुआ था और जो कुछ हुआ है वह ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ है।

कानपुर में सन् १९५५ में क्या हुआ। जब वहां देखा कि कम्यूनिस्टों का कुछ नहीं चल रहा है तो सब यूनियन्स से कहा कि तुम यहां इंटक के विरुद्ध एक हो जाओ और इस तरह वहां कम्यूनिस्टों ने एकता के नाम पर इंटक के विरुद्ध नई यूनियन कर एक भानमती का कुनबा बनाया। ऐसा दिल्ली इन्दौर जहां ये कमजोर हैं करते हैं —और उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि कानपुर में ९० दिन की हड़ताल करवा दी। रेशनलाइजेशन छंटनी का सवाल था। मिलओनर्स कहते थे कि हम आदमी कम करना चाहते हैं। मजदूर कहते थे कि कम नहीं होने चाहियें। उसके लिये एक कमेटी मुकर्रर की गयी, कमेटी ने जांच की। शासन ने दोनों पक्षों के सामने विचार को रखा लेकिन उसकी शिफारिश को देखने के बजाय विरोध किया और हड़ताल कराई गयी। कोई नीति निश्चित नहीं की गयी। नतीजा यह हुआ कि मिल मालिक कहते थे कि यह होना चाहिये और मजदूर कहते थे कि यह होना चाहिये। लेकिन इसमें सही बात क्या है इसका निर्णय कौन करेगा। इसका निर्णय तो जनता ही कर सकती है जिसके ऊपर सारे देश का बोझा है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस वक्त कोई नीति निश्चित नहीं की गयी कोई कानून का अमल नहीं होने दिया गया और ९० दिन तक हड़ताल करायी गयी। और जब बाद में मिलें चालू हुई तो लगभग ५ हजार मजदूरों को मिल मालिकों ने निकाल बाहर किया। मिल मालिकों का काम तो पूरा हो गया किन्तु उसके बाद कम्यूनिस्टों की तरफ से यह कहा गया कि मामला एक कमेटी को सौंप दिया जाये। इस हड़ताल में कितने ही मजदूर जेल गये, कितने ही भूखे मरे, उसके बाद हमारे कम्यूनिस्ट मित्रों को अक्ल आयी कि रेशनलाइजेशन की जांच का यह काम कमेटी को सौंपा जाये। अगर पहले ही कमेटी को यह काम सौंप दिया गया था उसकी तो रिपोर्ट पर ही विचार किया जाता तो मजदूरों को इतनी हानि न उठानी पड़ती।

सन् १९४७ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि इंडस्ट्रियल ट्रूस होनी चाहिये और वह चाहते थे कि मजदूर हड़ताल न करें और उद्योगपति लाकआउट न करें और उत्पादन बढ़ाना चाहिये। उन्होंने कहा था कि हमारा देश आजाद हुआ है, मजदूरों को भी कुछ मिलना चाहिये। हमने वैसा करने की पूरी कोशिश की लेकिन हमारे कम्युनिस्ट मित्रों ने विरोध किया। वे बीच बीच में विरोध करते आये। रेशनलाइजेशन का उन्होंने विरोध किया। कोई कमेटी मुकर्रर नहीं होने दी। उसका नतीजा यह हुआ कि इस सम्बन्ध में कोई नीति कायम न होने देने से मिल मालिकों ने जितनों को चाहा डिस्चार्ज किया, डिसमिस किया और मनचाहा करवा लिया। केवल वहीं नहीं कर पाये जहां आई० एन० टी० यू० सी० यूनियन थी। हम चाहते थे कि इस बारे में कोई नीति निश्चित हो जानी चाहिए कि कैसी वर्किंग कंडीशन्स हों, कितना वर्क लोड हो और आप तो बूढ़े हो गये। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि १९३० में सैसून ग्रुप

[श्री रा० क० वर्मा]

के साथ किसने समझौता किया था कि वहां मिलों में रिंग की डबल साइड भी चलेगी, फोर लूम्स भी चलेंगे और कोई हड़ताल नहीं होगी कोई मजदूर आन्दोलन न हो। जिन्होंने वह समझौता किया था वह माननीय डांगे साहब यहां विराजमान हैं। तो मैं आपसे यह अर्ज कर रहा हूं कि दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना आसान चीज है लेकिन दूसरे की सही बात सुन लेना कठिन है।

सन् १९५५ में भोपाल में कम्यूनिस्ट ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जिम्मेदार व्यक्तियों ने मैनेजमेंट के साथ समझौता किया कि अगर हमको मान्यता दे दी जायेगी तो हम रेशनलाइजेशन (छंटनी काम बढ़) के लिये तैयार हैं। उस समझौते में पहली लाइन में यह लिखा हुआ है कि मिल को कोई मुनाफा दिखाई नहीं दे रहा है। इस आधार पर वर्क लोड (काम) बढ़ाना जरूरी है। हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल की यह अच्छी और नई नई मिल जे० पी० श्रीवास्तव की अच्छा उत्पादन और मुनाफा पैदा कर रही है तथापि वहां के मजदूर बोनस के लिये बरसों से बैठे हुये मुंह ताकते हैं। जब कि कम्यूनिस्ट केवल अपनी यूनियन की मान्यता के लिये बोनस छोड़ छंटनी का समझौता करते हैं दूसरी तरफ यह अहमदाबाद और इंदौर की तरह जब बम्बई में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस बोनस के बारे में समझौता करती है वह यह समझौता करती है कि चाहे मिल को मुनाफा न भी हो, बल्कि चाहे मिल को नुक्सान हो, तो भी कम से कम १५ दिन का बोनस हर एक मजदूर को पांच वर्ष तक प्रतिवर्ष मिलेगा। श्री डांगे जी कानून का अमल चाहते हैं जब कानून के अनुसार अपीलीय न्यायाधिकरण (अपीलेट ट्राइब्युनल) ने एक फार्मूला तय किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मान्यता दी कि किसी इंडस्ट्री में जो मुनाफा होता है उसमें से डिप्रिसियेशन निकाल दिया जाये, उसमें से १२ वर्ष में मशीनों को बदलने के लिये रकम निकाल दी जाये, उसमें से टैक्स की रकम निकाल दी जाये, उसमें से डिवीडेंड की रकम निकाल दी जाये और उसके बाद अगर जो कोई रकम बचे तो बोनस का खयाल किया जाये वरना नहीं। लेकिन जो राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस समझौता करती है वह यह है कि डिवीडेंड और टैक्स आदि का कोई खयाल न रखा जाये और चाहे मिल को लास ही क्यों न हों, फिर भी मजदूर को प्रतिवर्ष १५ दिन का बोनस तो देना ही होगा हमारे ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाले कम्यूनिस्ट इसके विरोध में बम्बई में हड़ताल कराते हैं और मजदूरों से कहते हैं कि बोनस मत लो यही बात हमारे यहां भी ये करते हैं कि हम ज्यादा दिलायेंगे, किन्तु जहां कुछ भी नहीं मिल रहा है क्योंकि वहां उनकी यूनियन जो है। मैं कहना चाहता हूं कि क्या वे इस तरह से कानून को बदल सकते हैं जिसको कि अपीलेट ट्राइब्युनल ने मान लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। एक तरफ कानून के विरुद्ध काम करें और यहां कानूनों का पालन कराने पर जोर दें।

दिल्ली के अन्दर मिल मालिकों के साथ कंसिलियेशन में कम्यूनिस्टों का समझौता हो गया कि उस मिल के मजदूर फाटक पर मीटिंग नहीं कर सकते और नतीजा यह हुआ कि जिन मजदूरों ने मीटिंग की उनके ऊपर केस दायर किये गये, शो काज नोटिस दिये गये, डिस-मिसल किया गया, उनको डिस्चार्ज किया गया और आज तक बहुतों पर केस चल रहे हैं। यह किस तरह का समझौता है और कैसा मजदूर आन्दोलन है।

बम्बई में ट्रेड यूनियन कांग्रेस बरसों से चल रही है। अहमदाबाद से ज्यादा काम करने पर मजदूरों को क्या मिले। यदि कोई नीति निर्धारित हो जाती तो हम मजदूरों की तरफ से लड़ भी सकते। लेकिन जब कि कोई नीति निर्धारित नहीं होगी तो मिलमालिक मनमानी करते हैं। यही हुआ और मिलमालिकों ने इस स्थिति का नाजायज फायदा उठाया। यह नीति निर्धारण सन् ४७ में हो जाना चाहिये था पर उस समय कम्यूनिस्टों की तरफ से उसका विरोध किया गया। सन् १९५७ में जब लेबर कानफ्रेंस हुई उस वक्त हमारे डांगे साहब इस बात को मंजूर करते

हैं कि रेशनलाइजेशन का कोई सिद्धान्त ठहराना चाहिये ? मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर सन् १९४७ में यह चीज़ ठहरा ली गयी होती तो आज मजदूरों को हमने कितना आगे बढ़ा दिया होता । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे विरोधी आई० एन० टी० य० सी० से कितने पिछड़े हुये हैं । मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछले दस बरस से आई० एन० टी० यू० सी० ने जो पालिसी अख्तियार की है उसी का यह फल है कि आज हम समाजवादी समाज व्यवस्था की ओर जा रहे हैं । उसी का यह नतीजा है कि आज कारखानों की चिमनियों से धुंआं निकलता है, प्रोडक्शन बढ़ा है और मजदूरों के लिये लिविंग वेज की हम आज बात कर सकते हैं ।

मैं ने रशिया में टैक्सटाइल मज़दूरों की दशा देखी है । मैंने वहां का प्रोडक्शन का तरीका देखा है और वहां का वेस्टेज क्या है देखा है । वहां पर जो आमदनी मजदूर करता है और उसका जो खर्चा है उसको भी देखा है । उनको आप लीजिये और जो हमारे यहां टैक्सटाइल में मजदूर काम करते हैं उनको लीजिये । वहां मुझे यह देख कर भी आश्चर्य हुआ कि जो महिलायें वहां पर काम करती हैं, जो महिलायें उन कारखानों के अन्दर काम करती हैं उन्हें अपने कार्ड अपने पास रखने पड़ते हैं जिन पर कि उनकी फोटो होती हैं तथा उनको फोटो वाला कार्ड दिखा कर ही उनको कारखानों के अन्दर दाखिल होने की इजाज़त दी जाती है । श्रीमान्, आज तक यह चीज़ हमारे हिन्दुस्तान में नहीं हुई और किसी भी कारखाने के अन्दर नहीं हुई है, इस बात का मुझे गर्व है ।

अभी यह कहा गया है कि लेबर पालिसी के बारे में एक मिनिस्ट्री का दूसरी मिनिस्ट्री के साथ कोआर्डिनेशन नहीं है और ऐसा होता है और वैसा होता है । श्रीमान्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो हमारी लेबर पालिसी है वह नन्दा जी की नहीं है, मुरारजी भाई की नहीं है, कृष्णमाचारी जी की नहीं, वह पालिसी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है, राष्ट्रीय कांग्रेस की है और वह पालिसी है जो कि महात्मा गांधी जी ने प्रतिपादित की थी और सच्चे मानों में उसी पर आज हम अमल कर रहे हैं वह भारतीय हैं । हमारे जितने भी कानून हैं, जितने भी कायदे हैं वे सभी के सभी उसी के आधार पर बनाये गये हैं ।

पहिले जब हम पंचायतों की बात करते थे, जब हम पंचों की बात करते थे, जब हम आर्बिट्रेशन की बात करते थे, जब हम कंसिलियेशन की बात करते थे तो हमारे ये कम्युनिस्ट भाई हैं वे हमें गालियां देने लग जाते थे, और समझौता नीति का विरोध करते थे आज वे ही कम्यूनिस्ट उसे अपनाने पर जोर दे रहे हैं । हमें अपनी पालिसी पर मज़बूत रहना है और उसी पर चलना है । उसी पालिसी पर चल कर हमें देश के मजदूरों को आगे बढ़ाना है और हमने आगे बढ़ाया भी है । हमारी इस पालिसी को देख कर ही दूसरे देश हमारा अनुसरण कर रहे हैं ।

सामने बैठे हुये कई मित्रों ने कई बातें कहीं हैं । हमारे भाई डांगे जी साहब ने कितनी ही समस्याओं का ज़िक्र किया है और पौने घंटे तक वह बोले हैं । अब उनकी पौने घंटे की स्पीच का यदि मैं उत्तर दूं तो मुझे भी डेढ़ घंटे का वक्त तो चाहिये । लेकिन मुझे मिले केवल १५ मिनट हैं और इन १५ मिनटों के अन्दर मैं सब बातों का उत्तर नहीं दे सकता हूं । इस वास्ते मैं उन बातों को छोड़ देता हूं और उनको थोड़ी देर के लिये भूल जाता हूं ।

अब मुझे एक छोटी सी बात उद्योगपतियों के बारे में कहनी है । हमारे भाई सोमानी जी ने बहुत सी बातें कही हैं । उन्होंने कहा है कि यदि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो मज़दूरों की वेजिज़

[श्री रा० क० वर्मा]

भी बढ़ाई जा सकती हैं, इसमें एतराज की कोई बात नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिये, हमारा उत्पादन बढ़ना चाहिये, हमारा औद्योगिक विकास होना चाहिये, हड़तालें नहीं होनी चाहिये, वेस्टेज नहीं होना चाहिये। ये सब बातें मुझे मान्य हैं। लेकिन मैं प्रोडक्टिविटी की बात ही इस समय करना चाहता हूं। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि १९४९ के अन्दर वह १०४ थी और मज़दूरों की जो आय थी वह १०९ थी। लेकिन हम १९५५ के अन्दर यह देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी जो है वह १२० हो गई है लेकिन जो आय है वह १०२ हो गई है यह आंकड़े १९३९-१०० है जितनी महंगाई बढ़ी वह शरीक है मैं इस बात को मानता हूं कि हमारी इंडस्ट्री के अन्दर प्रोडक्टिविटी बढ़ी हुई है लेकिन आप देखेंगे कि दूसरी तरफ मज़दूरी की आम दरें उसी अनुपात से बढ़ी नहीं हैं बल्कि घटी हैं। मैंने कल भी निवेदन किया था कि प्राफिट्स बहुत बढ़ गये हैं और इसके पक्ष में मैंने आंकड़े पेश किये थे और इसको सिद्ध करने की चेष्टा की थी। ये प्राफिट्स एक इंडस्ट्री में नहीं बल्कि हर इंडस्ट्री में बढ़े हैं। शूगर में ये बढ़े हैं, सिमेंट में बढ़े हैं और हर इंडस्ट्री में बढ़े हैं। इन सब के इंडेक्स मैंने कल दिये थे। मैंने यह भी सिद्ध किया था कि जो कास्ट आफ लेबर है वह कम हो गई है। आज मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले पांच सालों में मजदूरों ने जो हिस्सा अदा किया है, उसका लाभ रिवार्ड उन्हें अवश्य मिलना चाहिये। मैं इसके साथ ही साथ यह भी कहूंगा कि जिस तरह से टैक्सटाइल इंडस्ट्री के लिये वेज बोर्ड नियुक्त किया गया है, उसी तरह से शूगर में भी कायम कीजिये, सिमेंट में भी कायम कीजिये और रेलवे में भी करिये और दूसरे बड़े उद्योगों (व्यवसायों) में भी करिये।

आज हमारे प्रधान मंत्री पंडित जी ने ज़माने को बदल दिया है और उन्होंने अपना असर रशिया तक पर डाला हुआ है। आज उन्होंने रशिया को भी अपना मित्र बना लिया है और वह हमें अपना मित्र समझने लगा है। ये सब चीज़ें तो बदली हैं लेकिन अभी तक हमारे कम्यूनिस्ट और मिलओनर्स नहीं बदले हैं, उनके जो दिमाग हैं वे नहीं बदले हैं और वे पुरानी बातों पर आज भी चल रहे हैं। आज क्या हो रहा है? आज यहां दिल्ली में मिल के अन्दर से तीन चौकीदारों को निकाल दिया जाता है और उनका मामला ट्रिब्यूनल में दायर किया जाता है और उसके बाद एपेलट ट्रिब्यूनल में जाता है, फिर हाईकोर्ट में जाता है और जब सभी जगहों पर हम जीतते हैं तो मिल मालिक है वह कहता है कि चूंकि मैंने इनको निकाला है, इसलिये मैं इनको मिल में नहीं रखूंगा और वह उनको उनके घर में बिठा कर बारह महीनों से तनख्वाह उनको उनके घर पर ही भेजते रहते हैं। इस लिये इस तरह से अकड़ वे दिखाते हैं और मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से काम नहीं चल सकता है। जिस तरह से मिल मालिक अकड़ जाते हैं अगर उसी तरह से मज़दूर अकड़ जायें तो काम नहीं चल सकता है। इस तरह से उद्योगों को चलाया नहीं जा सकता है। इस तरह से लेबर मूवमेंट्स नहीं चल सकती हैं। जिस तरह आज वक्त बदल रहा है, ज़माना बदल रहा है, उसी तरह से मिल मालिकों के दिलों व दिमागों में भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। कुछ सुधर भी रहे हैं लेकिन साथ साथ कुछ अकड़ भी दिखा रहे हैं। जब हमने एक बहुत बड़े साम्राज्य को समाप्त कर दिया है, जब हमने बड़े बड़े राजाओं तथा महाराजाओं को खत्म कर दिया है, जब हम समाजवादी समाज की स्थापना करने जा रहे हैं,उसी तरह से हम पूंजीवाद की जड़ों पर छाछ और नमक छिड़क रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं चलता है कि इससे हमारे सामने बैठे हुये कम्यूनिस्ट भाइयों को दर्द क्यों होता है, वहां से दर्दभरी आवाज़ क्यों उठती है। अगर दर्द की आवाज़ आनी है, तो यह पंजीपतियों की तरफ से आनी चाहिये, उस तरफ से नहीं। मैं उनसे प्राथना करता हूं कि

वे अपनी दर्द की आवाज़ को बन्द करें और गांधी जी के बताये हुये सिद्धान्तों के ऊपर लेबर मूवमेंट्स को चलावें। यदि उन्होंने ऐसा किया तो हम उनका स्वागत करेंगे और उनका समर्थन करेंगे। लेकिन जिस तरह की पालिसी पर वे चल रहे हैं उस पालिसी पर आई० एन० टी० यू० सी० नहीं चल सकती है। अगर उसने वह रास्ता अपनाया तो वह खत्म हो जायेगी। उसको गांधी जी ने वरदान दिया है नेतृत्व दिया है और जो रास्ता वे बता गये हैं उस रास्ते को वह कभी नहीं छोड़ सकती है।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा मंत्रिमण्डल तथा हमारे लेबर मिनिस्टर साहब भी उसी रास्ते के ऊपर चलें और देश की भलाई करें।

†श्री नाथ पाई (राजपुर) : इस मंत्रालय की सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि इनके पास श्रमिकों को उपक्रम का अभिन्न साझेदार बनाने के लिये कोई सुयोजित और सुविचारित योजना नहीं है। जब कि हमारे राष्ट्र की यह नीति है कि इस योजना पर कठोरता से अमल किया जाय।

उदाहरणार्थ श्रमजीवी पत्रकारों का मामला लीजिये। भारत में पत्रकारिता का इतिहास स्वतन्त्रता अन्दोलन के इतिहास से घनिष्ट रूप से सम्बन्धित है। पत्रकारों ने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुये भी पत्रकारिता की सेवा की है। स्वतन्त्रताप्राप्ति के पश्चात् जब उन्होंने न्याय की मांग की तो उनका मामला खटाई में रख दिया गया है १० वर्ष से उस पर कोई कार्य-वाही नहीं हो रही है। नागपुर में मराठी पत्रकारों ने यह मांग की थी कि सामान्य जीवन यापन के लिये न्यूनतम वेतन १२५ रुपये होने चाहिये तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में इस सम्बन्ध में सरकारी जांच की गई तथापि उन आयोगों की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया।

बहुत प्रतीक्षा एवं जोरदार मांग करने के पश्चात् प्रेस आयोग नियुक्त किया गया। इस सम्बन्ध में प्रेस मालिकों के द्वारा विलम्बकारी नीतियां अपनायी जा रही हैं। कारण यह है कि भारत के अधिकांश समाचार पत्रों के स्वामी पूंजीवादी और सामन्तवादी दृष्टिकोण रखते हैं। सरकार भी आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करवाने में सहयोग नहीं कर रही है।

उदाहरणार्थ काम के घंटों का प्रश्न लीजिये। जब कभी इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन किया गया तो हमें यह आश्वासन दिया गया कि प्रेस तथा एजेन्सियों में काम करने वाले पत्रकारों से चार सप्ताहों में १४४ घंटों से अधिक काम नहीं लिया जायेगा तथापि यह रियायतें नहीं दी गईं फलतः पत्रकारों को कभी कभी राष्ट्र के हित में चौबीसों घंटे काम करना होता है।

विदेशी एजेन्सियों में काम करने वाले पत्रकारों को अच्छा वेतन और सुविधाय मिलती हैं। यह सुविधायें हमारे नवयुवकों को भी प्राप्त होनी चाहियें। पत्रकार हमारे समाज के प्रहरी हैं तथापि वे दरिद्रों का जीवन व्यतीत कर रहे हैं अतः मैं श्रम मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि वह प्रेस आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करवाने के लिये अपने प्रभाव का पूरा उपयोग करें जिससे पत्रकार अपने अधिकार से वंचित न किये जायं।

अब रेलवे कर्मचारियों का प्रश्न लीजिये। उनकी कुछ बुनियादी मांगें हैं। क्या उनके लिये कुछ भी नहीं किया जा सकता ? हम इस देश में स्वतन्त्र कार्मिक संघों को बहुत महत्व देते हैं। इसलिये, हमें कार्मिक संघों के प्रति दलगत दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिये। यदि किसी कार्मिक संघ के पीछे श्रमिक हैं, तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नाथ पाई]

हमारे श्रम मंत्री भारत और विदेशों के कार्मिक संघों तथा श्रमिक विधानों की बड़ी गहरी जानकारी रखते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जानकारी का उपयोग श्रमिकों को उचित अधिकार दिलाने के लिये नहीं किया है । हमें उनसे कुछ अधिक आशा थी ।

रेलवेज़ अपने १,८०,००० "ठेकों पर काम करनेवाले नैमित्तिक श्रमिकों" को रेलवे कर्मचारी ही नहीं मानती । उनके सम्बन्ध में कोई सामान्य नीति भी नहीं अपनाई गई है । कलकत्ता और हावड़ा जैसे नगरों में उन्हें एक रुपया सात आने या एक रुपया बारह आने प्रतिदिन की मजदूरी दी जाती है । इससे उनके घर कैसे चल सकते हैं ? इन ठेकेदारों को मजबूर किया जाना चाहिये कि वे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार ही मजदूरी दें ।

रेलवे मंत्रालय अखिलभारतीय रेलवे कर्मचारी फेडरेशन को मान्यता नहीं देता । यह फेडरेशन अधिक रेलवे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है । यह दृष्टिकोण सर्वथा अनुचित है और इसी से हड़तालें पैदा होती हैं । हड़तालों को गैर-कानूनी घोषित करने से भी कोई लाभ नहीं है । यदि माननीय मंत्री भुखमरी और बेरोज़गारी को गैर-कानूनी घोषित कर दें, तो हड़ताल पैदा ही न हों । हड़ताल श्रमिकों का मूल अधिकार है ।

फिर, मंत्रालय ने कोई सह-घोषित नीति भी नहीं अपनाई है । चमड़ा उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के लिये कुछ भी नहीं किया गया है । कानपुर जैसे शहर में भी उनको सात आने रोज़ दिये जाते हैं ।

उनके लिये एक मजूरी बोर्ड नियुक्त किया जाना चाहिये । हम कल्याणकारी राज्य का दावा करते हैं, लेकिन उसके लिये आवश्यक है कि हम अपने देश के श्रमिकों को रोज़ी और सेवा-काल की सुरक्षा भी दें ; श्रमिकों को नये समाज के निर्माता के रूप में स्वीकार करें ।

ब्रिटेन के कल्याण कारी राज्य में प्रत्येक बच्चे को समान सुरक्षा दी जाती है । हमारे यहां उसका अभाव है ।

देश के श्रमिकों के लिये आवास का भी कोई प्रबन्ध नहीं है । लन्दन और वियना में श्रमिकों के लिये बड़े सस्ते किराये पर बड़े अच्छे मकानों का निर्माण किया गया है ।

और, श्रमिकों ने इन सबके न होने पर भी, इस बीच में किस प्रकार बर्ताव किया है ? उनके प्रयासों के कारण ही किसी किसी क्षेत्र में तो, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री के कथनानुसार, उत्पादन में २७ प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है । कभी तो आप कहते हैं कि श्रमिकों में उत्साह नहीं है और उत्पादन गिर रहा है, और कभी आप आंकड़े बताने लगते हैं कि उत्पादन में वृद्धि हो रही है । बुलेटिन में कहा गया है कि जनवरी १९५७ की तुलना में, उत्पादन का सामान्य देशनांक इस महीने ०.९ प्रतिशत अधिक हो गया है । मेरा अपना विचार है कि श्रमिकों ने भूखे रह कर भी उत्पादन में वृद्धि की है । इतना ही नहीं, उन्होंने संयम, दायित्व और आत्मत्याग की भावना से काम लिया है । इसलिये, सरकार को भी प्रत्युत्तर में अपने इस सभा में दिये गये सभी वचनों को पूरा करना चाहिये ।

अब मूल्यों का प्रश्न लीजिये । देश के अर्थशास्त्रियों ने आंकड़े दिये हैं कि मूल्यों की वृद्धि आरम्भ होने के समय, जून १९५५ के आरम्भिक काल के स्तर की तुलना में अब मूल्यों का देशनांक २९.५ प्रतिशत अधिक हो गया है, और एक वर्ष पहले के स्तर की तुलना में वह ९.७ प्रतिशत ऊंचा उठ गया है ।

जुलाई के बुलेटिन में कहा गया है कि श्रमिक वर्गों के लिये उपभोग वस्तुओं के मूल्यों का देशनांक, एक वर्ष पहले के स्तर की तुलना में, ३.९ प्रतिशत अधिक हो गया है।

उसी में बताया गया है कि जून १९५६ में समाप्त होने वाले त्रैमासिक काल में, गतवर्ष की तुलना में, संयुक्त पूंजी समवायों ने काफी अधिक मुनाफे कमाये हैं और अचल सम्पत्ति में वृद्धि कर ली है। ऐसे १०१ समवायों के लाभांश ४.८ करोड़ रुपयों से बढ़कर ५.४ करोड़ रुपये हो गये हैं। अर्थात् उनमें ४० प्रतिशत वृद्धि हुई है।

इससे स्पष्ट है कि इस बीच में पूंजीपति तो अनुचित मुनाफे कमाते रहे हैं, और श्रमिकों को उनके उचित अंश से बंचित रखा गया है। श्रम मंत्री को श्रमिकों से सम्बन्धित सभी प्रश्नों के बारे में सक्रिय रहना चाहिये। उसे श्रमिकों के हितों की रक्षा करनी चाहिये। सरकार ने १७ मार्च, १९४९ को यह कहा था कि जिन जिन विभागों में स्थायी स्थान रिक्त होंगे उनमें अस्थायी कर्मचारियों के लिये एक कोटा सुरक्षित कर दिया जायेगा। लेकिन आज तक उसका कोई उदाहरण देखने में नहीं आया है। उनमें से कुछ तो ८ से १३ वर्षों तक के सेवा काल वाले हैं, लेकिन अर्द्ध-स्थायी ही बने हुये हैं। उस वचन की पूर्ति नहीं की गई है।

मंत्रालय को एक व्यापक नीति अपनानी चाहिये। उसे कार्मिक संघों के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। पूंजी और श्रम की सहकारिता का नया युग आरम्भ करना चाहिये। उसे धमकियां देने की नीति त्यागना चाहिये। अत्यावश्यक सेवा संधारण विधेयक जैसे विधयकों से वातावरण दूषित हो जाता है। हमें परस्पर विश्वास के आधार पर देश की सेवा में जुटना चाहिये। यह विधेयक तो हमारे संविधान के सम्मान पर कलंक लगाता है, क्योंकि यह श्रमिकों को उनके मूल अधिकारों से बंचित करता है। इसे वापिस लिया जाना चाहिये।

दूसरी शर्त यह है कि सरकार को ईमानदारी से कार्मिक संघीय अधिकारों को मान्यता देनी चाहिये। कार्मिक संघों के प्रति दलगत दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिये।

श्रमिक यही चाहते हैं कि सरकार धमकियों और ऐसे विधेयकों से काम न ले और कार्मिक संघों के साथ ईमानदारी से बर्ताव करे। सरकार को कुछ कार्मिक संघों का पक्षपात नहीं करना चाहिये। अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी फेडरेशन को मान्यता दी जानी चाहिये। और, सरकार को मजूरी, मूल्य, मुनाफे तथा लाभांशों के सम्बन्ध में एक एकीकृत आर्थिक नीति अपनानी चाहिये।

आज सबसे बड़ी कठिनाई मूल्यों का चढ़ते जाना ही है। इसके लिये शीघ्रता से कुछ करना पड़ेगा। श्रमिकों को सम्मान देने से, वे नये भारत के निर्माण में सक्रियता से हाथ बंटाने के लिये तत्पर हो जायेंगे।

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : आज की बहस में बहुत सी बातें कही गई हैं, लेकिन हमको यह बतलाना चाहिए कि हमारी गलती कहां हो रही है। हम भी यह जानना चाहते हैं। लेकिन बहुत सी बातें ऐसी कही गई हैं जिनका इस विषय से कोई सम्बन्ध ही नहीं है। कुछ ऐसी बातें भी हैं जो कि बहुत सच्ची भी नहीं थीं और कुछ ऐतराजात जो किये गये हैं वे असलियत से दूर हैं।

अभी माननीय सदस्य ने जरनलिस्ट्स के इंटेरिम रिलीफ (पत्रकारों की अन्तरिम सहायता) के बारे में जिक्र किया। लेकिन शायद उनको याद होगा कि जरनलिस्ट्स के लिए जो वेज बोर्ड

[श्रम उपमंत्री]

(मजूरी बोर्ड) बनाया गया था वह एक ट्रिपार्टाइट (त्रिदलीय) बोर्ड था और बोर्ड को पावर (शक्ति) थी कि अगर वह चाहे तो इंटेरिम रिलीफ की सिफारिश कर सकता था। बोर्ड के मेम्बरान ने यह समझा, और उन मेम्बरान ने भी, जो कि जरनलिस्ट्स के नुमायन्दे थे, यह समझा कि इंटेरिम रिलीफ की जरूरत नहीं है और उन्होंने उसकी सिफारिश नहीं की। अब उसका इल्जाम गवर्नमेंट पर लगाना नामुनासिब चीज़ होगी।

जरनलिस्ट्स के बारे में, जो कि एजेंसीज़ से सम्बन्धित हैं, उनके बारे में हम यह फैसला कर चुके हैं और पहले हम ऐलान भी कर चुके थे कि हम उनको शामिल करना चाहते हैं। माननीय सदस्य यहां जो मांग करते हैं हम वही करते हैं, इसलिये जो सम्बन्धित इंटरेस्ट्स (हितों) के सलाह-मशविरे से ही अमेंडमेंट (संशोधन) लाया जाता है। हमारे जहां तक फैसले का ताल्लुक है, वह तो हो चुका है। उनका मशविरा लेने के बाद जो जरूरी अमेंडमेंट हैं वे हम करना चाहते हैं। इसके बारे में मेरे दोस्त डांगे साहब ने कुछ कहा है, उनको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम फैसले पर अमल करेंगे।

डांगे साहब ने अपनी तकरीर के शुरू में कुछ तो मिनिस्ट्री और कुछ मिनिस्टर साहब की तारीफ की, लेकिन आखिर में वह अपने तरीकों पर आ गए और कहने लगे कि हम कैपिटलिस्टों के इन्फ्लुएंस (पूंजीपतियों के प्रभाव) में फंसे हुए हैं और गुस्से में आकर मुझ पर भी उन्होंने कुछ ज़ाती हमले किए। मुझे यह चीज़ अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन जो बात उन्होंने कही वह काफी हद तक सच थी। मैं इसको मानता हूं। उन्होंने डेपुटेशनिस्टस (प्रतिनिधियों) के बारे में कुछ ज़िक्र किया है। वे लोग मुझ से मिले थे और मैंने उनसे यह जरूर कहा था कि उनके जो तरीके हैं वे अच्छे नहीं हैं। डांगे साहब ने जो यह शिकायत की है कि मैं कम्युनिस्टों को पसन्द नहीं करता हूं, वह भी काफी हद तक सच है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वह मुझे पसन्द करते हैं, क्या वह कांग्रेस को पसन्द करते हैं और यदि नहीं तो मैं उनको कैसे पसन्द कर सकता हूं। अगर हम एक दूसरे को पसन्द करते होते, तो वह उधर क्यों बैठते और मैं इधर क्यों बैठता। हम दोनों ही एक तरफ बैठते होते। मैं समझता हूं कि उन लोगों ने जिन बातों का डांगे साहब से ज़िक्र किया था उसमें उन्होंने ज़रा सी गलती कहने में जरूर कर दी थी। मैंने उन लोगों को जरूर यह कहा था, जोकि मुझ से मिलने के लिए आए थे और जिन्होंने यह कहा था कि वर्कर्स (मज़दूर) तकलीफ में हैं, कि तुम उनको तकलीफ में क्यों डालते हो, क्यों स्ट्राइक उनसे करवाते हो, उनसे घेरे क्यों करवाते हो, इसलिये मुकदमे अगर उन पर चलते हैं तो तुम क्यों शिकायत करते हो, वर्कर्स को क्यों मारते हो। क्यों तुम ने एक यूनियन की छत पर चढ़कर, छत को तोड़ कर, ऊपर से तीर चला कर वर्कर्स को मारा, यूनियन के आफिस में। दो आदमी मरे और एक अस्पताल में मरा और कुछ वर्कर्स ज़ख्मी हुए। मैंने उनसे कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैंने उनको ये सब बातें कहीं तो क्या गलती की। उन्होंने बर्नपुर का ज़िक्र किया है। वे भी आए थे और मैंने उनसे भी यही कहा था। यहां पर जमशेदपुर का भी ज़िक्र आया है। वहां पर कम्युनिस्ट न तो पहले कभी थे और न ही आज हैं। उस यूनियन के पहले प्रेज़ीडेंट सुभाष चन्द्र बोस थे, फिर मौलाना अबदुल बारी हुए, और आज जान साहब हैं और वह बड़ी शान से काम कर रहे हैं। कुछ कम्युनिस्ट भाई भी हैं जो अपने तरीके से वहां कब्ज़ा करना चाहते हैं। अगर वहां के वर्कर भारी तादाद में उनको मंजूर कर लें तो यूनियन खुद-ब-खुद ही उनके हाथ में चली जाएगी। लेकिन जहां तक प्लेबिसाइट (जनमत संग्रह) का ताल्लुक है, वह हमेशा ही नहीं किया जा सकता है। अगर कहीं पर २०,००० वर्कर हों और १५–२० वर्कर प्लेबिसाइट की मांग करें और उनके कहने पर हम हर रोज़ प्लेबिसाइट करना शुरू कर दें, तब तो काम नहीं चल सकता है। यहां

पर शूगर इंडस्ट्री (चीनी उद्योग) में प्लेबिसाइट जो किया गया था उसका ज़िक्र किया गया है। मैं इस बात को मानता हूं कि वहां पर प्लेबिसाइट किया था लेकिन किन हालात में किया था उस पर भी आपको गौर करना होगा। इस चीज़ को शायद डांगे साहब भूल गए हैं कि श्री शिब्बन लाल सक्सेना वहां उपवास कर रहे थे और वर्कर्स ने कहा कि इनकी जान तो बचा लो और इस मांग में हमारे कम्युनिस्ट भाई, सोशलिस्ट भाई, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट भाई, रेड कम्युनिस्ट भाई और फार्वर्ड ब्लाक के भाई शामिल हुए और, इन सब ने मिल कर वोटिंग के समय आइ० एन० टी० यू० सी० को हराया। यहां तक यह बात सच है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इस पर भी आपको विचार करना होगा और इसको भी आंखों से ओझल नहीं होने देना होगा। प्लेबिसाइट के बाद जब यू० पी० गवर्नमेंट ने लिस्ट मांगी कि आप नाम दो जिनको कि कमेटी में रखा जाए। उसी दिन इनमें आपस में झगड़ा पैदा हो गया और वह लिस्ट आज दिन तक नहीं दी जा सकी है। इस प्लेबिसाइट के बाद दूसरा प्लेबिसाइट लेने की बात डांगे साहब ने कही है और कहा है कि वह नहीं लिया गया है। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि एक घर को तोड़ना तो आसान होता है लेकिन उसको बनाना मुश्किल होता है। सब मिल कर एक पार्टी को निकाल तो सकते हैं लेकिन बाद में जब वे आपस में ही यूनाइट (एक) नहीं होते हैं तो इसका क्या नतीजा निकाला जाए, यह आप भी जानते हैं। जब वे नामों की लिस्ट नहीं दे सके तो इसका मतलब यह हुआ कि आई० एन० टी० यू० सी० जहां थी वहीं रही। इसके बाद मेरे दोस्त पांडे जी ने जो शुरू में कहा था वह आप सब ने सुन लिया है। अगर आपकी यह शिकायत है कि मैं कम्युनिस्टों पर बहुत गुस्सा हूं, तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मैं गुस्सा नहीं हूं। कम्युनिस्ट भाई जो हैं, वे हैं, इसको मैं भी जानता हूं और बाकी लोग भी जानते हैं। इसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूं और न कभी मैं इसको भुलाने की कोशिश ही कर सकता हूं। अगर हिन्दुस्तान के वर्कर इसको भूलना भी चाहेंगे तो भी मैं उनको यह चीज़ भूलने नहीं दूंगा। सन् १९४२ में कम्युनिस्टों ने मुल्क के साथ गद्दारी की, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, इम्पीरियलिस्ट पावर (साम्राज्यवादी शक्ति) का साथ दिया, वार आफ इम्पीरियलिज्म का साथ दिया और वर्कर्स को आगे नहीं आने दिया। अगर उस वक्त इन्होंने देश के साथ गद्दारी न की होती तो वर्कर्स के पास आज मिट्टी के बर्तनों की जगह पर ताम्बे और पीतल के बर्तन होते। अगर उस वक्त जब हम जेल में चले गए थे इन्होंने वर्कर्स की तथा मुल्क की खिदमत की होती तो आज उनकी यह हालत नहीं होती और मुल्क का नक्शा बदल गया होता। अगर आज डांगे साहब नाराज़ होते हैं, तो इसको वही समझें और वही जानें क किस चीज़ को वे सही ख़याल करते हैं। किस लिये हम एक दूसरे के खिलाफ हैं, उसको वह अच्छी तरह से समझते हैं। उनका और मेरा काफी अर्से तक साथ रहा है। हम दोनों बम्बई में साथ रहे हैं और वह मुझे और मैं उन्हें काफी जानता हूं।

श्री त० ब० विट्ठल राव (खम्मम) : अब डिमांडस (मांगों) पर बोलिये।

श्री आबिद अली : उन पर भी मैं आता हूं, लेकिन अगर मैं खरी बात कह रहा हूं तो उसको भी आपको सुनना चाहिए। अगर सुनने के लिए तैयार नहीं हैं तो मेरे माननीय मित्रों को उसका ज़िक्र भी नहीं करना चाहिये था।

अभी मेरे मित्रों ने आर्डिनेन्स (अध्यादेश) का ज़िक्र किया है। यह ठीक है कि आर्डिनेंस निकाला गया था। उसके बारे में यहां पर काफी चर्चा हो चुकी है। यह कहा गया है कि स्ट्राइक को क्यों इल्लीगल (गैर कानूनी) ठहराया जाता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जब कम्यूनिस्ट केरल में मैजोरिटी (बहुमत) में आए थे उस वक्त तो मुझे कुछ बुरा लगा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मालम हो रहा है कि इससे कुछ अच्छे नतीजे भी निकल रहे हैं और यह कुछ अच्छा भी हुआ है। वहां पर जब सोशलिस्ट पावर (सत्ता) में आए थे उस वक्त भी उनको वर्कर्स

[श्री आबिद अली]

के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी थी और गोलियां भी चलानी पड़ी थीं। कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर कुछ अक्लमंदाना तरीके से काम भी कर रही है। वहां की गवर्नमेंट ने यह कहा है कि जनता को बहकावे में नहीं आना चाहिये, लोगों को अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करने देना चाहिये। यही बात पन्त जी ने भी कही थी और इसी चीज़ को यह गवर्नमेंट भी कहती है। आगे वहां गवर्नमेंट ने यह कहा है कि लोगों को उनके बहकावे में भी नहीं आना चाहिये, जो सम्प्रदायवादी या अन्य प्रकार के अपने हित साधने के लिये ही प्रचार करते हैं। हम भी यही चीज़ कहते हैं। आगे कहा गया है केरल सरकार ने त्रिवेन्द्रम की सरकारी रबड़ फैक्टरी की हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित कर दिया है।

इस तरह की कोई गलत बात नहीं होनी चाहिये। आगे चल कर वहां की गवर्नमेंट ने कहा है कि जो कुछ भी फैसला होगा वह सावरेन एसेम्बली (सम्पूर्ण प्रभुता सम्पन्न विधान सभा) में होगा और वह सावरेन एसेम्बली वह है जोकि लोगों द्वारा चुनी गई है और वहां पर हुआ फैसला सब को मानना पड़ेगा। हम भी तो यही चीज़ कहते हैं। पार्लियामेंट में तथा दूसरी एसैम्बलीज़ में जो चीज़ होती है, जो फैसले होते हैं, लोगों को चाहिए कि वे उन्हें मान लें। अगर हमारे कम्युनिस्ट भाई भी इस बात को मान लें और जो लीड (नेतृत्व) उनको केरल की सरकार की तरफ से मिल रही है, उसको अगर वे भी मंजूर कर लें तो झगड़ा ही खत्म हो जाता है।

अभी एक भाई ने फरमाया है कि स्ट्राइक को इल्लीगल करार नहीं देना चाहिए। डांगे साहब ने भी इस पर काफी ज़ोर दिया है। लेकिन यह बात भी भुलाई नहीं जा सकती है कि केरल में . .

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन** (मुकन्दपुरम्) : यह ग़लत है। सरकार ने हड़ताल गैर-कानूनी नहीं की है। न्यायनिर्णयन के दौरान में हड़ताल स्वयं ही गैर-कानूनी बन गई है।

श्री आबिद अली : मैं आगे खुद ही यह कहने वाला था कि जब एडजुडिकेशन हो रहा है तो जो स्ट्राइक है वह इल्लीगल है। यह गवर्नमेंट ने जो वहां है कहा है और हम भी यही कहते हैं। जब कोई चीज़ एडजुडिकेशन (न्याय-निर्णयन) के लिए पेंडिंग (विचाराधीन) है और उसके दौरान में अगर स्ट्राइक होती है तो वह इल्लीगल है। हमारे भाई ने कहा है कि किसी सूरतमें भी स्ट्राइक इल्लीगल नहीं होनी चाहिए। यह कैसे हो सकता है। अगर आज मैं किसी को मारता हूं तो मैं मर्डरर (खूनी) हूं और मुझे सज़ा होगी और अगर में चोरी करता हूं तो मैं चोर हूं और उसकी सज़ा मुझे भुगतनी पड़ेगी। जब मैं ही इल्लीगल एक्ट (कार्य) करता हूं तो मुझे उसका खमियाज़ा भुगतना ही पड़ता है। जब गवर्नमेंट एक बार कह देती है कि स्ट्राइक इल्लीगल है,मेहरबानी करके काम पर चले जाओ, स्ट्राइक मत करो और इसका जब एलान कर दिया जाता है, तो इसमें नाराज़गी की कौन सी बात है। यह चीज़ तो बिल्कुल स्वाभाविक है। कोई भी गवर्नमेंट हो तथा किसी भी पार्टी की वह हो वह गड़बड़ नहीं चाह सकती है और उसको इस बात का हक़ होना चाहिए कि वह अपने तरीकों से, अपने कायदों के मुताबिक काम करे। अगर इस पर भी हमारे मैम्बर साहिबान नाराज़ होते हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं और मेरा क्या दोष है।

अभी यहां पर यूनियन्स का ज़िक्र आया है और उसके साथ ही साथ वायलेंस (हिंसा) का भी ज़िक्र किया गया है। वायलेंस का जो सब्जैक्ट (विषय) है वह बहुत लम्बा-चौड़ा है। उसमें न जा कर के मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वर्कर्स को क्यों मारा जाता है। अगर कम्युनिस्ट चाहते हैं कि वे वर्कर्स की खिदमत करें तो वह कर सकती है, वर्कर्स को अपना सकती है और

† मूल अंग्रेजी में

उनको अपनी बात समझा सकती है,लेकिन सिर्फ इसलिए कि वह कम्युनिस्ट आइडयालोजी (विचार-धारा) को नहीं मानते या कम्युनिस्ट यूनियन के कहने के मुताबिक़ नहीं चलते, उनको मारना, उनकी औरतों को मारना और उनके बच्चों को मारना, य जो चीज़ें हो रही हैं, मेहरबानी करके आप अपने साथियों से कहिये कि यह चीज़ें ठीक नहीं हैं.....

श्री त० ब० विट्ठल राव : आप कोई सबूत पेश कर सकते हैं ।

श्री आबिद अली : इसके बारे में अखबारों में काफ़ी ज़िक्र आ चुका है । मेहरबानी करके अपने साथियों को समझाइये.....

श्री त० ब० विट्ठल राव : माननीय मंत्री बिल्कुल निराधार आरोप लगा रहे हैं ।

श्री आबिद अली : यह ग़लत है । उन्हें इस तरह की अनुचित और गैर ज़िम्मेदारी की बात नहीं करनी चाहिये ।

श्री आबिद अली : अरे भाई गुस्सा क्यों होते हो, गुस्सा होने से काम नहीं चलेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : गुस्सा इसीलिए करते हैं कि आप चेअर (उपाध्यक्ष) की तरफ़ मुतवज्जे नहीं होते हैं, अगर आप मेरी तरफ़ ध्यान रखें तो उनका गुस्सा आप पर नहीं पड़ेगा ।

श्री आबिद अली : आप की मार्फत मुझ तक आयेगा । खैर, मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि जो चीज़ें मेरे भाई ने सुबह फ़रमाई लेबर मिनिस्ट्री (श्रम मंत्रालय) के बारे में तो मैं उनको बतलाऊं कि कोल इंडस्ट्री (कोयला उद्योग) में साढ़े ३ लाख मज़दूर काम करते हैं और यह हो सकता है कि कुछ सौ या कुछ हज़ार आदमियों को बोनस के बारे में इतमीनान न हो और हम उसके लिए मुनासिब कार्यवाही करेंगे । हम खुद यह चाहते हैं कि हर एक चीज़ का जल्द फ़ैसला हो, जहां तक हो सके चीज़ें पेंडिंग कम रहें लेकिन आपको इसका भी खयाल रखना चाहिए कि आप अपने ही हाथ से खेत से यदि एक बोरा गेहूं का लायें तो उसमें आधा सेर या तीन पाव कूड़ा-करकट, मिट्टी-पत्थर वगैरह तो मिलेंगे ही । अब अगर एक नादान बच्चा मुहल्ले में उस आध सेर कूड़े-करकट को हाथ में लेकर नचाता फिरे कि यह मेरा बाप लाया है और उस गेहूं के बोरे का ज़िक्र न करे तो वह कहां तक ठीक होगा । सच तो यह है कि एक बोरा गेहूं लाने में आध सेर या पाव भर मिट्टी आती ही है । यह तो किसी चीज़ को देखने की अपनी-अपनी दृष्टि है । एक आदमी गेहूं के बोरे को देखता है तो दूसरा उस आध सेर या पाव भर मिट्टी को ही देखता है और गेहूं को नज़र अंदाज़ कर जाता है । यह मैं नहीं कहता हूं कि हमारे यहां सब काम ठीक-ठीक हो रहा है, ग़लतियां होती हैं, देर होती है, उनको खत्म करने की और कम करने की हमारी हमेशा से कोशिश रही है और आगे भी सदा रहेगी । उम्मीद तो यह थी कि आज हमारे मेम्बर साहबान कुछ मुनासिब चीज़ें कहेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें कहेंगे जिससे लेबर मिनिस्ट्री का काम ज्यादा शानदार तरीक़े से वर्कर्स की खिदमत करते हुए हो सके, लेकिन अफ़सोस है कि ऐसी कोई चीज़ हमको सुनने को नहीं मिली ।

रोड ट्रान्सपोर्ट (सड़क परिवहन) के बारे में मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि हम एक ट्रिपार्टाइट कमेटी बना चुके हैं, बिल हमने ड्राफ्ट कर दिया है, मेम्बर साहबान इस बात को कहते हैं कि ट्रिपार्टाइट कमेटीज़ के कंसल्टेशन (परामर्श) से हमें हर चीज़ को पेश करना चाहिए और उन से कंसल्ट करके हम किसी फ़ैसले पर पहुंचे तब यहां पर कोई बिल (विधेयक) लायें, हमारे दोस्तों की हर मौके पर मांग यही रहती है कि बिल बनाने से पहले और कोई फ़ैसला करने से पहले हम हमेशा ट्रिपार्टाइट कमेटीज़ की सलाह लिया करें और वहां पर फ़ैसला होने के बाद हम जितनी सेंट्रल आरगनाइज़ेशंस (केन्द्रीय संगठन) हैं, उन्हें फ़ैसलों की इत्तिला दिया करें

[श्री आबिद अली]

और उनके जवाब आ जाने के बाद फिर गवर्नमेंट फ़ैसला करे। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ड्राफ्ट भी उनके पास जाय, और उनके ख़यालात आ जाने के बाद फिर एमेंडेड ड्राफ्ट भी (संशोधित प्रारूप) भी उनके पास जाय, अब ऐसी कई आरगनाइज़ेशंस हैं जो कि जवाब देने में कई महीने लगा देती हैं और इसलिए ज़ाहिर है कि उसमें देर हो जाया करती है।

इंश्योरेंस वर्कर्स (बीमा कर्मचारियों) के बारे में मेरे दोस्त ने ज़िक्र करते हुए फ़रमाया कि बम्बई और कलकत्ते में उनके वास्ते अस्पताल नहीं हैं और वहां के जो इंश्योरेंस वर्कर्स हैं उनके लिए कुछ नहीं होता है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि यह बात नहीं है। मैं उनको बतलाना चाहूंगा कि बम्बई में २८४ जनरल बेड्स और १०० टी० बी० बेड्स इंश्योरेंस वर्कर्स के लिये रखे गये हैं।

बम्बई और कलकत्ते में अस्पताल हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि उन अस्पतालों में इंश्योर्ड वर्कर्स की पूरी ख़िदमत की जाती है और बम्बई के अस्पताल में २८४ जनरल बेड्स और १०० टी० बी० के बेड्स (तपेदिक के रोगियों के पलंग) कारपोरेशन की मार्फत सुरक्षित हैं। इसी तरह से कलकत्ते में १६५ जनरल बेड्स और ९५ टी० बी० बेड्स भी कारपोरेशन ने रिज़र्व किये हुए हैं और उनका इंश्योरेंस वर्कर्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यह जो अस्पताल हैं उनके ट्रस्टीज़ (न्यासकर्ता) अलग हैं, उन्होंने उनके प्लांस वगैरह बनाये हैं। कारपोरेशन तो खुद एक जमात है और उसकी मार्फत यह सब काम होता है, उस पर गवर्नमेंट का बहुत कम असर रहता है और हमारे दोस्त की आरगनाइज़ेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स (प्रतिनिधि) भी उसमें हैं और वहां पर जो कुछ फ़ैसले हुए हैं वे सब एक मत से हुए हैं और वहां फ़ैसला करके आना और यहां आकर शिकायत करना यह मुनासिब बात नहीं है। प्राविडेंट फंड के बारे में मुझे यह कहना है कि सेंट्रल बोर्ड आफ़ ट्रस्टीज़ (न्यासकर्ताओं का केन्द्रीय बोर्ड) में आई० टी० यू० सी० का रिप्रेजेंटेटिव है, मद्रास और बंगाल की रीज़नल कमेटीज़ में (प्रादेशिक समितियों) में भी उनका एक-एक रिप्रेजेंटेटिव है। अब मैं नहीं समझता कि इसमें उनको शिकायत की क्या गुंजाइश है।

प्लांटेशन लेबरर्स (चाय बागानों के मजदूरों) का हमारे दोस्त ने यहां पर ज़िक्र फ़रमाया। हमारे काफ़ी आफ़िश्यल्स मौजूद हैं, उन्होंने काफ़ी रेकार्ड्स देखे और हम ने भी याद ताज़ा करने की कोशिश की। आखिरी मीटिंग जिसके कि बारे में आपने फ़रमाया था उसमें आई० टी० यू० सी० के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे।

कुछ उन्होंने कान्फ्रेंस का ज़िक्र फ़रमाया कि उसका रिप्रेज़ेंटेशन नहीं था लेकिन मैं उनकी याद ताज़ा कराना चाहता हूं कि उसमें कान्फ्रेंस के रिप्रेजेंटेटिव एम० पी० मजुमदार हाज़िर थे। उसके बाद प्लांटेशन की कोई कान्फ्रेंस नहीं हुई है, इसलिए लेबर से कोई प्रतिनिधि बुलाने की ज़रूरत नहीं पेश आई। अब उस कान्फ्रेंस की सबकमेटी (उप समिति) का जो दूसरा फ़ैसला आया है तो उसके बारे में भी उनको शिकायत करने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वह कान्फ्रेंस की सबकमेटी थी और उस कान्फ्रेंस में आपका प्रतिनिधि हाज़िर था। वह ३१-३-१९५६ को बुलाई गई थी।

कोल माइंस ऐडवाइज़री कमेटी (कोयला खान मंत्रणा समिति) में श्री चिनाई मुकर्जी ए० आई० टी० यू० सी० को रिप्रेज़ेंट करते थे।

वर्कर्स एजुकेशन टीम (श्रमिक शिक्षा दल) के बारे में भी उन्होंने ज़िक्र किया, बात तो बड़ी अच्छी थी लेकिन मैं अपने दोस्त को बतलाना चाहूंगा कि वर्कर्स एजुकेशन टीम में केवल अधिकारी और शिक्षाविद् ही थे।

उसके बाद जो सैमिनार (गोष्ठी) हुआ था उसमें आपकी ए० आई० टी० यू० सी० के सर्वश्री श्री वास्तव और विश्वनाथन दोनों हाज़िर थे। उसके पहले जो कमेटी थी उसमें ए० आई० टी० यू० सी० का प्रतिनिधि नहीं था, आई० एन० टी० यू० सी० का प्रतिनिधि नहीं था और मज़दूर सभा का भी प्रतिनिधि नहीं था। उसके बाद जो कमेटी बनी है वर्कर्स एजुकेशन कमेटी, उसमें ए० आई० टी० यू० सी० के प्रतिनिधि एम० पी० मजुमदार हैं और उसके बाद से जितनी भी कमेटीज़ बनी हैं और जिनमें वर्कर्स का रिप्रेज़ेंटेशन था उनमें ए० आई० टी० यू० सी० के रिप्रेज़ेंटेटिव को हमेशा बुलाया गया है, यह मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता हूं।

प्रावीडेंट फंड (भविष्य निधि) के बारे में श्री घोषाल ने शिकायत की है कि २०० केसेज़ अदालत में हैं। बंगाल में १५०० फैक्टरियां हैं। उनमें ६५ के प्रासीक्यूशन्स (अभियोजन) हुए हैं और रिकवरी आफ एरियस लाइक लैंड रेवेन्यू (बकाया लगान की वसूली) के प्रोसीडिंग्स (मुकदमे) १०९ हुए हैं। आपने कहा कि वर्कर्स को दो-दो साल तक पैसा नहीं मिलता है। आप मुझे मेहरबानी करके ऐसे केसेज़ की फेहरिस्त भेज दें तो मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा। हमारी कोशिश यह है कि दस से १४ दिन के अन्दर प्रावीडेंट फंड के ड्यूज़ (बकाया) वर्कर को मिल जाने चाहिए। कभी-कभी एक महीना भी लग जाता है। कहीं-कहीं वर्कर्स अपने वारिस मुअय्यन नहीं करते हैं इस वजह से भी देर लगती है। लेकिन अगर किसी केस में दो साल की देर हुई हो तो उसकी फेहरिस्त मेरे पास भेज दें।

अगर किसी केस में कोर्ट में देर लगती है तो उस पर हमारा अख्तियार नहीं है, और आप भी चाहेंगे कि उस पर हमारा अख्तियार न हो।

कहा गया है कि मिनिस्ट्री यूनिन्स का रिकागनीशन (मान्यता) नहीं करती। मगर लेबर मिनिस्ट्री कौनसी यूनियन्स को रिकागनाइज करती है। रिकागनीशन तो एम्पलायर और एम्पलाईज़ (मालिक और कर्मचारियों) के बीच होता है। हमारे लिए उसमें दखल देने की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसा बम्बई का ऐक्ट है या मध्य प्रदेश का ऐक्ट (अधिनियम) है उसमें, रिकागनीशन कर सकते हैं। जब रिकागनीशन मिलता है तब भी यहां कुछ साहिबान शिकायत करते हैं। मैं अर्ज़ कर रहा था यूनियन्स के रिकागनीशन के बारे में। पांडे साहब ने वर्कमैन्स कम्पेन्सेशन ऐक्ट (कर्मकार प्रतिकर अधिनियम) के बारे में अमेंडमेंट करने के लिए फरमाया है। जो अमेंडमेंट आ रहा है उसमें यह चीज़ नहीं थी। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया। हम अमेंडमेंट लाने वाले हैं। उसमें यह चीज़ भी शामिल कर देंगे।

श्री घोषाल साहब ने ज़िक्र किया ड्यूअल मैनेजमेंट (दोहरे प्रबन्ध) वगैरह के बारे में। इसका हमें इल्म नहीं है। अगर मेम्बर साहब को ऐसी किसी चीज़ का इल्म है तो वे उसके बारे में हमको बतलावें तो हम इसकी तहकीकात करेंगे और जो कुछ हो सकेगा करेंगे।

एम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज़ (रोज़गार दफ्तरों) में करप्शन (भ्रष्टाचार) की बात कही गयी है : इस बारे में हमारी खुद कोशिश है कि जहां तक हो सके इन्साफ़ से काम होना चाहिए और लोगों को मैरिट पर ही लिया जाना चाहिए। मैं ने कई मर्तबा यहां भी अर्ज किया है और क्वेश्चन्स (प्रश्नों) के दौरान में कहा है कि महज यह कहने से कि करप्शन है करप्शन दूर नहीं हो सकता। जब भी किसी को यह मालूम हो कि करप्शन हुआ है तो उसे हम को इत्तला देनी चाहिए। आप चाहे किसी जबान में लिख कर भेज दें, एक पोस्टकार्ड भेज दें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हमको यह चीज़ पसन्द नहीं है। मगर सिर्फ यह कहने से कि करप्शन है करप्शन जायेगा नहीं।

इसी तरह से मैं अर्ज़ करना चाहता था कि सिर्फ ऐतराज करने से काम नहीं चलेगा। ऐसा करने से जिन की आप खिदमत करना चाहते हैं वह आप नहीं कर सकेंगे। जो खिदमत करने का

[श्री आबिद अली]

तरीका है उसी से खिदमत हो सकती है। अगर हम और मेम्बर साहिबान मिलकर कोशिश करें तो हम ज्यादा अच्छी खिदमत अंजाम दे सकते हैं।

सदस्य की रिहाई

†उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मेरे पास जयपुर नगर के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस की ओर से दिनांक २१ अगस्त, १९५७ का निम्नलिखित पत्र आया है :—

"लोक-सभा के सदस्य श्री हरिश्चन्द्र शर्मा को, जिन्हें राजस्थान में अध्यापन शुल्क में वृद्धि के विरुद्ध आमरण अनशन करने के लिये १६ अगस्त, १९५७ को भारतीय दण्ड विधान की धारा ३०९ के अधीन गिरफ्तार किया गया था और १६ से २० अगस्त, १९५७ तक जयपुर की सेंट्रल जेल में रखा गया था, उनके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त करने के सरकारी आदेश के अधीन २० अगस्त, १९५७ को ५ म० पू० पर रिहा कर दिया गया है।"

अनुदानों की मांगें—(जारी)

श्रम और रोजगार मंत्रालय—(जारी)

†श्री कुट्टिकृष्णन् नायर (कोजीकोड) : मैं इन अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। सरकार का दृष्टिकोण बिलकुल सही रहा है। सरकार ने उद्योग के प्रबन्ध के कार्य में श्रमिकों के सहयोग के अधिकार को मान लिया है। इससे आगे सरकार को यही करना है कि उन्हें स्वामित्व के अधिकार दे। औद्योगिक शान्ति इसी से स्थापित हो सकती है। जैसा आप जानते हैं हमारे श्रमिक संगठित नहीं हैं। श्रम विधियां पारित की जाती हैं परन्तु केवल बड़े बड़े कारखानों और औद्योगिक केन्द्रों को छोड़कर इनका लाभ और कहीं के मजदूरों को नहीं होता है।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि सरकार को लाभांश और मजूरी के सम्बन्ध में ध्यान देना चाहिए। सुविधाओं के सम्बन्ध में मेरा विचार है कि जब तक हरिजन कल्याण विभाग के समान अलग विभाग इस सम्बन्ध में नहीं बनाया जायेगा तब तक मजदूरों का आर्थिक स्तर ऊंचा नहीं उठाया जा सकता है। आप जानते हैं कि बाग़ान आदि के मजदूर बड़ी कठिनाई म ह। माननीय उपमंत्री केरल के बाग़ानों की हालत स्वयं देख चुके हैं। मुझे विश्वास है कि उन्हें वहां के मजदूरों की मकानों और पानी के बारे में तथा अन्य प्रकार की असुविधाओं का पता लग गया होगा।

बहुत से प्रबन्धकों ने औद्योगिक आवास योजना का लाभ नहीं उठाया है और जांच करने पर आपको जानकारी होगी कि इस योजना का अधिक धन बड़े नगरों के औद्योगिक प्रबन्धों पर ही व्यय किया गया है। देहात में काम करने वाले मजदूरों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो सभी मजदूरों को सभी प्रकार की सुविधायें दिला सकें।

नियमों के अधीन प्रबन्धकों और मजदूरों के विवाद तय करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था रखी गई है परन्तु छंटनी आदि के बारे में कुछ और सुधार की आवश्यकता नजर आती है।

†मूल अंग्रेजी में

किसी मज़दूर को अलग कर देने के पश्चात् मामला न्यायाधिकरण में जाता है और इस प्रकार निर्णय होने में लगभग एक वर्ष लग जाता है। मज़दूर को वापस काम पर लगाये जाने के आदेश होने से कोई लाभ नहीं होता है क्योंकि अन्तरिम काल में तो उसके पास एक पैसा भी नहीं रहता। इसलिए छंटनी आदि के मामले में इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे इन मामलों का शीघ्र निर्णय किया जा सके और निर्णय होने तक उनको कुछ न कुछ मजूरी अवश्य मिलनी चाहिए जिससे वह अपना जीवन यापन कर सकें।

मेरा यह सुझाव है कि मज़दूरों को कम्पनियों के बोनस अंश प्राप्त करने की सुविधा भी होनी चाहिये। जो लाभांश मज़दूरों को दिया जाये और उसमें प्रबन्धकों का जो अंश हो उससे १५ अथवा २० वर्ष में उस कम्पनी के लगभग एक तिहाई अंश मज़दूरों के हो सकते हैं।

केरल के सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां कोई बड़ा उद्योग नहीं है। वहां कुछ छोटे छोटे उद्योग ही हैं। खपरैल उद्योग को लीजिए। किसी भी उद्योगपति द्वारा खपरैल सुखाने के आधुनिक यंत्रों का उपयोग न किये जाने से मज़दूरों को २ अथवा ३ महीने तक बेकार रहना पड़ता है। यदि सरकार इन उद्योगपतियों से वित्तीय सहायता को आधुनिक यंत्रों के लगाने में उपयोग करने के लिये कह सके तो मज़दूर बेकार नहीं रहेंगे।

केरल के अधिकांश मज़दूर भारतीय कार्मिक संघ के सदस्य हैं, इसलिए सरकार उनके किसी आन्दोलन को सफल नहीं होने देती। सरकार की नीति के कारण मज़दूरों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब हालत यह है कि केरल सरकार उद्योगपतियों को सहयोग देने लगी है। श्री अ० क० गोपालन जैसे नेता ने बताया था कि सरकार कुछ बागानों को ले लेगी। इससे यहां के बड़े बड़े उद्योगपति नाराज़ हो जाते। सरकार उन्हें नाराज़ करना नहीं चाहती हैं। इसलिये कुछ लोगों ने कहा कि केरल के मंत्रिमंडल के बाहर के लोगों को इस प्रकार की उद्घोषणायें नहीं करनी चाहिए। मज़दूरों के साथ वहां पर ज्यादतियां की जा रही हैं जिनके परिणामस्वरूप वहां के मज़दूर संतुष्ट नहीं हैं। मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री वहां जायें और राज्य सरकार को भविष्य में अपनी नीति को बदलने के लिए बाध्य करें।

मेरी साम्यवादी दल तथा विरोधी पक्ष के नेता से अपील है कि वह इस बात को न सोचें कि कौन सा मज़दूर किस दल का सदस्य है। उन्हें तो यह समझना चाहिए कि मज़दूर अपना आर्थिक विकास चाहता है और उसका राजनैतिक विचारों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री बाल्मीकी (बुलन्दशहर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है।

मैं माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं उस श्रम नीति के लिये जो उन्होंने अपनाई है। बावजूद इसके कि देश के अन्दर कुछ तोड़ फोड़ की क्रियायें हुई हैं, कुछ ताले बन्दियां हुई हैं, कुछ हड़तालें हुई हैं और उनमें जिन जिन सिर फिरे तथा रजमत (प्रतिक्रियावादी) पसन्द लोगों का भी हाथ रहा हो लेकिन उन तमाम बातों के होते हुए भी हमारी जो श्रम नीति चली है वह सफलतापूर्वक चली है। यह श्रम मंत्री जी की कार्यपरायणता, उनकी जागरुकता तथा उनकी सजगता का प्रतीक है।

मैं इस बात को मानता हूं कि "श्रमेण हि तपसः" श्रम ही तपस्या है। प्रथम पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिए हमने श्रम की भावना पैदा की और आज भी हम उसी श्रम की भावना को ले कर चल रहे हैं और मजदूरों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यद्यपि उनके जीवन स्तर में कोई विशेष उन्नति नहीं हुई है लेकिन फिर भी हम आशावान हैं कि यह होगी और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें आगे बढ़ना है।

[श्री बाल्मीकी]

यह ठीक है कि देश के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, उनके वेतनों में संशोधन करने के लिए दस साल पहले एक पे कमीशन बिठाया गया था। उस समय जो स्थिति थी और आज भी जो स्थिति है उसमें बहुत भारी अन्तर आ गया है। अब आपने दूसरे पे कमीशन की नियुक्ति की है। इससे हमारे हृदयों के अन्दर हर्ष का संचार हुआ है। मुझे कोई बहुत अधिक नहीं कहना है। लेकिन मेरी जो सहानुभूति है वह क्लास फोर सर्वेंटस की ओर कुदरती ढंग से जाती है और मैं इस बात को मानता हूं कि उनकी कुछ दिक्कतें हैं और उनकी पे (वेतन) का जो स्तर है वह जिस ढंग का कार्य वे करते हैं उसके अनुसार नहीं होता है और उतनी पे उनको नहीं मिलती है जितनी उनको मिलनी चाहिये। मैं चाहता हूं कि इस देश के अन्दर जो साधारण काम करने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वे चपरासी हैं, चाहे वे भंगी हैं या इस तरह के दूसरे लोग हैं उनको कम से कम सौ रुपया मासिक अवश्य मिलना चाहिए और मैं आशा करता हूं कि यह हो कर रहेगा।

यह बात ज़रूर है कि सरकार ने जो अभी पे कमीशन नियुक्त किया है उसकी सिफ़ारिशें हमारे सामने आयेंगी और उन पर विचार होकर अमल होगा। मैं चाहता हूं कि कम से कम सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड एरिया, के अन्दर जो कारपोरेशन होगी और जो म्युनिसिपैल्टियां होंगी, उनमें जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी काम करते हैं उनके वेतन पर इस पे कमीशन द्वारा विशेष रूप से ध्यान दिया जायगा। पे कमीशन की सिफारिशें उन पर भी लागू होंगी।

यहां पर वेज बोर्ड का जिक्र किया गया। मैं टैक्सटाइल इंडस्ट्री में वेजबोर्ड का यहां पर स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि उसी तरह के वेज बोर्डस चाहे वह शूगर उद्योग हो और चाहे वह रेलवे उद्योग हो या उसी तरीके के दूसरे उद्योग म्युनिसिपैलटीज़ आदि में वेज बोर्ड कायम किये जाने चाहियें। इस सम्बन्ध में मेरा ध्यान खास तौर से म्युनिसिपल वर्कर्स की तरफ जाता है और मैं समझता हूं कि उनकी वेजेज़ में काफ़ी डिस्पैरेटी (असमानता) है चाहे वह कारपोरेशन हों या म्युनिसिपैलीटीज़ हों और मैं चाहता हूं कि इस तरह का म्युनिसिपल वर्कर्स के लिए भी एक वेज बोर्ड होना चाहिए जो उनके वेतनों की डिस्पैरेटी को देखे और उनकी दयनीय आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए आवश्यक तबदीली सुझाये। और उनके सैलरी स्ट्रक्चर की जांच कर सकें।

श्रम मंत्री महोदय ने श्रम सम्मेलन नें यह शब्द बड़े बल के साथ कहे हैं :

"हम ने सुख समृद्धि का बीज बोया है, हमने राष्ट्र में एक नई शक्ति पैदा की है" निस्सन्देह देश समृद्धि की ओर बढ़ा है और राष्ट्र में नई शक्ति की चेतना आई है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमारे श्रम मन्त्रालय की नीति ऐसी है जिससे हम अपने देश को निस्सन्देह एक समाजवादी व्यवस्था की ओर लिये जा रहे हैं। श्रम मन्त्रालय की नीति में जन कल्याण की भावना निहित है और हम सही दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में हड़तालों का एक ताता सा और वातावरण सा बन गया है और जिधर देखो उधर हड़ताल की चर्चा सुनाई देती है, कहीं म्युनिसिपल मज़दूरों की हड़ताल, कहीं गोदी कर्मचारियों की हड़ताल तो कहीं पी० एण्ड टी० के कर्मचारियों की हड़ताल, मैं इस बात को मानता हूं कि आज जब हमारा देश द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जुटा हुआ है तब इस तरह की हड़तालों से उसकी प्रगति में बाधा ही पहुंचती है, उत्पादन कार्य रुक जाता है और साथ ही हड़ताल होने से दोनों पक्षों को दिक्कत और परेशानी ही होती है और आज की बदली हुई परिस्थिति में यदि हड़ताल न हों तो वह देश के हित में होगा लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे श्रम मन्त्री महोदय और भारत सरकार इस बात के ऊपर गम्भीरता से विचार करें कि आखिर यह हड़तालें क्यों होती हैं और इनके पीछे क्या कारण है। मैं समझता हूं कि हड़तालों की बहुत हद तक वजह अधिकारी तथा मालिकों द्वारा कर्मचारियों के प्रति उपेक्षा बर्ता जाना है। जहां तक

म्युनिसिपल मज़दूरों का ताल्लुक है मैंने देखा है कि पिछले ३,४ वर्षों में श्रम मंत्रालय को उनकी ओर जितना ध्यान देना चाहिए था, वह नहीं दिया । आज चाहे वह वर्कमैन कम्पेंसेशन ऐक्ट हो, चाहे वह लेबर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट हो और चाहे वह मिनिमम वेजेज़ ऐक्ट हो, या इस प्रकार के दूसरे लेबर ऐक्ट हों, जहां तक म्युनिसिपल कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उन पर मलदरामद नहीं होता और श्रम मन्त्रालय को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि उनके सम्बन्ध में भी इन कानूनों का अमल कराया जाय ।

अब मैं थोड़े से शब्द अपने लैंडलेस लेबरर्स की बाबत कहना चाहूंगा । आज हमारे देश में लैंडलेस लेबरर्स की अवस्था बड़ी शोचनीय है और यह सौभाग्य का विषय है कि सन्त विनोबा भावे जी का ध्यान इन अभागे खेतिहर मज़दूरों की दर्दनाक हालत की ओर गया है । और वे उनको गिरी हुई अवस्था से उठाने के लिए प्रयत्नशील हैं और उनको धरती देने के लिए वे रक्तहीन क्रान्ति सारे देश भर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक इसके वास्ते कर रहे हैं । सन् १९४८ से सरकार का ध्यान भी उनकी ओर गया है और उन्होंने उनकी कंडिशंस के बारे में जांच पड़ताल की है लेकिन अमली तौर पर सरकार द्वारा उनको उठाने के लिये कोई सक्रिय कदम अभी तक नहीं लिया गया है । प्लानिंग कमीशन ने एग्रीकलचरल लैंडलेस लेबरर्स के बारे में जो सिफ़ारिशें की हैं वह संक्षेप में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं :

> "जहां देहाती मज़दूर की मजूरी कम हो वहां नूयूनतम मजूरी अधिनियम १९४८ लागू किया जाना चाहिये । राज्य फार्म बनाने के लिये ली गई नयी कृषिकृत भूमि, भूमिहीन मजदूरों की सहकारी समितियां को दी जानी चाहिये । निवास स्थान के लिये भूमि का आवंटन, पीने के पानी का संभरण आदि मामलों में कृषि मजदूरों पर समाज कल्याण नीति लागू की जानी चाहिये । ऋण के सम्बन्ध में भी उनके लिये उपयुक्त विधान उसी प्रकार बनाया जाना चाहिये जैसा अभी भूमि वाले कृषकों के लिये है । भूमिहीन मजदूरों पर से नियंत्रण हटाने के लिये एक विधान बनाया जाना चाहिये तथा इनको शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिये । "

मैं श्रम मंत्रालय का ध्यान ऊपर की गई सिफारिशों की ओर पुनः दिलाना चाहता हूं और अनुरोध करना चाहता हूं कि उनको कार्यान्वित करने में अधिक देरी न की जाय । लैंडलेस लेबरर्स की कंडिशन की दुबारा जांच करने की जो बात आई है, में उसका स्वागत करता हूं लेकिन मेरा निवेदन है कि यह जांच का काम अब जल्दी समाप्त किया जाना चाहिए । काफ़ी जांच पड़ताल की जा चुकी है और अब सरकार द्वारा बिना देरी किये इन ३ करोड़ ४० लाख व्यक्तियों की दयनीय आर्थिक अवस्था को सुधारने के लिए सक्रिय कदम उठाया जाना चाहिए । सरकार म्युनिसिपल कर्मचारियों तथा खेतिहर मज़दूरों की हालत सुधारने की ओर विशेष ध्यान दे ।

अब मैं सदन का ध्यान घरेलू मज़दूरों की ओर खींचना चाहता हूं । दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता आदि अन्य बड़े शहरों में काफी संख्या में घरों में हमारे कर्मचारी काम करते हैं । और मैं यह जानता हूं कि उस ओर भी हमारे उन भाइयों का ध्यान गया है जो उनमें फैले हुए असन्तोष का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और अपने राजनैतिक स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं और उन्होंने उन घरेलू कर्मचारियों के अलग संगठन बनाये हुए हैं लेकिन आप इससे इंकार नहीं कर सकते कि उन घरेलू कर्मचारियों की अपनी समस्यायें हैं और दिक्कतें हैं और वे काफ़ी समय से चली आ रही हैं और यही उनमें असन्तोष होने का कारण है और उनकी अवस्था सुधारने की ओर भी हमारे श्रम मन्त्रालय को ध्यान देना चाहिए । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारी नई दिल्ली में काफ़ी घरेलू मज़दूरों, मेहतरों की शक्ल में, बर्तन मांजने वालों की शक्ल में और अन्य रूपों में बड़े बड़े आदमियों और सरकारी अफ़सरान के घरों में काम कर रहे हैं और हमने देखा है कि सिविल या मिलेटरी अफसर बहू रानी

[श्री बालमीकी]

की घड़ी आदि की चोरी लगा कर किस तरह उस गरीब घरेलू कर्मचारी को फंसाने की कोशिश करते हैं। दूसरे देशों में हम देखत हैं कि घरेलू कर्मचारियों के वेतन और काम आदि के बारे में कानूनी व्यवस्था है और उ के अनुसार वे काम करते हैं। लेकिन हमारे देश में वैसी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इन घरेलू मजदूरों की हालत को ठीक करने के लिए उचित कानूनी व्यवस्था की जाय।

जहां तक रिक्शा चालकों या हाथ से रिक्शा खींचने वालों का ताल्लुक है उनके सम्बन्ध में पारसाल माननीय टण्डन जी ने अपने हृदय में एक बड़ा दर्द, और मानवता का प्रेम रख कर उन अभागे लोगों का यहां पर बड़ा हृदय विदारक वर्णन किया था और मैं टंडन जी के उन शब्दों की ओर अपने श्रम मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि उनको अपना इलाज कराने की सरकारी सुविधा मिले। आपने अपनी रिपोर्ट के पेज २८ पर रिक्शावालों का जिक्र किया है कि इस तरीके से उनको लाइसेंस दिये जायेंगे और इस तरह से उनको डाक्टरी परीक्षा की सुविधा दी जायगी और उस सम्बन्ध में आपका कुछ स्टेट्स गवर्नमेंट्स से बातचीत भी चल रही है। मैं चाहता हूं कि सरकार रिक्शा चालकों का हाथ से रिक्शा खींचने वालों की ओर जिनकी कि स्थिति बहुत खराब है, ध्यान दे और उनके रहने के लिए मकान बनवाए। इसके अलावा हमें इस पर भी गम्भीरता से विचार करना होगा कि जब देश में समाजवाद, समानता और मानवता का सच्चा प्रेम, इन बातों को लेकर चल रहे हैं तब एक आदमी मौज से रिक्शा पर बैठे और दूसरा आदमी उसको हाथ से खींचे, यह कहां तक उचित होगा ?

अस्पतालों में जहां हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी भी हालत बहुत शोचनीय है और मुझे चूंकि मेरी तबियत कुछ दिनों से खराब है, दवाई लेने अस्पताल जाना पड़ा है, तो मुझे वहां पर उन भाइयों ने बताया है कि हमारे अस्पतालों में काम करने का कोई टाइम नहीं है।

बहुत ज्यादा घंटे काम करना पड़ता है। यह दिल्ली का ही सवाल नहीं है। दूसरी जगह भी यह सवाल है। मजदूरों के बहुत से संगठन बन रहे है। आप उनकी दिक्कतों की ओर ध्यान दें ताकि उन लोगों को कुछ सहूलियत मिल सके। इनके संगठनों के बहुत से रुप मैं उनमें नहीं जाना चाहता। यहां पर ही नहीं, और जगह भी आई० एन० टी० यू० सी० जैसी संस्थायें हैं जो कि यकिनी तौर से शान्ती और अमन में विश्वास रक्खती है। इस तरह की यूनियन्स को भी रिकागनाईड नहीं किया जाता। यह बड़े अफसोस की बात है। मैं माननीय मंत्री जी का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उनके लिये भी कुछ कोशिश करें।

मैं मंत्री जी को अन्त में धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि जो नीति वह चला रहे हैं वह सफल हो रही है ; लेकिन मैं चाहूंगा कि मजदूरों की जो खास दिक्कतें हैं उनकी ओर वे विशेष रुप से ध्यान दें।

श्री स० म० बनर्जी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम उन मजदूरों की चर्चा यहां पर कर रहे हैं जो कि इस देश की बुनियाद के रूप में हैं।

मैं अभी अपने डिप्टी लेबर मिनिस्टर साहब की तकरीर को बड़े गौर से सुन रहा था और मुझे मालूम होता था कि वह कोई इलेक्शन की तकरीर हो रही है। उसे सुनकर मुझे अफसोस हुआ। आज हम यह आशा लेकर आये हैं कि हम कुछ ऐसी चीजें देखेंगे कि जिनसे मजदूरों और मालिकों का रिश्ता और मजदूरों और सरकार का रिश्ता अच्छे आधार पर कायम हो सकेगा। मजदूर और मालिक या मजदूर और सरकार एक ट्रेन के दो चक्कों की तरह हैं। अगर ये दोनों चक्के ठीक तरह से काम करेंगे तो हम इस ट्रेन में बैठी हुई ३६ करोड़ जनता को मंजिले मकसूद तक पहुंचा सकेंगे।

मैं अपने लेबर मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देता हूं कि इसी दिल्ली शहर में जो १५ वीं लेबर कानफरेंस हुई उसमें कुछ बुनियादी चीजों के ऊपर गौर किया गया।

जब मजदूरों की तनख्वाह का सवाल आता है तो कहा जाता है कि इस वक्त देश की आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, हमारे सामने अरबों रुपये के खर्चे का सवाल है, पंचवर्षीय योजना को कामयाब बनाना है। इस वजह से मजदूर कुर्बानी तो दे मगर वह तनख्वाह न मांगे तो अच्छा है। लेकिन एक बात मैं मानता हूं कि जो कुछ भी फैसले हुये हैं, ख्वाह (चाहे) वह वेज बोर्ड के बारे में हों, या रेशनलाइजेशन के बारे में हों या किसी और के बारे में हों, उन फैसलों में इस बात की एक झलक नजर आती है कि लेबर मिनिस्ट्री की पालिसी कुछ समझौते की तरफ है। मैं उनको इसके लिये धन्यवाद देता हूं।

यह बात सही है कि हमारे सामने पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय योजना में जरूरत इस बात की होगी कि जो लोग अक्लियत में हैं या जो अक्सरीयत में हैं वे दोनों मेहनत करें ताकि एक नये हिन्दुस्तान की इमारत बन सके। मजदूरों के नुमायन्दे आज भी यह महसूस करते हैं कि यह जो नई इमारत हम बनाना चाहते हैं इसकी चमकती हुई ईंट तो हमारे चन्द मिनिस्टर होंगे और इसकी बुनियाद की ईंट जो कभी नजर नहीं आयेगी वह मजदूर होंगे। इस इमारत को बनाने के लिये मजदूर से मेहनत करने के लिये तो कहा जाता है, उत्पादन बढ़ाने के लिये तो कहा जाता है, लेकिन जब उसकी तनख्वाह का सवाल आता है तो कहते हैं कि यह बात ठीक नहीं है। इस वक्त तो कुर्बानी का जमाना है, पंचवर्षीय योजना को कामयाब बनाना है। कामयाब हम बनायेंगे इस के बारे में मतभेद नहीं है। हर एक आदमी चाहता है कि पंचवर्षीय योजना कामयाब बने। लेकिन उसके साथ ही जो उसको कामयाब बनायेगा दिन रात जो मेहनत करेगा, उसके मासूम बच्चों की मुस्कराहट कायम रहे इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है, उसकी बीवी के तन पर भी कपड़े रहें इसकी जिम्मेदारी भी आप पर है। मुमकिन है कि आज कुछ मजदूरों की हालत अच्छी हो लेकिन उन मजदूरों की हालत, जो कि लेदर में या दूसरे ऐसे उद्योगों में काम करते हैं जहां पर कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू नहीं है, इतनी बुरी है कि अगर भगवान भी उनके घर में आना चाहें तो रोटी और कपड़ा बन कर आयें नहीं तो वह भगवान से कहेंगे कि मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ या गिरजे में जाओ।

उपाध्यक्ष महोदय : वहां जा कर भी तो वह भगवान से मिलेगा।

श्री स० म० बनर्जी : ठीक है। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कानपुर शहर में आप टेनरीज के अन्दर देखें। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षिकत करना चाहता हूं कि उन मजदूरों को आज ६ आने रोज मजदूरी मिलती है। उनकी कर्जदारी इतनी बढ़ गयी है कि उनका पहली तारीख को कारखाने से निकलना मुश्किल होता है। वे दूसरों के नाम में अपनी तनख्वाह लिखवा देते हैं। अगर उनकी यही हालत रही और उनको ६ आने रोज मजदूरी मिलती रही तो आप उनसे कैसे यह आशा कर सकते हैं कि उनका परिवार सुखी होगा, और कैसे आप आशा कर सकते हैं कि वे देश को बनाने में मदद कर सकेंगे : आज मजदूर देश को मदद करना चाहता है। वह इसके लिये तैयार है। लेकिन उसकी रोटी का सहारा, उसकी रोजी का सहारा, उस के कपड़े का सहारा, उसके बच्चों की तालीम का सहारा आपको देना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम नहीं चाहते कि हड़तालें हों। हमें उससे कुछ फायदा नहीं है। अगर आप यह समझते हों कि हम बिला वजह हड़ताल कराने के पक्ष में हैं या हम खानदानी हड़ताली हैं, यह बात नहीं है। लेकिन जब हमारे सामने रोजी का सवाल आता है तो मजबूर होकर हम हड़ताल के नारे लगाते हैं। आपने आज

[श्री स० म० बनर्जी]

अखबारों में देखा होगा कि इटेंरिम रिलीफ के बारे में क्या कहा गया है। उसके बारे में यह कहा गया कि "आयोग अन्तरिम सहायता की मांग पर विचार कर सकता है तथा उस पर प्रतिनेदन दे सकता है।"

इस इंटेरिम रिलीफ के लिये इतना झगड़ा हो चुका है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि लेबर मिनिस्ट्री भी इसके लिये कोशिश करे कि यह रिलीफ मिले। मैं कहता हूं कि मजदूरों की थोड़ी सी तनख्वाह बढ़े, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़े, और जो प्राइवेट सेक्टर में या पबलिक सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह बढ़े। अगर हम पंचवर्षीय योजना को सफल देखना चाहते हैं तो कम से कम मजदूरों को अपना काम करने के लिये पांच साल तक जीने का कुछ सहारा तो मिले। अगर इंटेरिम रिलीफ दे दिया जायेगा तो लोग दिल लगाकर काम करेंगे।

इसके बाद कंसिलियेशन मैशिनरी का सवाल आता है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ दिलाना चाहता हूं। अगर डिफेंस मिनिस्ट्री का कोई मामला मिनिस्टर साहब के पास या रीजनल लेवर कमिश्नर या कंसिलियेशन आफिसर के पास जाता है तो वह यह देखते हैं कि यह डिफेंस मिनिस्ट्री का मामला है। कानपुर में रीजनल कमिश्नर थे और मैं ने देखा कि वह समझते थे कि अन्याय हुआ है लेकिन वह डरते थे कि यह डिफेंस मिनिस्ट्री का मामला है और वहां हर तरह से विक्टिमाइजेशन हो सकता है। सीक्रेसी और सीक्योरिटी के नाम पर वहां का हर काम ठीक ही समझ लिया जाता है। सीक्योरिटी के खयाल से वे किसी को भी निकाल देते हैं। मुराद नगर फैक्टरी से इसी तरह आठ नौ आदमियों को निकाल दिया गया। हम मिनिस्टर साहब के पास जाते हैं तो वह कहते हैं कि क्या किया जाये यह तो डिफेंस मिनिस्ट्री का काम है, उस विभाग में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं इसी तरीके से यूनियन्स का हाल है। कोई भी मामला कंसिलियेशन आफिसर के पास या रीजनल लेबर कमिश्नर के पास जाता है और अगर वह डिफेंस विभाग से सम्बन्ध रखता है तो उनके सामने भी एक मजबूरी हो जाती है। डिफेंस मिनिस्ट्री की लेबर पालिसी एक है और लेबर मिनिस्ट्री की दूसरी है। जब तक जो लेबर मिनिस्ट्री की पालिसी है उसको सब जगह यूनीफार्मली एप्लाई नहीं किया जायेगा तब तक यह विक्टिमाइजेशन होता रहे। ट्रेड यूनियन राइट्स के लिये लोग लड़े हैं और अपने राइट्स की खातिर उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज उनको निकाल बाहर किया जाता है। यदि इस तरह से निकाले जाने के बाद उनका ध्यान लेबर मिनिस्ट्री की तरफ जाता है, तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है, यह स्वाभाविक सी बात है। चूंकि आपका नाम ही लेबर मिनिस्टर है इस वास्ते वे महसूस करते हैं कि आप यहां पर मज़दूरों के हितों की रक्षा करने के लिये ही बैठे हुये हैं और आपकी मिनिस्ट्री का निर्माण मज़दूरों की रक्षा करने के लिये, उनके हितों की रक्षा करने के लिये ही किया गया ह। उन लोगों को जब निकाल बाहर किया जाता है और उसके बाद अगर लेबर मिनिस्ट्री अपनी मजबूरी का इज़हार कर देती है तो इससे बढ़ कर दुःख की और क्या बात हो सकती है। इस तरह से ट्रेड यूनियन मूवमेंट (आन्दोलन) नहीं चल सकती है। आखिर आप उसको किस तरह से चलाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि उन सब केसिस (मामलों) की जांच की जाये। आपने लेबर आफिसर्स मुकर्रर किये हैं लेकिन उन पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वह किस का है? वह डिफ़ेंस मिनिस्ट्री का है। लेबर आफिसर्स मदद भी करना चाहते हैं लेकिन उनको कह दिया गया है कि तुम लेबर आफिसर हो और तुम लेबर के मामलों को ही हल करो। तुम, हम जो चिट्ठी देते हैं उसे यूनियन के पास दे दो और

यूनियन जो चिट्ठी देती है उसे हमारे पास पहुंचा दो। एक पोस्टमैन का ही काम उनका आज रह गया है। कलकत्ता यूनिवर्स्टी से उन्होंने जो डिप्लोमा सोशल वर्क का लिया और जो ट्रेनिंग हासिल की वह सारी की सारी बेकार हो गई और यहीं तक उनका काम सीमित हो गया है। लेबर मिनिस्ट्री के अन्दर रह कर और इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में अगर रह कर वे लोग काम करें, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वे लोग बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं।

अब मैं बेकारी के बारे में दो एक बातें कहना चाहता हूं। आपके मंत्रालय ने एक किताब छापी जिस में कहा गया है कि तकरीबन साढ़े सात लाख लोग ऐसे हैं जोकि बेकार हैं और जिन का नाम रजिस्टर किया गया है। लेकिन जो अनरिजिस्टर्ड बेकार हैं उनकी संख्या नहीं दी गई है क्योंकि वह गिनी नहीं जा सकती है। जो कुछ भी हो लेकिन जब बेकारी की बात की जाती है तो मैं मंत्री जी का ध्यान छंटनी की ओर, रिट्रेंचमेंट की ओर दिलाना चाहता हूं। १२ फरवरी १९५६ के दिन बड़े बड़े अखबारों में मोटी मोटी सुर्खियां छपी थीं और यह कहा गया था कि ८० लाख नौकरियां दूसरे पांच साला प्लान के अन्तर्गत लोगों को मिलेंगी। मज़दूरों में इससे एक खुशी की लहर दौड़ गई। वे लोग दौड़े दौड़े हमारे पास आये और कहने लगे कि हमें जो सरप्लस करार दे दिया गया है, अब नौकरी मिल जायेगी और जब हमने कहा कि होना तो ऐसा ही चाहिये तो उनके दिलों के अन्दर एक नई उमंग पैदा हुई और नये जज़बात उनके दिलों में करवटें लेने लगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, यह मैं आपको बतलाना चाहता हूं। १५ सितम्बर, १९५६ के दिन ६००० सुरक्षा कर्मचारियों को फैक्ट्रियों से निकाल बाहर कर दिया गया। उन लोगों की लाशें निकल रही थीं और हमारी जो लेबर मिनिस्ट्री है वह खामोशी से देख रही थी। मुझ से मजदूरों ने कहा कि आखिर यह क्या हो रहा है। यहां पर तो ८० लाख नये लोगों को रोज़गार देने की बात की जा रही है लेकिन हमको निकाल बाहर कर दिया गया है। क्या कारण है कि आप इन बस्ते हुये घरों को इस तरह से उजाड़ रहे हैं। दूसरे लोग तो एक्सचेंजिज़ का चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पाती है और इन लोगों को जो कि रोज़गार पर लगे हुये हैं क्यों निकाला जाता है। शायद यह होमियोपैथिक की दवाई है जिस में कि पहले बीमारी को बढ़ाया जाता है और बाद में घटाया जाता है। क्या इन के साथ भी इसी तरह से किया जायेगा? क्या इनको भी पहले बेकार किया जायेगा और बेकारों की संख्या बढ़ाई जायेगी और बाद में घटाई जायेगी? रिट्रेंचमेंट नोटिसिस के बाद जो हुआ देट वाज़ ए सैड कमेंट्री आन दी सैकिंड फाइव यीर प्लान (वह द्वितीय योजना की बड़ी दर्दनाक कहानी है)। इस के बाद लेबर मिनिस्ट्री ने कोशिश की और एप्पलायमेंट एक्सचेंजिस की मार्फत तकरीबन तीन हज़ार आदिमियों को नौकरियां दिलाईं। लेकिन वे भी क्या करें। मैं तो कहता हूं कि उनका नाम ही बदल दिया जाना चाहिये और अगर ऐसा किया गया तो बेहतर होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि और कुछ एम्पलायमेंट एक्सचेंजिज खोली जायेंगी और यह कहा जाता है कि उनमें बड़ी गड़बड़ी है और उनमें जो लोग काम करते हैं वे ठीक काम नहीं करते हैं। लेकिन मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर नौकरियां ही नहीं हैं।

[श्री पट्टाभिरामन पीठासीन हुए]

'देन वट इज़ टू बी एक्सचेंज्ड' तब बदले में आप उन्हें क्या देंगे। वहां पर क्या होता है। एक आदमी जो अपना नाम रजिस्टर करवा लेता है उसको कई कई चक्कर एक्सचेंज के काटने पड़ते हैं हर एक महीने के बाद उसे अपना कार्ड रिन्यू करवाना पड़ता है। रोज़ कार्ड बदलते रहते हैं।

[श्री स० म० बनर्जी]

एक कार्ड की मियाद अगर आप छः महीने कर दें तो अच्छा रहेगा और लोगों को रोज़ रोज़ वहां पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

लेबर प्राब्लैम को तथा बेकारी की समस्या को साल्व करने के बारे में जो आंकड़े दिये गये हैं वे हमारे सामने हैं । मैं लेबर मिनिस्ट्र साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वह देखें कि उनकी मिनिस्ट्री अच्छी तरह से फंकशन करती है या नहीं । आज मोविलिटी आफ लेबर है लेकिन कोआर्डिनेशन नहीं है । एम्प्लायमेंट एक्सचेंजिस का तथा यूनियंस और फ़ैड्रेशंस का आपस में कोआर्डिनशन रहना चाहिये ताकि बेकार लोगों को और रिट्रेंचड्ड लेबरर्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके । ऐसा होने से मैं यह नहीं कहता कि अनएम्पलायमेंट पूरी तरह से साल्व हो जायेगी लेकिन टू सम एक्सटेंट वह अवश्य साल्व हो जायेगी । अगर कोआर्डिनेशन हो तो कुछ न कुछ हद तक इस मसले को अवश्य हल किया जा सकता है ।

अब मैं पीस वर्क सिस्टम (फुटकर काम पद्धति) के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं । मैं इसके खिलाफ नहीं हूं । लेकिन मैं एक चीज़ अवश्य कहना चाहता हूं । यह मैं मानता हूं कि इस से लोग और अधिक काम करने का इसेंटिव अपने अन्दर पैदा करते हैं और इससे अधिक उत्पादन होता है, अधिक प्रोडक्सशन होता है । लेकिन हमारे देश में आज समाजवाद का नाम तो जरूर लिया जा रहा है लेकिन समाजवादी व्यवस्था नहीं है । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इससे मज़दूरों की सेहत (स्वास्थ्य) तबाह होती जा रही है, उनकी सेहत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है । मैं इस सिस्टम को खत्म करना नहीं चाहता । लेकिन मैं चाहता हूं कि वैटर कंडिशंज़ आफ वर्क हों और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इट विल बी ए सिस्टम आफ एक्सप्लायटेशन । आप आज टाइम एंड मोशन स्टडी की व्यवस्था करते हैं । एक स्टाप वाच लेकर आप एब्रेज निकाल लेते हैं । जब तक टाइम एंड मोशन स्टडी का जो सिस्टम है वह परफैक्ट नहीं होता ; जब तक वर्किंग कंडिशंस अच्छी नहीं होती, जब तक एनवायरनमेंट्स अच्छे नहीं होते तक तब वर्कर्स के लिये यह सिस्टम लाभदायक नहीं हो सकता है । वे लोग समझते हैं कि यही एक तरीका है जिस से कि उनको ज्यादा पैसा मिल सकता है और लालच में आकर वे अपनी आंखों की रोशनी को खो देते हैं, अपनी सेहत को तबाह कर लेते हैं और तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं । मैं इस सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सब चीजें वर्कर्स को मुहैया होनी चाहियें और इस सब के साथ साथ मिनिमम वैजिस की गारंटी भी होनी चाहियें ।

आपने जो वेज बोर्ड बनायें हैं और दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिये जो वेज बोर्ड बनाने की जरूरत है, उस पर मैं अब आता हूं । मैं मिनिस्टर महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह मेहरबानी करके प्लांटेशंस के लिये, ट्रांस्पोर्ट वर्कर्स के लिये तथा दूसरे बड़े बड़े कारखानों के लिये तथा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिये वेज बोर्डस का निर्माण करें ।

यहां हैल्थ रिज़ार्टस की बात भी की गई है । आपने रेलवे वर्कर्स के लिये हैल्थ रिज़ार्टस अवश्य बना दिये हैं । आपने टी० बी० के मरीज़ों के बारे में कहा है कि उनके लिये ज्यादा वैडस की व्यवस्था की जा रही है । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि काफी मज़दूर टी० बी० के शिकार हैं । आपने सैंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्पलायीज़ हैं उनके लिये इलाज करवाने के लिये १८ महीने की छट्टी देने की व्यवस्था कर रखी है । लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नियमों के अनुसार उनको छट्टी तो दे दी जाती है लेकिन उनको वेजिस जो इस दौरान में दी जाती हैं वे १-४ भी नहीं दी जाती हैं । इसका नतीजा यह होता है कि उनको भीख मांग कर और बड़ी

मुश्किल के साथ अपना गुज़ारा करना पड़ता है। इससे इतना फायदा तो अवश्य होता है कि उनका नाम नहीं कट जाता है और वे फैक्ट्री में दुबारा आ जाते हैं लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमारे देश के जो नौनिहाल वर्कर टी० बी० से मुबतिला हैं और अच्छा करम करने वाले हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं, उनको कम से कम हाफ पे पर लीव तो कम से कम दीजिये।

आपने मज़दूरों के लिये, सैंट्रल गवर्नमेंट एम्पलायीज के लिये पे कमिशन अवश्य बिठाया है। उसको यह अधिकार भी दिया गया है कि वह जिस किसी की भी चाहे एडवाइस ले सकता है। मैं चाहता हूं कि उसमें मज़दूरों की भी नुमाइंदगी होनी चाहिये और उनकी एडवाइस भी ली जानी चाहिये ताकि जो भी रिपोर्ट वह सबमिट करें, उसमें युनैनिमिटी हो और उससे मज़दूरों को तसल्ली हो सके।

अब मैं बोनस के सवाल पर आता हूं। इसके बारे में डांगे साहब ने तथा दूसरे भाइयों ने काफी विस्तार के साथ कहा है। क्या वजह है कि बोनस के मामले को लेकर मज़दूर आज लिटिगेशन की तरफ जा रहे हैं, कौलैक्टिव वारगेनिंग की स्पिरिट उनमें खत्म होती जा रही है, हाई कोर्ट की तरफ वे देख रहे हैं? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कानपुर शहर में बोनस के सावल को लेकर लाल इमली के वर्कर्स ने तीन साल तक कोशिश की। ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन के ज़माने से जब से यह कम्पनी वहां है इसने करोड़ों रुपये तथा अरबों रुपया विदेशों को भेजा है। लेकिन बोनस के सवाल को हल नहीं किया है। जब भी यह सवाल उठाया जाता है तो कह दिया जाता है कि नुक्सान हो रहा है। वहां हमारे एक मज़दूर ने सात मार्च को अपनी जान तक दे डाली है और यह कह कर जान दे डाली है कि शायद मेरे मरने के बाद मेरी लाश को देखकर ही बोनस का मामला हल हो जायेगा। मैं इसको स्पोर्ट नहीं करता लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों बोनस उनको आटोमैटिकली नहीं दे दिया जाता है और उस सूरत में भी क्यों नहीं दिया जाता है कि जबकि कम्पनी को मुनाफा हो रहा होता है। क्यों लोगों को हल्ला मचाने के लिये लिये मजबूर किया जाता है, क्यों उनको गड़बड़ी करने के लिये मजबूर किया जाता है। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि बोनस का मामला भी संतोषजनक रूप से हल होना चाहिये।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उन पर मंत्री महोदय ध्यान से विचार करें और उनको अम्ल में लाने का प्रयत्न करें। अगर आपने ऐसा किया और आपकी मज़दूरों के प्रति नीति सही रही तो मज़दूरों का कोओप्रेशन आपको अवश्य मिलेगा और वे देश के निर्माण में सहायक होंगे। आप चमकती हुई ईंट हैं और हम उसकी बुनियाद की ईंट हैं, इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती लक्ष्मीबाई (विकाराबाद): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

मैं माननीय मंत्री जी तथा उनके सहयोगियों को भी धन्यवाद देना चाहती हूं उस अच्छे काम के लिये जो उन्होंने किया है।

मैं जो कुछ बातें यहां पर लेबर के बारे में कहीं गई हैं और जिनको बार बार दोहराया गया है, उनको सुन सुन कर तंग आ गई हूं। मैं समझती हूं कि हमारे लेबर मिनिस्टर साहब भी उसी पर ज्यादा ध्यान देते हैं जहां पर ज्यादा पुकार होती है, जहां से ज्यादा शोरगुल उठता है और जो लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, उनकी ओर हमारा उनका ध्यान नहीं जाता है। उन लोगों की ओर जिन की तादाद करोड़ों में है, हमारे मंत्री महोदय का ध्यान नहीं जाता है। अम्बर चर्खे भी आप शहरों में

[श्रीमती लक्ष्मीबाई]

देते हैं और देहातियों की और महिलाओं की ओर आपका ध्यान नहीं जाता है। वहां पर लोगों के पास करने को कोई काम नहीं है। हमारे जो लेबर के डिप्टी वज़ीर हैं वे शुरू से ही लेबर के साथ बहुत प्यार करते आये हैं और उसको एक छोटा बच्चा समझते हैं। लेबरर्स उनको कहते हैं जो मज़दूरी पेशा करते हैं, तमाम दुनिया लेबर नहीं होती। हर कोई लेबर लेबर चिल्लाता है लेकिन हम देखते हैं कि यह तबका जो कि ८०, ९० फ़ीसदी है उसकी ओर ध्यान नहीं जाता और उसके साथ नाइंसाफ़ी बर्ती जाती है और शहरों में बसने वाले १०, १५ फ़ीसदी तबके की ओर ध्यान किया जाता है। मैं समझती हूं कि आज आपके दिलों में उस अभागे ८० और ९० फ़ीसदी तबके के लिये हमदर्दी है लेकिन मुझे अफ़सोस के साथ यह चीज़ कहनी पड़ती है कि उस पर जो अमल होना चाहिये और जिस ढंग से काम होना चाहिये वह नहीं होता है। आपकी प्लानिंग कमेटी करोड़ों रुपये के प्लांस बनाती है लेकिन वे ग़लत ढंग से बनाये जाते हैं और वे प्राजेक्ट्स ऊपर से बनते हैं। यह सारे प्लांस और प्राजेक्ट्स जो बनते हैं सब शहरों में बनते हैं लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि ८० और ९० फ़ीसदी ग़रीब खेतिहर मज़दूर जो कि गावों में बसते हैं और जिनकी हालत बड़ी दर्दनाक है उसके वास्ते क्या हो रहा है? यह जो बंगले और सड़कें बनी हैं यह किस के वास्ते बनी हैं? केवल १०, १५ फ़ीसदी लोगों का खयाल न करके आपको ८० और ९० फ़ीसदी लोगों के लिये काम करना चाहिये। आप पंखे में बैठिये और बंगले में शान से रहिये, मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं और न ही मैं आपके राइट्स में दखल देने वाली हूं। मगर मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकती कि गांवों के मज़दूरों की ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिये था उतना ध्यान नहीं दिया गया है और आज उनकी हालत बड़ी दयनीय और शोचनीय है। यह सारे प्लांस आखिर आपने किन के वास्ते बनाये हैं, ? मेरी समझ में आपकी प्लानिंग बहुत डिफ़ेक्टिव है। मैं आपसे अदब से कहना चाहती हूं कि मैं चित्रकार हूं इसलिये मैं अच्छी तस्वीर बना लेती हूं और उस नाते मेरा कहना है कि आपका प्लान बड़ा खराब है। ९० परसेंट आदमी का जिस्म होता है और १०, १५ परसेंट के करीब आदमी के कान वगैरह होते हैं और आप समझ सकते हैं कि [redacted]ी का मुख कम होता चला जाये और कान बढ़ते चले जायें और आदमी के कान हाथी के कान हो जायें तो वह कैसा बेढंगा और कुरूप दीखेगा। ठीक वही दशा हमारे प्लान की है।

अभी हमारे एक भाई बोले और उन्होंने बतलाया कि ४ लाख लोगों को मज़दूरी नहीं मिलती लेकिन मैं उनको और हाउस को बतलाना चाहूंगी कि ४ लाख नहीं ६ करोड़ लोगों को काम देने का सवाल है। ६ करोड़ लोग हमारे जंगलों में और गांवों में केवल ५ महीने काम करते हैं, फसल के समय पर उनको काम करने को मिल जाता है और बाक़ी साल के ६, ७ महीने वे बेकार बैठे रहते हैं। यह आपका अम्बर चर्खा वगैरह शहरों में या ज़िलों में होता है लेकिन गांवों में क्या होता है। अभी गांव के मेरे एक भाई बोले थे कि यह बापू जी का प्लान है, मैं उनके इस मत से सहमत नहीं हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर बापू जी का प्लान होता तो यह बड़ा सुन्दर होता। बापू जी का प्लान गांवों से आना चाहिये था और मुझे आपकी प्लान की सीढ़ी उलटी दिखाई देती है जो कि ऊपर से नीचे जा रही है, जब कि उसको नीचे से ऊपर जाना चाहिये था। प्रजा राज्य में प्रजा की बात की ताकत होती है।

अभाग्यवश मुझे सदा आखिर में बोलने का समय मिलता है और मेरे पास समय भी खत्म हो चला है और मेरी समझ में नहीं आता कि क्या बोलूं और क्या छोड़ दूं, बोलने को तो मेरे पास बहुत सामग्री है। मैं सरकार का ध्यान और मंत्री महोदय का ध्यान अपने [redacted] और आंध्र के चर्खा चला कर कपड़ा बनाने वाले लोगों की तरफ दिलाना चाहती हूं क्योंकि हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि चर्खा चला कर और सूत कात कर इन जुलाहों ने लंकाशायर को गड़बड़ा

दिया था और आज उन करोड़ों लोगों की हालत बड़ी खराब है और सरकार को उनकी आर्थिक अवस्था उन्नत करने के लिये सक्रिय क़दम उठाना चाहिये । उनके वास्ते बोनस का इंतजाम कीजिये और अन्य सुविधायें उनको सुलभ कीजिये । आज मैं यह कहने पर विवश हूं कि आप दोनों आंखों से नहीं देख रहे हैं, आप अपनी एक आंख बन्द किये हुये हैं । अब समय आ गया है जब आप दोनों आंखें खोल कर देखें ।

श्री विनोवा भावे के साथ मैं पैदल यात्रा में घूमी हूं और मैं ने स्वयं अपनी आंखों से उनकी दर्दनाक हालत को देखा है । मैं उनकी हालत को देखकर रोती थी और विनोवा जी से कहती थी कि बाबू जी देखिये क्या हो रहा है, उनके घर जल रहे हैं तो विनोबा जी कहते थे कि घर जलने दो अभी और होना चाहिये, अभी और बढ़ना चाहिये और यदि यह सिलसिला न रुका, तो विप्लव होगा और बाद में यह सब खत्म हो जायेगा । तब लोग शांति के पुजारी बनेंगे । स्ट्राइक होने से ही हम लोगों की तन्द्रा टूटेगी और हम सुधरेंगे । लेकिन मैं सरकार को चेतावनी देना चाहती हूं कि बिना बिलम्ब किये वह अब भी जागरूकता से काम ले और स्थिति को सम्हाल ले ।

हमारे खेतिहर मजदूरों को साल में केवल ६ महीने फ़सल के ऊपर काम मिलता है बाकी दिन बिना काम के रहते हैं । गांवों में अप्रैल, मई और जून के महीनों में पीने का पानी नहीं मिलता, खाने को उनको गिज़ा नहीं मिलती और जब आदमी को काम नहीं होता तो उसका दिमाग़ खो जाता है और दिमाग़ खो जाने से वह बेवकूफ बना इधर से उधर बेकार मारा फिरता है । बेकारी से आदमी बुरी चीज करने को लाचार हो जाते हैं । करोड़ों आदमी हमारे देश में ऐसे हैं जिनका दिमाग़ फिर सा गया है और जो कि भुखमरी और बेकारी से पीड़ित हैं । सरकार को शहरों से अब ध्यान थोड़े सा हटकर गांवों की ओर करना चाहिये और वहां पर नये-नये कुटीर उद्योग धंधे स्थापित करें जहां कि इन लोगों को काम दिया जा सके ताकि वे अपना और अपने बाल-बच्चों का भरण पोषण कर सकें । उनके वास्ते गांवों में पानी पहुंचाने की भी आवश्यक व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये । श्रम मंत्रालय की बागडोर सौभाग्य से हमारे मंदा साहब के हाथ में है और उनको तो हर बात मालूम है, साथ ही उनके डिप्टी मिनिस्टर भी बहुत चतुर हैं और उनकी लेबर में बहुत दिलचस्पी है और उन्होंने लेबरर्स के लिये काम भी किया है और मैं चाहूंगी कि वे लैंड रिफ़ार्म्स लायें और हमारे खेतिहर मज़दूरों की हालत को बेहतर बनायें ।

आपने चिल्ड्रेंस ऐक्ट पास किया है लेकिन मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि उस पर ठीक से अमल नहीं हो रहा है । ८, ८ साल के बच्चे रिक्शा चलाते हैं और पुलिस वाले चुपचाप खड़े देखते रहते हैं, जब मैं उनको पकड़ कर देती भी हूं तब भी कोई नहीं सुनता ।

एजुकेशन सेंटर्स जैसा कि मेरे एक भाई ने जिक्र किया खुलने चाहियें और मैं उनके खुलने का स्वागत करती हूं और यह बड़ी खुशी की बात है । लेकिन आपको यह देखना चाहिये कि आप उन एजुकेशन सेंटर्स में किस को एजुकेट कर रहे हैं, लीडर्स को एजुकेट करने की ज़रूरत नहीं है, वहां पर आप वर्कर्स को एजुकेट कीजिये । आपको उनके लिये स्कालरशिप्स् की उचित व्यवस्था करनी चाहिये और ऐसा नहीं होना चाहिये कि जब एजिटेशन होता है तब ही आप उनको स्कालरशिप्स् का पैसा देते हैं, इस तरह की झगड़ेबाज़ी की नौबत आपको नहीं आने देनी चाहिये ।

[श्रीमती लक्ष्मीबाई]

एजुकेशन कमेटी के नियम के अनुसार जो व्यक्ति ट्रेनिंग हासिल करता है उसको ५ साल मसलसल (लगातार) लेबर में काम करना लाज़िम है नहीं तो उसको वह पैसा वापिस करना पड़ता है, मेरी राय में इस तरह की पाबन्दी ठीक है ।

मैं मानती हूं कि हमारे लेबर लीडर्स बहुत अच्छे हैं और वे मज़दूरों का हित सोचते हैं और उनकी उन्नति के लिये दिक्कत और परेशानी उठाते हैं और आज उनकी कोशिशों के फलस्वरूप हमारे मज़दूरों की हालत पहले की अपेक्षा बेहतर है और हमें उन पर गर्व है लेकिन मैं यहां पर यह ज़रूर कहना चाहूंगी कि यह लेबर लीडरशिप विशुद्ध लेबर लीडरशिप रहनी चाहिये और यह किसी की पोलिटिकल लीडरशिप नहीं होनी चाहिये, राजनैतिक स्वार्थ साधन इसकी आड़ में नहीं होना चाहिये और लेबर लीडर्स भारत सेवक समाज और सर्वोदय समाज के कार्यकर्त्ताओं के समान होने चाहियें । जिस तरह से आपने इसेंशियल सर्विसेज़ के लिये कानून बनाया था उसी तरह से आप इसके लिये भी कानून बना दीजिये कि कोई पोलीटिकल मैन लेबर लीडर न हो सके । लेबर लीडरशिप सर्वोदय वालों को दी जाये । अगर ऐसा होगा तो शान्ति और संतोष से काम होता रहेगा । मैं चाहती हूं कि दस या बीस साल तक लेबर की लीडरशिप किसी पोलीटिकल आदमी को न मिलने दी जाये । अगर ऐसा होगा तो गांव वालों का भी बहुत भला होगा और आप उनकी मदद कर सकेंगे । लोगों के दिल में इस विषय में जो विचार हों उनको यहां खुले रूप में कहना चाहिये । मैं समझती हूं कि अगर मेरा सुझाव लेबर के बारे में माना जायेगा तो आपका प्लान का काम बहुत सुन्दर रूप से पूरा हो जायेगा ।

श्री र० चं० व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति जी, आज दिन भर मजदूर समस्या पर चर्चा हुई है । आई० एन० टी० यू० सी० और ए० आई० टी० यू० सी० दोनों पक्षों ने अपने अपने विचार सदन के सामने रखे ।

श्री नाथ पाई : हिन्द मजदूर सभा वालों ने भी अपने विचार रखे ।

श्री र० चं० व्यास : हां हिन्द मजदूर सभा वालों ने भी अपने विचार रखे । पिछले दस सालों में हमारी भारत सरकार की श्रम नीति के फलस्वरूप हमारे मजदूरों की कुछ समस्यायें सुलझी हैं । कई उलझनें दूर हुई हैं और मजदूर संगठन आगे बढ़ा है । उसने अपनी समस्याओं को हल किया है । ट्राइब्युनल्स में भी मामले गये, लेकिन अपीलैट ट्राइब्युनल्स की जो नीति थी वह फेल हुई और उसके फैसलों में बहुत देर होने के कारण आई० एन० टी० यू० सी० ने उसके विरुद्ध अपनी आवाज़ उठायी । अपीलैट ट्राइब्युनल एबालिश हुआ । लेकिन ट्राइब्युनल्स के फैसले करने के तरीके में और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट में जो सुधार हुये हैं और जो संशोधन हुये हैं वे अभी तक सारे राज्यों में चालू नहीं हुये हैं । सारे देश में उसके अनुसार श्रमनीति अभी नहीं चल रही है ।

आज जो हमारे माननीय श्रम मंत्री हैं वे मजदूरों के माने हुये नेता है । गांधी जी की नीति के अनुसार देश के श्रम आन्दोलन को उन्होंने एक नई दिशा दी है, एक नया जीवन दिया है । लेकिन उनका इतना अनुभव होते हुये भी आज राज्य सरकारों की और केन्द्रीय सरकार की श्रम नीति एक रूप नहीं हो पायी है । इस कारण मजदूरों की समस्यायें उलझी हुई हैं. उनके हल होने में बहुत देर लगती है और देर लगने के कारण उनका विक्टिमाजेशन होता है । मालिकों के रुख में मजदूरों के प्रति अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और मैं तो अदब से कहना चाहता हूं कि यही हाल सरकारी उद्योगों में भी है । जो दमन की नीति उद्योगपति अपनाते हैं

वही सरकारी अधिकारी अपनाते हैं। जो नीति आपने निर्धारित की है उसके अनुसार मजदूर को जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिल रहा है।

श्रमजीवी पत्रकारों के लिये आपने एक वेतन बोर्ड बनाया और उसने अपनी सिफारिशें भी कीं। आज देश में जो बड़े बड़े पत्र हैं वे राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के विज्ञापनों के आधार पर चल रहे हैं। इसके बावजूद एक भी ऐसा पत्र का मालिक नहीं है जिसने उस बोर्ड की सिफारिशों को अपने यहां लागू किया हो। तो मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि अगर हमारी नीति पर अमल ही नहीं होगा तो आखिर काम कैसे होगा।

दूसरी पंचवर्षीय योजना हमको पूरी करनी है। इस योजना को आप मजदूर की सहायता से पूरा करने की आशा करते हैं लेकिन मजदूर के लिये उपयुक्त मानस नहीं बन पा रहा है, कारण कि जो आज हमारी नीति है वह कार्यान्वित नहीं हो पा रही है।

मैं राजस्थान से आता हूं। राजस्थान में अभ्रक की खानें हैं और अभ्रक की फैक्टरियां भी हैं। केन्द्रीय सरकार का मजदूर विभाग ही उसकी देखरेख करता है। मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि सरकारी मैशिनरी की ढिलाई कहिये या कुछ गड़बड़ नीति के कारण वहां के लिये हाईकोर्ट ने मिनिमम वेजेज़ ऐक्ट को गैर-कानूनी घोषित कर दिया है वहां पर वह ऐक्ट लागू नहीं है।

पहले रीजनल लेबर कमिश्नर का आफिस अजमेर में था। अब उसे नागपुर भेज दिया गया है और राजस्थान का संबंध उससे रखा है। अब आप देखें कि राजस्थान कहां और नागपुर कहां।

कई मालिक ऐसे हैं जो चार चार महीने तक मजदूरों की कमाई हुई मजदूरी नहीं देते हैं, बोनस की बात तो गयी, वेतन वृद्धि की बात तो गई। आज दस हजार के करीब मजदूर वहां इसी कारण पिस रहे हैं।

तो मैं माननीय श्रम मंत्री जी से अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि आपने प्रेरणा दी है मजदूरों में काम करने की। मैं भी आपकी प्रेरणा से ही मजदूरों में काम कर रहा हूं, लेकिन अगर यही हालत रही और इस हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो देश की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसके पूरे होने में मुझे कुछ भय लगता है।

आज जो हमारे दूसरे मजदूर संगठन हैं, जैसे ए० आ टी० यू० सी० ई० या हिन्द मजदूर सभा है, उनका उद्देश्य, मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं, मजदूर हित नहीं है? उनमें राजनीतिक हित निहित है और राजनीतिक हित को लेकर के ही वे मजदूरों में जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं और जैसा रामसिंह भाई ने कहा, कई मजदूरों को बेकार कर देते हैं। उनकी इस तोड़ फोड़ नीति के कारण आज बहुत से मजदूर बेकार हुये हैं। आज आई० एन० टी० यू० सी० देश का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है जिसको आई० एल० ओ० में भी मान्यता मिली हुई है। इसके बावजूद भी चूंकि हमारे नेता श्रम मंत्री हैं इसलिये हमको ठीक न्याय नहीं मिलता। ठीक प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। हमारे विरोधी पक्ष के जो भाई हैं वे आई० एन० टी० यू० सी० के बारे में नाना प्रकार की बातें कहते हैं और कहते हैं कि वह तो हिंसा पर उतर आती है। मैं उनके बारे में जोकि आई० एन० टी० यू० सी० के खिलाफ हैं यह कहना चाहता हूं कि वे आतंक जमाकर के कार्य करना अधिक पसन्द करते हैं और वरकर को मारना भी उनकी दृष्टि में एक मामूली काम है। उनके लिये ये सब क्षम्य है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम हिंसा पर नहीं उतरते हैं। यही वजह है कि हम पिछड़े हुये रहते हैं।

[श्री र० च० व्यास]

मैं बड़े अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि जैसा कि कई मुझ से पूर्व बोलने वाले वक्ताओं ने कहा हमारी केन्द्रीय सरकार की जो श्रम नीति है उसमें एकीकरण आना चाहिये और आपकी श्रम नीति का पालन सब राज्य सरकारों को करना चाहियें। यदि ऐसा हुआ तो हम जितनी भी समस्यायें हमारे सामने उठ खड़ी होती हैं, उनका सामना कर सकेंगे और उनको सफलता के साथ हल कर सकेंगे ।

मैं यह कहे वगैर नहीं रह सकता हूं कि आपकी जो श्रम नीति रही है उसी की वजह से आप मजदूरों को आगे ले जा सके हैं, उनमें हिम्मत का संचार कर सके हैं तथा समस्याओं को सफलता-पूर्वक हल कर सके हैं। लेकिन जो कमियां हैं उनको भी दूर करना आपका कर्त्तव्य है, इतना ही मैं कहना चाहता हूं ।

श्रीमती सहोदरा बाई (सागर--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, आज यह मेरे लिये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिये में आपको धन्यवाद देती हूं ।

मिलों और फैक्ट्रियों इत्यादि में काम करने वाले मजदूरों के लिये और अधिक सुविधाओं की व्यवस्था किये जाने की तथा उनकी मजदूरी निश्चित किये जाने की हर तरफ से मांग की गई है। लेकिन हमारे देहातों में जो खेती पर काम करने वाले मजदूर हैं, जो काश्तकारों के साथ काम करने वाले खतिहर मजदूर हैं, उनको उचित वेतन दिये जाने की मांग किसी ने नहीं की है। उनके बारे में किसी ने कुछ क्यों नहीं कहा है, यह मैं नहीं जानती। लेकिन मिलों और फैक्ट्रियों में काम करने वालों की जो पुकार होती है उसको तो सुन लिया जाता है लेकिन हम लोगों की पुकार को कोई नहीं सुनता है। इस वास्ते मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि खेती में काम करने वाले मजदूरों के लिये ऐसा कदम उठाया जाये कि उनको जो मजदूरी दी जाती है उसकी भी दर निश्चित की जा सके। आज इन लोगों को ठीक से मजदूरी नही मिलती है। जब उनको कम मजदूरी मिलती है तो उनको शहरों की ओर भागना पड़ता है जिस का नतीजा यह होता है कि खेती धरी की धरी रह जाती है और उस पर काम करने के लिये मजदूर नहीं मिलते हैं। इससे जो किसान लोग हैं वे बहुत परेशान हो जाते हैं। और जब हम वहां पर जाते हैं तो हमसे इसकी शिकायत करते हैं और कहते हैं कि हम क्या करें हमें मजदूर नहीं मिलते हैं और हमारा काम नहीं होता है । सरकार से तथा मंत्री महोदय से मेरी यह प्रार्थना है कि ऐसा कानून बनाया जाये कि खेती का काम करने वाले को, काश्तकारों के साथ जो मजदूर काम करते हैं, उनको उचित मजदूरी दी जा सके और उनकी मजदूरी की दर निश्चित कर दी जानी चाहिये । इन मजदूरों को जो मजदूरी शहरों में मिलती है, उतनी मजदूरी देहातों में नहीं मिल सकती है । क्यों काश्तकार लोग उनको इतनी मजदूरी नहीं दे सकते हैं, इसकी वजह यह है कि उनकी इतनी आमदनी नहीं होती है कि वे दो रुपया रोजाना या तीन रुपया रोजाना मजदूरी दे सकें। वे इतनी अधिक मजदूरी नहीं दे सकते हैं। इस वास्ते मैं प्रार्थना करती हूं कि खेती में किसानों के साथ काम करने वाले मजदूरों के लिये सवा रुपया और महिलाओं के लिये एक रुपया रोजाना मजदूरी की दर निश्चित कर दी जाये जिससे कि काश्तकारों का भी काम चल सके और ये लोग भी भाग कर शहरों में काम की तालाश में न दौड़ें।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

देहातों में काम की एक और विशेषता है। यह जो काश्तकारी का काम है यह सारा साल नहीं चलता है। वहां पर कोई उद्योग धंधे भी नहीं हैं। इसका नतीजा यह होता है कि मजदूर लोग बेकार पड़े रहते हैं। इस वास्ते देहातों में छोटे छोटे धंधे जैसे अम्बर चर्खा है, खोले जाने चाहियें ।

जिस तरह से अम्बर चर्खे को शहरों में चलाया जा रहा है उसी तरह से इसे देहातों में भी ले जाया जा सकता है और वहां पर लोगों को काम दिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ उनको छोटे छोटे दूसरे काम खादी के करने के लिये भी दिये जा सकते हैं; यदि वहां खादी का उद्योग चले या दूसरे छोटे छोटे धंधे चलें तो वे वहां पर जम कर बैठे रहने के लिये प्रोत्साहित होंगे और शहरों की तरफ नहीं दौड़ेंगे। जब उनको छः महीने कोई काम नहीं मिलता है तो वे शहरों की तरफ आ जाते हैं। जब भी हम किसी क्षेत्र में जाते हैं तो लोग हमें गालियां देते हैं और कहते हैं कि यह कैसा राज्य हुआ है कि मजदूर भी हमें नहीं मिते हैं। इस वास्ते मैं हाथ जोड़ कर आपसे प्रार्थना करती हूं कि देहातों में ज्यादा लोग बसते हैं और उस ओर आपका ज्यादा ध्यान जाना चाहिये। देहातों में भी ज्यादातर लोग काश्तकारी करते हैं और काश्तकारी करने में उनको मजदूरों का सहयोग प्राप्त करना पड़ता है। उन मजदूरों के लिये मैं चाहती हूं कि आप उचित वेतन निर्धारित कर दें, जिससे कि वे वहीं पर काम कर सकें और शहरों की ओर न भागें।

यह मेरा पहला मौका बोलने का है और मैं इस वक्त और अधिक नहीं कहना चाहती हूं।

†**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर इस सभा में चर्चा के समय बहुत सी बातें कहीं गई उनमें से कुछ सामान्य बातें थीं। और कुछ स्थानीय मामलों अथवा किसी विषय विशेष के संबंध में थी। समय की कमी के कारण मैं केवल सामान्य बातों के संबंध में ही कुछ कहूंगा। अन्य बातों के संबंध में मैं फिर कभी माननीय सदस्यों की बातों का उत्तर दूंगा। मेरे साथी उपमंत्री भी काफ़ी पर्याप्त बातें आपको बता चुके हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, २३ अगस्त, १९५७ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, २२ अगस्त, १९५७]

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ४१५७–८५

तारांकित
प्रश्न संख्या — विषय

१०४३ हैदराबाद सरकिल में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारी . . ४१५७–५८
१०४४ पौधा निरोधा केन्द्र . . . ४१५८
१०४५ दक्षिण रेलवे में फायरमैन का मील भत्ता . ४१५९–६०
१०४६ रोगव्यापिकीय अध्ययन . . ४१६०–६१
१०४८ पंजाब में नई रेलवे लाइनें . ४१६१
१०५० दिल्ली डेरी विकास योजना . ४१३१–६२
१०५१ भेड़ पालन केन्द्र . . ४१६२–६३
१०५२ स्वाचालित ध्वनि अभिलेखन यंत्र . ४१६३–६४
१०५४ अंतर्देशीय जल परिवहन ४१६४-६६
१०५६ बम्बई में सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड . ४१६६–६९
१०५७ साबरमती रेलवे स्टेशन पर माल का रोका जाना . ४१६९–७०
१०६० कृष्णा नदी पर सड़क का पुल ४१७१–७२
१०६१ मैसूर में सामुदायिक परियोजनायें ४१७२–७४
१०६३ विजयपुर-रांसीपुर रेलवे लाईन ४१७४–७५
१०६५ द्वितीय जहाज निर्माण कारखाने के सम्बन्ध में अन्तर्मंत्रालय समिति . ४१७५–७६
१०६६ अखिल भारतीय गाड़ी परीक्षक कल्याण समिति . ४१७६–७९
१०६८ आन्ध्र में केन्द्रीय चावल गोदाम . ४१७९–८१
१०६९ उपहार कूपन योजना ४१८१
१०७० इन्दौर उज्जैन रेल लाइन . . . ४१८१–८२

अल्प सूचना
प्रश्न संख्या

१७ छपरा-वाराणसी लाइन पर रेल गाड़ियों का आना जान बन्द करना ४१८२–८३
१८ दिल्ली में जल संभरण में कमी . . ४१८३–८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर ४१८७–४२११

तारांकित
प्रश्न संख्या

१०४७ गन्ने के कीड़े ४१८७
१०४९ बहानी क्रेनों का क्रय ४१८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१०५३	कच्चे आमों को गैस के धूमन से पकाना	४१८७–८८
१०५५	रायलसीमा में डाकघर	४१८८
१०५८	खेती का जापानी ढंग	४१८८
१०५९	बरवादीह और सरनादीह रेल सम्पर्क	४१८९
१०६२	ओंगल बैल	४१८९
१०६४	विजयानगरम्-वाल्टेयर रेल मार्ग	४१८९
१०६७	काहिरापुज्ञा (पालघाट) सिंचाई योजना	४१८९
१०७१	पर्यटक सड़क योजनाएं	४१९०
१०७२	टिड्डियों का आक्रमण	४१९०
१०७२-क	भारतीय बन्दरगाहों में भीड़भाड़	४१९०–९१
१०७३	हैदराबाद में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	४१९१
१०७४	रेलगाड़ियों का देर से चलना	४१९१–९२
१०७५	डाक तथा तार कर्मचारी	४१९२
१०७६	चीनी का उत्पादन	४१९२
१०७७	इंजन के पुर्जे	४१९२–९३
१०७८	कोचीन में रेल कर्मचारियों के लिये द्वीप भत्ता	४१९३
१०७९	विजयवाड़ा के लिये विमान सेवा	४१९३
१०८०	पूर्वोत्तर रेलवे का दो ज़ोनों में विभाजन	४१९३–९४
१०८१	गवनाहा रेलवे दुर्घटना	४१९४
१०८२	रेलवे के लिये लोहे के स्लीपर	४१९४–९५
१०८३	कुरनूल में मैडिकल कालेज	४१९५
१०८४	बिहार में हैजा	४१९५

अतारांकित

प्रश्न संख्या

७८६	जंगली जानवरों का संरक्षण	४१९५–९६
७८७	माल-डिब्बों का पटरी से उतर जाना	४१९६
७८८	बारकोट पुल	४१९६–९७
७८९	मदुरा-बोदीनायकपुर रेलवे	४१९७
७९०	मैलानी-कोड़ियाला घाट लाइन पर रेल गाड़ियां	४१९७–९८
७९१	नैगाम स्टेशन पर सामान के लदान का प्लेटफार्म	४१९८
७९२	मीन क्षेत्रों सम्बन्धी गवेषणा	४१९८
७९३	अंशदायी चिकित्सा सेवा योजना	४१९८–९९
७९४	बम्बई में सड़कें	४१९९
७९५	जिला परभणी में सामुदायिक परियोजना	४१९९
७९६	नौवहन समवायों को ऋण	४१९९
७९७	दिल्ली विकास प्राधिकार मंडल	४२००
७९८	उत्तर प्रदेश में सड़कें	४२००

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश :

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
७९९	डिब्बों के लिये ठेके	४२००
८००	गृह-विज्ञान केन्द्र	४२०१
८०१	केरल में रेल डिब्बों का कारखाना	४२०१
८०२	चीनी का आयात	४२०१–०२
८०३	सहायक नर्सें और दाइयां	४२०२
८०४	धान और चावल	४२०२–०३
८०५	पैरम्बूर वर्कशाप	४२०३
८०६	रेलवे क्वार्टर	४२०३
८०७	रेलवे कर्मचारियों की भर्ती	४२०४
८०८	कटक में पौधा संरक्षण केन्द्र	४२०४
८०९	पूर्वोत्तर रेलवे पर यात्री सुविधायें	४२०४–०५
८१०	गुजरात में छोटे पत्तन	४२०५
८११	कड़पा जिले में डाकघर	४२०५
८१२	पुरी-कोणार्क सड़क	४२०६
८१३	इम्फाल सिविल अस्पताल में हैजे के मरीज़	४२०६
८१४	गंटाकल—सिकन्दराबाद रेलवे लाइन	४२०६
८१५	डाक कर्मचारी	४२०६–०७
८१६	पूर्वोत्तर रेलवे पर यात्री सुविधायें	४२०७
८१७	लिलुआ स्टेशन पर रेल दुर्घटना	४२०७
८१८	उपनगरीय रेलों में भीड़-भाड़	४२०८
८१९	डाकघरों के निरीक्षक	४२०८
८२०	उत्तरी बिहार में बाढ़-नियन्त्रण कार्यवाही	४२०९
८२१	पूसा इन्स्टीट्यूट में रहने का स्थान	४२०९
८२२	हिन्दी परीक्षायें	४२०९–१०
८२३	दक्षिण रेलवे में भर्ती	४२१०
८२४	पैरम्बूर का सवारी-डिब्बे बनाने का कारखाना	४२१०–११
८२५	रेलवे में राजपत्रित (गज़टेड) पदाधिकारी	४२११
८२६	समय बताने वाला यंत्र	४२११

एक सदस्य का निरोध ४२११–१२

अध्यक्ष ने लोक-सभा को बताया कि उन्हें दिल्ली के ज़िला मजिस्ट्रेट से पत्र मिला है जिसमें उन्होंने यह सूचना दी है कि २१ अगस्त, १९५७ को श्री हाल्डर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें २५ अगस्त, १९५७ तक हिरास्त में रखा जायेगा।

पष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ४२१२

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये:—

(१) दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १२ जून, १९५७ की अधिसूचना संख्या एफ० १२(११) / ५७—एम० टी० एन्ड सी० ई० ।

(दो) दिनांक २६ जून, १९५७ की अधिसूचना संख्या एफ० १२ (२२) / ५७—एम० टी० एण्ड सी० ई० ।

(२) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वर्ष १९५५ के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही बताने वाले विवरण की एक प्रति ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

पांचवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ४२१३

श्री राधा रमण ने दिल्ली में भंगियों की हड़ताल के सम्बन्ध में गृह-कार्य मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों और उन पर की गई कार्यवाही की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया । गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया और कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के संबंध में नई दिल्ली नगरपालिका के निर्णयों के विवरण की एक प्रति भी सभा पटल पर रखी ।

अनुदानों की मांगें . . ४२१३–६७

श्रम और रोजगार मन्त्रालय के अनुदानों की मांगों पर और आगे चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

सदस्य की रिहाई . ४२५२

उपाध्यक्ष ने लोक-सभा को सूचित किया कि उन्हें जयपुर नगर के डिप्टी सुप-रिन्टेंडेंट पुलिस से पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने यह सूचना दी है कि श्री हरिश्चन्द्र शर्मा को २० अगस्त, १९५७ को रिहा कर दिया गया है ।

शुक्रवार, २३ अगस्त, १९५७ के लिए कार्यावलि—

श्रम और रोजगार मंत्रालय की मांगों पर और आगे चर्चा । वित्त मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक ।

———

	पृष्ठ
श्री बाल्मीकि	४२५३—५६
श्री स० म० बनर्जी	४२५६—६१
श्रीमती लक्ष्मी बाई	४२६१—६४
श्री र० चं० व्यास . . .	४२६४—६६
श्रीमती सहोदरा बाई	४२६६—६७
श्री नन्दा	४२६७
सदस्य की रिहाई	४२५२
दैनिक संक्षेपिका	४२६८—७१

P. L. S. 41. V. 28. 57.
170

भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित तथा लोक-सभा सचिवालय द्वारा लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ तथा ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित ।